लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

Chamber Fumigated 18|X|23
Preservation Unit Parliament Library
17-7-94
Fumigated On 4 | 84

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक [illegible] से 40 तक हैं
Vol. XXVII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 39, सोमवार, 14 अप्रेल, 1969/24 चैत्र, 1891 (शक)

No. 39 Monday, April 14, 1969/ Chaitra 24, 1891 (Saka)

विषय | Subject

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1051.	साबुन के मूल्य	Prices of Soaps	1
1052.	जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में कमी	Reduction in L.I.C. Premium Rates	5
1053.	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	7
1054.	हनुमान मन्दिर, नई दिल्ली के निकट दुकानें	Shops near Hanuman Mandir, New Delhi	12
1055.	दिल्ली में यमुना नदी के तटों के साथ वाले क्षेत्र का विकास	Development of area along banks of Yamuna in Delhi	13
1057.	कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली	Electricity for Agricultural purposes	15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1056.	वृहत् बम्बई में पानी की समस्या	Water problem in Greater Bombay	17
1058.	लद्दाख में स्तकना पन-बिजली योजना	Stakna Hydel schemes in Ladakh	17
1059.	अमीर तथा गरीब व्यक्तियों के बीच असमानता	Disparity between rich and poor people	18
1060.	बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on flood control	18
1061.	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी	Shortage of Medical facilities in Rural Areas	19
1062.	गुजराती बोक्साइड पर आधारित एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना	Setting up of an Aluminium Plant based on Gujarat Bauxite	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 39, सोमवार, 14 अप्रेल, 1969/24 चैत्र, 1891 (शक)

No. 39 Monday, April 14, 1969/ Chaitra 24, 1891 (Saka)

विषय — Subject

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1051.	साबुन के मूल्य	Prices of Soaps	1
1052.	जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में कमी	Reduction in L.I.C. Premium Rates	5
1053.	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	7
1054.	हनुमान मन्दिर, नई दिल्ली के निकट दुकानें	Shops near Hanuman Mandir, New Delhi	12
1055.	दिल्ली में यमुना नदी के तटों के साथ वाले क्षेत्र का विकास	Development of area along banks of Yamuna in Delhi	13
1057.	कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली	Electricity for Agricultural purposes	15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1056.	वृहत् बम्बई में पानी की समस्या	Water problem in Greater Bombay	17
1058.	लद्दाख में स्तकना पन-बिजली योजना	Stakna Hydel schemes in Ladakh	17
1059.	अमीर तथा गरीब व्यक्तियों के बीच असमानता	Disparity between rich and poor people	18
1060.	बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on flood control	18
1061.	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी	Shortage of Medical facilities in Rural Areas	19
1062.	गुजराती बोक्साइड पर आधारित एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना	Setting up of an Aluminium Plant based on Gujarat Bauxite	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		

1063. दूर संचार के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा ऋण	I.D.A. Credit for Tele-Communication Development	19
1064. पैट्रोलियम तथा संबद्ध उत्पादों का उत्पादन	Production of Petroleum and Allied Products	20
1065. आन्ध्र प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र	Coal based Fertilizer plant in Andhra Pradesh	20
1066. जीवन बीमा निगम में संगणकों का प्रयोग	Computerisation in L. I. C.	21
1067. कोरबा उर्वरक संयंत्र	Korba Fertilizer Plant	21
1068. सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Government Employees	22
1069. बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण	Bank Credit to Small Scale Industries	22
1070. दिल्ली की बृहद योजना की जांच करने के लिए समिति	Committee to examine Delhi Master Plan	23
1071. ऐक्सरे फिल्मों की कमी	Scarcity of X-Ray Films	23
1072. नायलोन उद्योग	Nylon Industry	24
1073. मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लोहे के भंडार	Iron Deposits in Chhatisgarh Area of Madhya Pradesh	25
1074. सरकारी क्वाटरों में अलमारियों, बरसाती तथा वाश-बैसिन की व्यवस्था	Providing Almirah, Barsati and Wash basin in Government quarters	25
1075. दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों को भोजन तथा धुलाई भत्ता	Messing and washing Allowances to Nurses of Delhi Hospitals	26
1076. दिल्ली की बृहत योजना का उल्लंघन रोकने के लिए समिति	Committee to check violations of Delhi Master Plan	26
1077. तूतीकोरिन (मद्रास) में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Tuticorin (Madras)	26
1078. राजस्थान को सतपुड़ा परियोजना से बिजली देना	Transmission of power from Satpura Project to Rajasthan	27
1079. आयकर काटने के बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण	Fixing of salary of Government Employees after Income Tax deduction	27
1080. हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट चालू करना	Commissioning of Hindustan Copper Project	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
6185. ट्यूबर्क्यूलिन परीक्षण तथा बी० सी० जी० के टीके	Tuberculin tests and BCG vaccinations	28
6186. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से प्राप्त हुआ ऋण	Loans Received from Internatioal Development Association	29
6187. गुजरात में पैदा किये गये तम्बाकू से वसूल हुआ उत्पादन शुल्क	Excise duty realised from Tobacco produced in Gujarat	29
6188. वस्तुओं की समान दरों पर बिक्री	Sale of commodities at uniform rates	30
6189. वेतन में मंहगाई भत्ता मिलने पर वार्षिक वृद्धि	Increments on merger of Dearness Allowance with pay	30
6190. टाइप एक के क्वाटरों में रह रहे कर्मचारियों द्वारा टाइप दो के क्वाटर लेने से इन्कार करना	Refusal of type II accommodations by Employees occupying type I accommodation	31
6191. त्रिपुरा में गांव में बिजली की व्यवस्था	Rural Electrification in Tripura	31
6192. राज्यों में बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग	Per capita consumption of Electricity in States	31
6193. त्रिपुरा में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता	Installed power capacity in Tripura	32
6194. राजकीय जूनियर मॉडल स्कूल, तलवाड़ा	Government Junior Model School, Talwara	33
6195. तलवाड़ा नगर में ब्यास परियोजना प्रशासन का आदर्श स्कूल	Beas project Administration's Model School at Talwara Township	34
6196. महाराष्ट्र राज्य को डीजलतेल का नियतन	Allocation of Diesel oil to Maharashtra State	34
6197. सेक्शनल आफिसरों की पदोन्नति	Promotion of Sectional officers	35
6198. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों में नर्सों के वर्दी भत्ते में वृद्धि	Increase of Uniform Allowance to Nurses in Employees State Insurance Corporation Dispensaries	35
6199. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रति नियुक्त डाक तथा तार के इन्जीनियर	P&T Engineers on Deputation to C. P. W. D.	36
6200. प्रतिवेदनों आदि का प्रकाशन	Publications of Reports etc.	37
6201. वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले प्रकाशन	Publications brought out by Finance Ministry	38
6202. दिल्ली में एम. बी. बी. एस. की परीक्षा देने वाले छात्र	Students appeared in M. B. B. S. Examination in Delhi	38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6203. अमोनिया का आयात	Import of Ammonia	38
6204. मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s Bird and Company	39
6205. दिल्ली के आसपास के गाँवों में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities to Villages Around Delhi	39
6206. क्लोरोटेटरा साइकिलन का प्रयोग	Use of Chlorotetra Cyclin	40
6207. गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Improvement of slum areas	40
6208. बैंकों के निदेशकों द्वारा धन का उपयोग	Money utilised by Directors of Banks	41
6209. पक्षाघात	Paralysis	42
6210. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की वृहत् योजना	Master plan for drinking water in Rajasthan Rural Areas	43
6211. दिल्ली वृहत् योजना में संशोधन	Amendment of Delhi Master Plan	44
6212. घड़ियों की तस्करी रोकना	Prevetion of Smuggling of Watches	44
6213. स्टेट बैंक की शाखाओं में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in State Bank's Branches	45
6214. दिल्ली के गाँवों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना	Popularising of Family Planning Programmes in Delhi Villages	45
6215. आयकर देने वाले फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां	Film Actors and Actresses paying Income-Tax	46
6216. जीवन बीमा निगम के पास न मांगी गई प्रीमियम की राशि का जमा होना	Unclaimed premia lying with L. I. C.	46
6217. नये चिकित्सा कालेज खोलना	Opening of New Medical Colleges	47
6218. पूर्वी कोसी भूमि का विकास	Development of Eastern Kosi Land	47
6219. बरौनी तैलशोधक कारखाने में कर्मचारियों को तंग किया जाना	Harasment of Employees in Barauni Refinery	48
6220. तिस्ता नदी के दायें किनारे पर नहर का निर्माण	Construction of Canal on Right Bank of Teesta River	49
6221. फैजाबाद डिवीजन में उर्वरक कारखाना	Fertilizer plant in Faizabad Division	49
6222. पेंशन नियमों में संशोधन	Revision of Pension Rules	49

विषय		Subject	पृष्ठ / Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6223.	मंत्रियों के आवासों में अतिरिक्त फर्नीचर की सप्लाई	Supply of extra Furniture in Ministers Residences	50
6224.	तट-दूर छिद्रण कार्य	Off shore Drilling	50
6225.	दिल्ली में रैन बसेरे	Night Shelters in Delhi	51
6226.	मैसूर में घाटप्रभा परियोजना	Ghataprabha project in Mysore	51
6227.	अम्बरसई के निकट मोटर वोट का पकड़ा जाना	Seizure of Motorboat near Ambarsai	52
6228.	मुख से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां बनाने वाला कारखाना	Factory to manufacture oral contraceptives	52
6229.	ट्राम्बे के अमोनिया बाइकारबोनेट कारखाने का उद्घाटन	Inauguration of Trombay ammonia Bicarbanatic Plant	53
6230.	उड़ीसा में लघु उद्योगों को स्टेट बैंक द्वारा दिया गया ऋण	Amount advanced by State Bank to small scale industries in Orissa	53
6231.	उड़ीसा में राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनायें	Subsidised Industrial Housing Schemes in Orissa	54
6232.	एक अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ कम्पनी द्वारा संश्लिष्ट रबड़ के हृदय का आविष्कार	Invention of Synthetic Rubber Heart by International Rubber Company	54
6233.	प्रबन्धक और पर्यवेक्षक कर्मचारियों को कार्यकुशलता के लिये पुरस्कृत करना	Rewarding of Efficiency in Managerial and Supervisory Staff	55
6234.	मनीपुर सरकार द्वारा आवास ऋण	Housing Loans by Manipur Government	55
6235.	बम्बई में निषिद्ध कपड़े तथा विलास सामग्री का पकड़ा जाना	Seizure of contraband textile and Luxury Goods in Bombay	56
6236.	नीमच में ऐलकालायड (क्षारतत्व) का कारखाना	Alkaloid Factory at Neemuch	56
6237.	बाल पक्षाघात के टीकों का आयात	Import of Polio Vaccine	56
6238.	पाकिस्तान द्वारा कर्णफूल बाँध का निर्माण	Construction of Karanfuli Dam by Pakistan	57
6239.	भारतीय उर्वरक निगम के नामरूप के कारखानों में उत्पादन	Production in Namroop Units of Fertilizer Corporation of India	58
6240.	लोह अयस्क पर निर्यात शुल्क का युक्तिकरण	Rationalisation of Export Duty on Iron Ore	59
6241.	'कंडोम' का क्रय	Purchase of Condoms	59

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6242.	नई दिल्ली में जलसंचय टैंक का टूट जाना	Collapse of a water storage tank in New Delhi	59
6243.	भारत में परिवार नियोजन के बारे में आने वाले विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts on Family Planning visiting India	60
6244.	सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाना	Shifting of Government Offices outside Delhi	60
6245.	नेपाल द्वारा संश्लिष्ट कपड़े का आयात	Import of Synthetic Fabrics by Nepal	61
6246.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा फालतू उप-करणों की बिक्री	Sale of surplus equipment by National Coal Development Corporation	61
6247.	हावड़ा नगर का विकास	Development of Howarah Town	62
6248.	तेलंगाना विपुलता	Telengana Surpluses	62
6249.	औषध निर्माण उद्योग	Medicine and Pharmaceutical Industries	63
6250.	कोरबा में एल्यूमिनियम संयंत्र	Aluminium Plant at Korba	64
6251.	मध्य प्रदेश में एक एल्यूमिनियम स्मैलटर कारखाने का निर्माण	Construction of an Aluminium smelter plant in Madhya Pradesh	64
6253.	मध्य प्रदेश में पन बिजली परियोजना	Hydro Electric Project in Madhya Pradesh	65
6254.	एक मन्त्री के पुत्र द्वारा एक विदेशी फर्म से तथा कथित धन का प्राप्त किया जाना और आयकर लगाने हेतु उसकी आय का निर्धारण	Alleged Money received by a Minister's son from a Foreign Firm and assessment of his Income for Income Tax purposes	65
6255.	बिहार में तांबे की प्राप्ति	Copper discovered in Bihar	66
6256.	नारायणा आवास योजना के क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों का खोला जाना	Opening of C. G. H. S. Dispensary in Naraina Residential scheme area	66
6257.	नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू के औषधालय	North and South Avenue dispensaries	67
6258.	विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली के डाक्टरों तथा कर्मचारियों का तबादला	Transfer of Doctors and Officials of Willingdon Hospital, New Delhi	68
6259.	कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में तेल का पाया जाना	Oil Find in Area between Krishna and Godavari Rivers	68
6260.	सब्जी मण्डी, दिल्ली के व्यापारियों से किराये की वसूली	Collection of Rent from Vegetable Market, Delhi	69

	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6261.	लाइसेंस प्रणाली तथा मूल्य नियन्त्रण हटाने के सम्बन्ध में विश्व बैंक के दल की सिफारिशें	World Bank Team's commendations re. delicensing and removal of Price control	69
6262.	विकसित देशों द्वारा उनकी सहायता नीतियों के प्रयोग किये जाने के बारे में प्रतिबन्ध	Restrictions imposed by developed countries on utilisation of their aid policies	70
6263.	ग्रामीण महिलाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम की शिक्षा	Education to Rural women for Family Planning Programme	70
6264.	कोयम्बूटर कस्बे का दर्जा	Status of Coimbatore Town	71
6265.	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	Hindustan Housing Factory	71
6266.	बिहार में ग्रामीण आवास योजना के लिए सहायता	Assistance for Rural Housing Scheme in Bihar	71
6267.	उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन के प्राप्त लक्ष्य	Family Planning Targets achieved in Uttar Pradesh	72
6268.	भारत में चीन से चोरी छिपे माल का लाया जाना	Smuggling of goods from China into India	72
6269.	धन कर की दरें	Rate of Wealth Tax	73
6270.	गर्भपात को वैध बनाने के बारे में केरल सरकार का मत	Kerala Govt's views on Legalisation of Abortion	73
6271.	दिल्ली के स्कूल के बच्चों की आँखों में दोष	Eye defects in Delhi School Children	74
6272.	इण्डोनेशिया को ऋण	Credit to Indonesia	74
6273.	रूस को जूतों का निर्यात	Export of shoes to USSR	75
6274.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय उपक्रम	Central undertakings in Madhya Pradesh	76
6275.	तस्कर व्यापार पर टैरीन कपड़े के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव	Impact of increase in prices of Terene fibres on Smuggling	77
6276.	ट्रंक पाइप लाइनों का निर्माण	Construction of Trunk Pipelines	78
6277.	सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक	Chairman or Managing Directors in Public Under-taking	78
6278.	मैसर्स बी० के० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन	M/s. B. K. Industrial Corporation	79
6279.	मद्रास राज्य में पंजामृदम पर कर	Tax on Panja Mridam in Madras State	79

	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6280.	फरक्का बाँध	Farakka Barrage	80
6281.	सूखा राहत कार्यों के लिये आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र द्वारा सहायता	Central assistance to Andhra Pradesh for Drought Relief Work	80
6282.	गोदावरी बाँध योजना	Godavari Barrage Scheme	81
6283.	दिल्ली में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Delhi	81
6284.	विशाखापतनम में जिंक प्रद्रावक कारखाने को हानि	Loss to Zinc Smelter at Visakhapatnam	81
6285.	मध्य प्रदेश को उपकरणों तथा वित्तीय सहायता का दिया जाना	Supply of Equipments and Financial aid to Madhya Pradesh	82
6286.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Madhya Pradesh for Family Planning programme	82
6287.	मध्य प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in Madhya Pradesh Hospitals	82
6288.	आयकर विभाग अथवा न्यायालयों में आयकर के अनिर्णीत मामले	Pending income tax cases in Income tax department or courts	83
6289.	भारत में अनुसंधान तथा विकास केन्द्र	Research and Development Centres in India	83
6290.	कोटा (राजस्थान) के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दिया गया ज्ञापन-पत्र	Memorandum by Trainees at Technical Training Centre, Kotah (Rajasthan)	84
6291.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास	Government accommodation for Central Government Employees	84
6292.	अफीम के कारखाने	Opium Factories	85
6293.	नदी घाटी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank aid for river valley projects	86
6294.	तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Tamil Nadu	86
6295.	उड़ीसा में लौह अयस्क के निक्षेप	Deposits of iron ore in Orissa	87
6296.	बम्बई में चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled gold in Bombay	87
6297.	महापौरे सम्मेलन	Conference of Mayors	88
6298.	भारत में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिश	Study Team's Recommendation about coal based fertilizer plants in India	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6299. मध्य प्रदेश में फर्मों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income tax Arrears outstanding against firms in M.P.	89
6300. अनधिकृत बस्तियाँ	Unauthorised colonies	89
6301. हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा इन्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई	Supply of Barrels by M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. to Indian Oil Corporation	90
6302. प्रधान मंत्री के निवास स्थान की मरम्मत आदि पर व्यय	Expenditure on Maintenance on Prime Minister's House	90
6303. हिमाचल प्रदेश में पेय जल योजनायें	Drinking water schemes in Himachal Pradesh	92
6304. वित्त मन्त्री के साथ मुख्य मन्त्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers with Finance Minister	92
6305. गत वर्ष वसूल की गई अथवा बट्टे खाते में डाली गई आय कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears realised or written off during last year	93
6306. नर्मदा जल विवाद के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण	Composition of Tribunal on Narmada Water dispute	94
6307. गुजरात में बाढ़ सहायता कार्य	Flood Relief works in Gujrat	95
6308. चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को नगर भत्ता	City Compensatory Allowance to class IV Government Employees	95
6309. मध्य प्रदेश के अस्पतालों में रोगी शय्यायें	Beds in Madhya Pradesh Hospitals	96
6310. उत्पादन शुल्क लगाने हेतु सूती कपड़ें का वर्गीकरण	Classification of cotton fabrics for purposes of levying excise duty	97
6311. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में विद्युत उपक्रम	Electrical undertakings in Public and Private Sectors	98
6312. मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को सरकारी आवास का नियतन	Allotment of Government Accommodation to Family Members of Deceased Government Employees	99
6313. मनीपुर में धन कर तथा उत्पादन शुल्क की वसूली	Wealth Tax and Estate Duty Collection in Manipur	100
6314. पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर रेडियो स्टेशन के बाहर मॉडल स्टाल (किऔस्क)	Model Kiosk in front of AIR Parliament Street, New Delhi	101
6315. मनीपुर और नागालैंड में आयकर की वसूली	Income Tax collections in Manipur and Nagaland	101

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6316 मनीपुर का चिकित्सा निदेशालय	Medical Directorate of Manipur	102
6317. जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली डिविजन में विकास अधिकारियों तथा एजेन्टों के लिए बसंत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना	Basant Competition organised by L. I. C. for Development Officers and Agents in Delhi Division	102
6318. पुलिस कर्मचारियों तथा अस्पताल के कर्मचारियों को सामान्य पुन्ज में से सरकारी क्वार्टरों का नियतन	Allotment of Government quarters out of General pool to Police and Hospital Employees	103
6319. एलीमेंटल फास्फोरस परियोजना की स्थापना	Setting up of a Elemental Phosphorous projects	104
6320. पोटास का उत्पादन	Production of potash	105
6321. श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली, में गैर-अलाटियों द्वारा सरकारी क्वाटरों पर कब्जा	Government quarters occupied by non-allottees in Srinivaspuri, New Delhi	105
6322. नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यु के नौकरों के क्वाटरों में पानी के नलों तथा छत के पंखों की व्यवस्था	Provision of Water taps and ceiling fans in servants quarters of North and South Avenues	106
6323. उड़ीसा में निकल अयस्क को साफ करने के लिए कारखाना	Plant for Processing nickel ore in Orissa	107
6324. राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता	National Cancer Research Centre, Calcutta	107
6325. उद्योगों और कृषि कार्यों के लिए सप्लाई की जाने वाली विद्युत शक्ति की दरें	Rates charged for supply of electrical energy to industry and Agriculture	108
6326. अन्तर्राज्यीय लाइनों तथा अन्तर्क्षेत्रीय लाइनों का निर्माण	Construcion of inter-state lines and inter-regional lines	109
6327. राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में नदी घाटी परियोजनायें	River Valley projects as National Projects	109
6328. उद्योगों तथा कृषि कार्यों के लिए सप्लाई की जाने वाली विद्युत शक्ति की दरें	Rates of Electrical Energy supplied to Industries and Agriculture	110
6329. राज्यों में बिजली का उत्पादन	Power generated in States	110
6330. नासिक में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का नया एकक	New Unit of Security Printing Press at Nasik	111
6331. मनीपुर की भवन निर्माण योजनाओं के लिए धन का नियतन	Allocation for Housing Schemes for Manipur	111

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6332.	कोटा में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र	Technical Training Centre at Kotah	112
6333.	नूनमाटी तेल शोधक कारखाना, गोहाटी में काम बन्द हो जाना	Breakdown in Noonmati Refinery, Gauhati	112
6334.	पाकिस्तान द्वारा अगरतला में बाँध का निर्माण	Construction of Embankment by Pakistan in Agartala	113
6335.	नीलगिरि पहाड़ियों में ऊटकमंड तथा कुनुर में पीने के जल की कमी	Scarcity of drinking water in Ootacmund and Coonoor in Nilgiri Hills	114
6336.	प्रतिरक्षा लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Defence Accounts Department	114
6337.	जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Life Insurance Corporation	115
6338.	जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in L. I. C.	115
6339.	चलचित्र सम्बन्धी लोगों के लिए मंजूर की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange allowed to Film people	116
6340.	क्वाटरों के आवंटन से सरकारी कर्मचारियों का वंचित किया जाना	Government Employees debarred from Government accommodation	116
6341.	वर्ष 1967-68 में दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given during 1967-68	117
6342.	परिवार नियोजन उपकरण तथा जनता में उनका वितरण	Family Planning devices and its distributions among public	117
6343.	बाँदा जिले (उत्तर प्रदेश) में अभ्रक के निक्षेप	Deposits of Mica in Banda District (U. P.)	118
6344.	केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए क्वाटरों का आरक्षण	Reservation of residential accommodation for scheduled castes and scheduled tribes Central Government employees	118
6345.	सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वाटरों की परस्पर बदली के लिये अनुमति	Permission for exchange of Government quarters among government employees	119
6346.	सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और पन बिजली के लिये वृहद योजना	Master plan for Irrigation, Flood Control and Hydel Power	120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6347. 'राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में गृह निर्माण का योगदान' सम्बंधी विचारगोष्ठी	Sympostum on 'Role of Housing in National Highway'	120
6348. निस्सन्तान सरकारी कर्मचारियों को परिवार भत्ता	Family allowance to childless Government Employees	120
6349. सरकारी कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता	Grant of children's education allowance to Government Employees	121
6350. नई दिल्ली में अंग्रेजी के नामों वाले अस्पतालों, सड़कों, ब्लाकों तथा बाजारों का पुनः नामकरण	Renaming of Hospitals, Roads, Blocks and Markets in New Delhi having English Names	121
6351. चलचित्र अभिनेताओं के छिपाये हुए धन का पता लगाने के लिये छापे मारना	Raids to unearth unaccounted Money from Film stars	122
6352. बेरोजगार इन्जीनियरों को रोजगार देना	Employment of Unemployeed Engineers	122
6353. पोंग बांध के स्थान से हटाये गए लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Pong Dam Oustees	123
6354. लघु विद्युत चालित करघा उद्योग पर उत्पादन शुल्क	Excise levies on Small Powerloom Industry	123
6355. दफ्तरियों के वेतनमान	Pay Scales of Daftries	124
6356. वित्तीय नियम	Financial Rules	124
6357. उत्तर प्रदेश में फिल्मों के लिये वित्त की व्यवस्था करने तथा फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों द्वारा करों का भुगतान	Payment of Taxes by Film Financiers and Exhibitors in Uttar Pradesh	125
6358. कोयना बांध	Koyna Dam	125
6359. नई दिल्ली में राम कृष्णपुरम में सरकारी क्वाटरों में पानी के मीटर	Water Meters in Quarters in Rama Krishnapuram, New Delhi	126
6360. प्राध्यापकों / अध्यापकों / प्रशिक्षकों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लैटों का आरक्षण	Reservations in DDA Flats for Lecturers/teachers/Instructors	127
6361. वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण	Loans advanced by Financial Institutions	127
6362. मिट्टी के तेल के दाम बढ़ना	Increased price of Kerosene Oil	128
6363. बिहार को राजस्व का भुगतान	Payment of Royalty to Bihar	129
6364. अनधिकृत बस्तियों में भवनों का अर्जन	Acquisition of buildings in unauthorised colonies	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ध्यान दिलाने वाली सूचना आदि के बारे में	Re. Calling Attention, etc.	130
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	131
सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में किये गये कुछ निश्चयों के बारे में वक्तव्य	Statement re. certain decisions taken relating to cement Industry	133
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	133
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	134
अनुदानों की मांगें—जारी	Demands for Grants—Contd.	134
समाज कल्याण विभाग	Department of Social Welfare	134
श्रीमती सुधा वी० रेड्डी	Shrimati Sudha V. Reddy	134
श्री शिव चरणलाल	Shri Shiv Charan Lal	136
श्री कांबले	Shri Kamble	136
श्री प्र० रं० ठाकुर	Shri P. R. Thakur	137
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	138
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	138
श्री ज० मं० काहानडोल	Shri Z. M. Kahandole	140
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	140
श्री सिद्दैया	Shri Siddayya	142
बन्दूक तथा गोला कारखाना के कर्मचारियों पर गोली चलाये जाने के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य और पश्चिम बंगाल में हुई हड़ताल के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा	Discussions re. Defence Minister's statement on firing on Gun and Shell Factory employees and Home Minister's Statement on strike in West Bengal	150
श्री स० अ० डांगे	Shri S. A Dange	150
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	152
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	153
श्री रंगा	Shri Ranga	154
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	155
श्री कंवरलाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	156

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
श्री जी० मा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	156
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	157
श्री राममूर्ति	Shri R. Ramamurti	158
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	161
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	162
श्री स्वर्णसिंह	Shri Swaran Singh	163
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	164
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion	166
राज्य व्यापार निगम द्वारा धागे का आयात	Import of Yarn by the State Trading Corporation	166
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	166

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 14 **अप्रेल**, 1969/24 **चैत्र**, 1891 **(शक)**
Monday, April 14, 1969/Chaitra 24, !891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lck Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

साबुन के मूल्य

***1051. श्री मधु लिमये :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने साबुन निर्माताओं का साबुनों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम भेड़-बकरी की चर्बी का बड़ी मात्रा में आयात करता है और बहुत उचित लाभ लेकर उसे बेचता है;

(घ) उपर्युक्त तथ्य को तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दुस्तान लीवर्स तथा टाटा आयल मिल्स लि० जैसे साबुन के बड़े निर्माता बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, सरकार को साबुन के मूल्यों में वृद्धि करने की यह अनुमति किन कारणों से देनी पड़ी है;

(ङ) क्या साबुन के मूल्य बढ़ाने और कम करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित मूल्य-नीति है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार उनसे साबुन के मूल्य कम करने के लिये कहने का है क्योंकि कच्चे सामाम के मूल्य घट गये हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो मूल्य घटाने के निर्देश न देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, नवम्बर, 1966 से प्रचलित पूर्व परामर्श के अनौपचारिक प्रबन्ध के अनुसार, संगठित क्षेत्र के उत्पादकों के लिये नवम्बर, 1968 में 260 रुपये और 500 रुपये प्रतिटन की मूल्य वृद्धियाँ क्रमशः लाण्डरी साबुन तथा टायलट साबुन के लिए स्वीकार की थी । साबुनों के मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है ।

(ख) भाग (क) में बताई गई वृद्धि लगभग 8 प्रतिशत है।

(ग) और (घ). जी हां । राज्य व्यापार निगम चर्बी का आयात करता हैं और उचित लाभ लेकर उसे उद्योग को बाँट देता है । किंतु 1968 के मध्य तक स्पष्ट हो गया था कि वर्ष के दौरान उद्योग को उपलब्ध चर्बी 60 प्रतिशत मज्जा (फैट), जैसा कि सितम्बर, 1967 में अन्तिम मूल्य निर्धारण के समय कल्पित किया गया था मुहैया करने के लिये पर्याप्त नहीं होगी । मूंगफली के तेल, जो मज्जा का अत्यावश्यक देशीय अवयव है, की कीमतों में भी तेजी का रुख पाया गया था ।

(ङ) और (च). जी हां । मूल्य में पुनरीक्षण, समय समय पर कच्चे माल के मिश्रण में विभिन्न प्रकार के तेल तथा मज्जा की बनावट और प्रत्येक पदार्थ में कीमतों के रुख के आधारों पर किये गये हैं । साबुनों की कीमत बहुत हद तक तेलों पर निर्भर है ।

(छ) और (ज). इस प्रश्न पर इस समय उद्योग से बात-चीत की जा रही है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I would like to know the names of big producers of soap in India and the profit accured to them during the last three years with a view to enable the House to know wheather there is any justification to increase the rates or not.

श्री द० रा० चव्हाण : संगठित क्षेत्र में लगभग 49 ऐसे उद्योगपति हैं जिनका नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत है । इनमें गोदरेज ब्रादर्स, टाटा, स्वास्तिक तथा हिन्दुस्तान लीवर जैसे तीन अथवा चार बड़े उद्योगपति माने जाते हैं । 1967-68 में संगठित क्षेत्र में लगभग 2,16,000 मीट्रिक टन साबुन का उत्पादन हुआ । इसमें छोटे पैमाने के क्षेत्र के आंकड़े शामिल नहीं हैं । इस समय मेरे पास इस उद्योग से सम्बन्धित गत तीन वर्षों के लाभ के आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Madhu Limaye : Unless the Minister gives statistics regarding profits, how can it be ascertained whether the increase in prices is justified or not.

I would like to know whether Government purchases soap on a large scale for defence and other departments and if so, does the government not take in to consideration the increase in Governmental expenses as a result of increase in prices of soap. I would also like to know whether government will suggest reduction in prices of soap as a result of decrease in prices of groundnut or the matter will be referred to tariff commission or any other committee.

श्री द० रा० चव्हाण : मूंगफली के तेल के मूल्यों के आंकड़े देखने से पता चलता है कि मूंगफली के तेल का प्रति मीट्रिक टन मूल्य 4100 रुपये है । इसकी तुलना में गत

वर्ष अधिकतम मूल्य 5,375 रुपये था। यह ठीक है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय सेनाओं में प्रयोग के लिए विभिन्न एककों द्वारा बनाया गया साबुन बड़े पैमाने पर खरीदता है। साबुन का मूल्य कई बातों पर निर्भर करता है। साबुन में $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत तेल, चर्बी तथा मूंगफली का तेल आदि होते हैं और लगभग $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कास्टिक सोडा, सोडियम सिलिकेट तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। साबुन का मूल्य चर्बी की उपलब्धि पर निर्भर रहता है। वास्तव में 1966-67 में लगभग 19000 मीट्रिक टन चर्बी का आयात किया गया था। 1967-68 में लगभग 1,27,000 मीट्रिक टन चर्बी का आयात किया गया था। जब मूल्यों में वृद्धि की गई थी तो चर्बी का आयात 50072 मीट्रिक टन था। जब बड़े पैमाने पर चर्बी का आयात किया गया था तो वास्तव में मूल्य कम हुए थे। तब नौ मास में नहाने के साबुन में मूल्य लगभग 1100 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा कपड़े धोने के साबुन में लगभग 700 रुपये प्रति मीट्रिक टन कम हुए थे।

Shri Prem Chand Verma : Sir, I would like to know that out of an import of 1,27,000 tonnes of tallow imported how much was allotted to those five big factories. Secondly, tallow is being sold in the market at double the price charged by S.T.C. I would like to know the reason for as soap cabe previously being sold at 35 paise being now sold for 75 paise when 33 percent raw material is imported and supplied at cheaper rates. I would like to know the action taken and proposed to be taken by government so that exborbitant prices are not charged ?

श्री द० रा० चव्हाण : अप्रेल, 1968 से चर्बी का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम में किया जाता है तथा तकनीकी विकास महानिदेशक की सिफारिशों पर विभिन्न कारखानों को आवंटित किया जाता है। संगठित बड़े क्षेत्र के इन सभी बड़े उद्योगपतियों के नाम महानिदेशालय में दर्ज हैं। कपड़े धोने के 1 मीट्रिक टन साबुन के लिए 0.37 मीट्रिक टन चर्बी की आवश्यकता होती है तथा नहाने के एक टन साबुन के लिए 0.52 मीट्रिक टन चर्बी की आवश्यकता होती है। तकनीकी विकास महानिदेशालय से प्रति वर्ष प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनके लिए यह जानना आसान हो जाता है कि विभिन्न उद्योगों के लिए आवंटित चर्बी का प्रयोग साबुन बनाने में किया गया है अथवा उसे और बाजार में बेचा जा रहा है अथवा किसी अन्य वस्तु में मिलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आधे घन्टे की चर्चा के दौरान इस पर व्यापक विचार किया गया था।

जैसा कि सभा को पता है चर्बी की तुलना में मूंगफली के तेल के मूल्य बहुत अधिक हैं। अतः साबुन का मूल्य कच्चे माल की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

Shri Madhu Limaye : Necessary information is not being supplied while unnecessary informations being given.

Shri Prem Chand Verma : The Minister should give statistics regarding the number of industries to whom tallow has been allotted.

श्री द० रा० चव्हाण : इस बारे में अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान लीवर अथवा टाटा द्वारा बनाये गये साबुन का मूल्य बढ़ रहा है, उसका आकार छोटा हो रहा है तथा किस्म खराब हो रही है, क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम इन बड़ी फर्मों को चर्बी के

आवंटन के मामले में नर्मी बरतता है । क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान लीवर का एक वरिष्ठ अधिकारी राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उस अधिकारी ने उन बड़ी क़म्पनियों, विशेषतया हिन्दुस्तान लीवर को कोई रियायत दी है ?

श्री द० रा० चव्हाण : यह प्रश्न विदेश व्यापार तथा पूर्ति मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न उन समकायों द्वारा कमाये जाने वाले लाभ के बारे में था । जब राज्य व्यापार निगम ने उन्हें नियंत्रित मूल्य पर चर्बी उपलब्ध कराई है तो मूल्य बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ? इसका उत्तर इस मंत्रालय द्वारा दिया जाना चाहिये ।

श्री द० रा० चव्हाण : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि दिसम्बर, 1968 में मूल्य में वृद्धि से पहले नौ महीनों में तीन बार मूल्य कम हुए थे ।

Shri Madhu Limaye : Consumers never benefited by the decrease in prices.

Shri M.A. Khan : While allowing the increase in prices does the government not take into account the profits accuring to the companies. Is it not a fact that these prices have been increased only to benefit those companies without caring for the profits accuring to such companies.

श्री द० रा० चव्हाण : वास्तव में इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

Shri Madhu Limaye : Why does the Minister not give information regarding profits ? I dont see any question of notice being required there for.

श्री द० रा० चव्हाण : मुझे इस बारे में सूचना प्राप्त करनी होगी । मूल्य केवल उद्योगपतियों के रहने पर नहीं निर्धारित किये जाते हैं । विशेषज्ञों की एक समिति सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करती है ।

Shri Madhu Limaye : Has the Minister read past (d) of the question or not. The Minister should have supplied information regarding soap or at least he should give an assurance that he will supply the information later on.

श्री द० रा० चव्हाण : मुझे सूचना प्राप्त करनी है ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : भेड़ बकरी आदि की चर्बी के मुख्य तत्व स्टैटेरम तथा पायटेस हैं जो हमारे देश में वनस्पति तेलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि चर्बी के आयात के लिये विदेशी मुद्रा व्यय करने का क्या कारण है जबकि वनस्पति तेलों से वही तत्व प्राप्त हो सकते हैं ।

श्री द० रा० चव्हाण : यदि वनस्पति तेलों का प्रयोग किया गया तो मूल्य बहुत बढ़ जायेंगे तथा उपभोक्ताओं पर कुप्रभाव पड़ेगा । हम यह चर्बी सस्ते दामों पर ले रहे हैं । हमारे देश में चर्बी का संगठित उत्पादक कोई नहीं है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या साबुन के मूल्यों में वृद्धि से देश में इसके उपयोग में कुछ कमी हुई है ?

श्री द० रा० चव्हाण : 1964 में 1,58,000 मीट्रिक टन साबुन बना था । अब

2,16,896 मीट्रिक टन साबुन बन रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि हुई है।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सत्य है कि कुछ साबुन निर्माताओं से सरकार को भेड़ बकरी की चर्बी उपलब्ध न होने तथा राज्य सरकार निगम द्वारा आयातित चर्बी के ठीक वितरण न किये जाने के बारे में शिकायतें की थी और यदि हाँ, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। फ्रांस में साबुन बनाने के लिये मल मूत्र का प्रयोग किया जाता है और फ्रांस में साबुन विश्व में सबसे सस्ता है। क्या सरकार का विचार साबुन बनाने वालों को साबुन में मल मूत्र का प्रयोग करने का परामर्श देने का है ताकि इस देश में साबुन फ्रांस की भांति सब से सस्ते हो सकें ?

श्री द० रा० चव्हाण : भेड़ बकरी की चर्बी का प्रयोग करने के बारे में ही वाद विवाद है। अतः यदि साबुन बनाने के लिए मल मूत्र का प्रयोग किया जावे तो स्थिति क्या होगी, माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं। चर्बी के वितरण में गड़बड़ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में कमी

*1052. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री अदिचन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री क० हाल्दर :
श्री बंश नारायण सिंह :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री समर गुह :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री भोला नाथ मास्टर :
श्री लताफत अली खां :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के प्रीमियमों की दरों को घटाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस बारे में नियुक्त की गई एक सदस्यीय समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, समिति कब नियुक्त की गई थी तथा उसके प्रतिवेदन को कब तक अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग). सरकारी उपक्रम समिति द्वारा की गई एक सिफारिश के अनुसरण में, जीवन बीमा निगम ने, अन्य बातों के साथ साथ, किस्तों की दरों के प्रश्न पर सलाह देने के लिए नवम्बर, 1966 में बीमाविज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति की रिपोर्ट पर निगम इस समय विचार कर रहा है।

(क) तथा (ङ). सरकार द्वारा नियुक्त की गयी एक सदस्यीय समिति ने किस्तों की दरों के बारे में विचार नहीं किया ।

Shri K. M. Madhukar : I would like to know the numbers of persons who are members of the Board of Directors of Life Insurance Corporation and who are connected with other private agencies ? Do government propose to remove those directors? What are the hinderances in the advancement of Life Insurance Corporation and what action is being taken by government in regard there to ?

Shri Jagannath Pahadia : There are no such directors.

Shri K. M. Madhukar : There are no director of the Life Insurance corporation who is not connected with other agencies. Secondly, a number of employees are being retrenched as a result of installation of computers in Life Insurance Corporation. I would like to know whether the Minister is prepared to withdraw the installation of computers in view of opposition to it.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : निदेशक मंडल के कुछ सदस्य अन्य समकायों से सम्बन्धित हैं । बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री एम० आर० भिडे—अध्यक्ष	श्री हरिभाई राणाभाई भास्कर
श्री एम० एम० देसाई	श्री दिलीप बोस
श्री अकबर हैदरी	श्री जी० पी० दास
श्री एस० वी० कानूनगो	श्री बी० डी० गरवारे
श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन	श्री एम० वी० वीरप्पा
डा० दलजीत सिंह	श्री ए० बक्शी
श्री सी० एच० भाभा	श्री ए० एन० एम० अरुणाचालक
	सरदार संतोखसिंह

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जीवन बीमा निगम के बारे में बहुचर्चित शिकायतें ये है कि बीमा कराने वालों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता । जीवन बीमा निगम द्वारा गत वर्ष के बारे में अर्थात 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के बारे में प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि प्रीमियम से15.35 करोड़ रुपये की आय हुई है । यह गत वर्ष की आय की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है । क्या इसे देखते हुए प्रीमियम के दर कम नहीं किये जाने चाहिये तथा बीमा कराने वालों को कुछ राहत नहीं दी जानी चाहिये, इसमें जीवन बीमा निगम का कार्य भी बढ़ेगा ।

श्री प्र० चं० सेठी : इसी कारण जीवनांरिक समिति की नियुक्ति की गई थी । इस समिति की नियुक्ति संसद की एक समिति की सिफारिश पर की गई थी । समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो निगम के विचाराधीन है । वास्तव में प्रीमियम की दर को इस दृष्टि में देखा जाना चाहिये कि जीवन बीमा निगम की कुल बचत का 95 प्रतिशत बीमा कराने वालों को लाभांश के रुप में दिया जाता है ।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए की कई लोगों की मासिक आय सीमित है, क्या समिति प्रीमियम की दर कम करने के प्रश्न पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। समिति के प्रतिवेदन का ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री एस० आर० दामानी : बीमे के प्रीमियम की वही दरें चल रही हैं जो जीवन बीमा निगम की स्थापना के समय थीं हालांकि निगम का कार्य चार गुना बढ़ गया है। सरकार प्रीमियम को कम करने में कितना समय लगायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम मोरारका समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रीमियम की दरें तो मृत्युदरों और खर्चों आदि से सम्बंधित है। 30 अप्रैल तक हमें रिपोर्ट के मिलने की आशा है। उसके मिलने पर हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस प्रश्न की चर्चा पिछले कई वर्षों से गर्म है। क्या इन समितियों के निष्कर्षों को अन्तिम समझा जायेगा अथवा सरकार और समिति नियुक्त करेगी। इस बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने 1966 में सिफारिशें की थी। क्या सरकार ने इनकी रिपोर्टों पर विचार किया है अथवा इस प्रश्न को ठप्प ही कर दिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मोरारका समिति इस पर विचार कर रही है कि खर्चा कैसे कम किया जा सकता है ? प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है। इन सब पर मोरारका समिति की रिपोर्ट मिल जाने पर विचार किया जायेगा। यह बोर्ड के समक्ष है। यदि आवश्यक हो तो सरकार आदेश दे सकती है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस मामले में बोर्ड कब तक निर्णय करेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह कहना कठिन है। मैं उन्हें शीघ्रता करने को कहूँगा।

Shri Bhola Nath Master : Shri Bhide who is chairman of L. I. C. has stated that L. I. C's 30 percent money goes to rural areas. It is clear from this that this money goes for the uplift of rural areas. I want to know as to why should not the rate be reduced, so they may get for land mortgage banks etc. ? I want to know why Government is not reducing the rate.

Shri P. C. Sethi : The question of reducing the rate is under consideration of the Board. Thereafter it will go to Government. The A.R.C. has recommended for reduction of rates. It is under consideration.

*1053. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Balraj Madhok :
Kumari Kamla Kumari :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of places where fertilizer plants are being set up and expanded for the production of different types of fertilizers during the Fourth Plan ; and

(b) the broad details of the various proposals which are under consideration in regard to the production of fertilizers ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) दुर्गापुर, कोचीन, मद्रास, बरौनी और कानपुर में नई उर्वरक परियोजनाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। नामरूप, उद्योगमण्डल और बड़ोदा के पास बज्वा के कारखानों की विस्तार योजनाओं के निर्माण-कार्य को हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त ट्राम्बे (विस्तार), काण्डला, गोआ और मंगलौर में उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण कार्य के शीघ्र ही शुरू होने की आशा है। इसके अलावा मिर्जापुर, विशाखापत्तनम् और महाराष्ट्र में शिवा नहोवा में उर्वरक-कारखानों की स्थापना तथा विशाखापत्तनम् में कारोमण्डल उर्वरक कारखाने के विस्तार की सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी गई है।

(ख) कोरबा, रामागुण्डम, तालचर, हल्दिया, टूटीकोरिन, पारादीप, मिठापुर में उर्वरक कारखानों की स्थापना तथा नांगल और कोचीन में उर्वरक कारखानों के विस्तार के प्रस्ताव विचाराधीन है।

Shri Narayan Swarup Sharma : what are our requirements in respect of fertilizers? We have completed three plans. I want to know as to when we will be self sufficient in this regard ?

श्री द० रा० चव्हाण : आगामी पांच वर्षों में उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में योजना आयोग और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने अध्ययन किया था। उसके अनुसार आवश्यकता 37 लाख टन होगी। इसे पूरा करने के लिये 51 लाख टन नाइट्रोजनस उर्वरकों की अधिष्ठापित क्षमता स्थापित करनी होगी। यदि सभी प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति मिल जाये तो 1973-74 तक हम नाइट्रोजनस उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

Shri Narayan Swarup Sharma : I am happy that hon. Minister wants time upto 1974. I cannot say whether he will be minister at the time. I want to know why they do not meet their requirements with manure by that time? Is there any scheme under consideration ?

श्री द०रा० चव्हाण : यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में है। प्रश्न का दूसरा भाग कृषि विभाग से सम्बन्धित है.................

Shri Narayan Swarup Sharma : You will not be able to meet your requirements by 1974. I want to know whether a scheme would be prepared to prepare fertilizers from dung ?

श्री द० रा० चव्हाण : मैं पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में हूँ...............

Shri Narayan Swarup Sharma : Is there no coordination possible in Ministries ?

श्री द० रा० चव्हाण : इस विषय पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह यह प्रश्न उस मंत्रालय से पूछें। दूसरे उन्होंने 1972-73 कहा है। अभी वर्ष 1972-73 नहीं है। मैंने कहा था कि हम 1973-74 में आत्म-निर्भर हो जाएंगे। परन्तु तब तक जो हमारी नाईट्रजन फर्टिलाइजर, के 20 तथा के 205 की आवश्यकताएं देश में उत्पादन द्वारा पूरी नहीं की जाती, अतः हमें उनका आयात करना पड़ेगा। चौथी-योजना-अवधि में इनका कुल 1000 करोड़ रुपये का आयात किया जाएगा।

Shri Vishwa Nath Pandey : It is necessary to produce more fertilizers for increasing agricultural product. The hon. Minister has intimated the places where factories would be instelled and stated that after some time the country will become self sufficient in fertilizers. Is there any plan to set up any fertilizer industries in private sector as well? If so the names of the persons who have applied for it, the places where these industries are proposed to be established and the countries with when collaboration is to saught ?

श्री द० रा० चव्हाण : कार्यक्रम में निजी एवं सरकारी, दोनों ही क्षेत्र सम्मिलित हैं। निजी क्षेत्र में अनेक परियोजनाएँ निर्माणाधीन अथवा विचाराधीन हैं। उनके स्थानों एवं सहयोग करारों के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना बता सकता हूँ कि कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कुल कितनी पूंजी विनिधान की आवश्यकता है तथा उसमें से कितनी सरकारी क्षेत्र में तथा कितनी निजि क्षेत्र में सम्भावित है। चौथी योजना में इन पर कुल 1306 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसमें से 550 करोड़ निजी क्षेत्र से तथा 756 करोड़ सरकारी क्षेत्र से उपलब्ध होंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : अब जबकि हमारे किसान उर्वरकों के अधिक प्रयोग के लिए उत्सक हैं तब सरकार अधिक उत्पादन के लिए नए कारखाने खोलने में संकोच क्यों करती है। इस सदन में कई बार मिठापुर उर्वरक कारखाने के बारे में जानकारी पाने की चेष्टा की। जनवरी में बताया गया था कि मामला प्रधान मंत्री को अन्तिम निर्णय के लिए सौंपा गया है। हाल ही में समाचार पत्रों में सूचना छपी है कि मामला मंत्रीमण्डल के विचाराधीन है तथा विनिश्चय की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। इस समय वस्तुस्थिति क्या है, क्या प्रधान मंत्री अन्तिम निर्णय लेगी, अथवा मंत्रीमण्डल निश्चय करेगा। इस समय प्रस्ताव कहां पर रुके पड़े हैं तथा कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

श्री द० रा० चव्हाण : मैंने, अन्य स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के साथ मीठापुर का भी उल्लेख किया था। अन्य अनेक परियोजनाओं के साथ उस पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैंने विशेष रूप से मीठापुर के बारे में पूछा है!

श्री द० रा० चव्हाण : मैंने बताया था कि उस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री रंगा : कब तक विचार होता रहेगा ?

श्री द० रा० चव्हाण : मैं ठीक से नहीं कह सकता कि निश्चय कब तक होगा। मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है तथा शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या यह मामला मंत्रीमण्डल के अथवा योजना आयोग के विचाराधीन है ?

श्री नीतिराजसिंह चौधरी : कोयले से उर्वरकों का निर्माण बहुत सस्ता पड़ता है, उसमें आयात की भी न्यूनतम आवश्यकता है, केवल आरम्भिक पुंजी विनिधान एल्युमिनियम तथा

नैपथा से 10–15% अधिक है। क्या सरकार कोयले से उर्वरक निर्माण के संयंत्र लगाने का विनिश्चय करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री द० रा० चव्हाण : कोयले के संयत्रों पर अन्य संयत्रों की तुलना में बहुत अधिक पूंजी लगती है। रामगुंडम तालचेर तथा कोरबा नामक तीन स्थानों पर कोयले से उर्वरक निर्माण के संयंत्र लगाने पर सक्रिय विचार हो रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The fertiliser factory in Madhya Pradesh at Korba had been hanging fire since long. A lot of money has been spent on it but it has not been decided as to when it would come under operation. By when it would be done so that we may avail of its product. In villages fertiliser is prepared from litter and cow dung etc. The government is spending a lot of money on chemical fertilisers. Will the government encourage the rural attempts of making fertilisers ?

श्री द० रा० चव्हाण : कृषि विभाग द्वारा गोबर आदि के उपयोग के लिए सक्रिय उपाय किये जा रहे हैं।कोरबा, रामगुंडम तथा तालचेर के बारे में सक्रिय विचार किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : By what time it shall come into operation. It is landing fire far the last many years although government has spent crores of rupees.

श्री द० रा० चव्हाण : इन परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। कार्य आरम्भ होने से 36-38 महीने पश्चात ही उत्पादन प्रारम्भ होता है।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : हम एक ग्राम भी पोटाश उर्वरक पैदा नहीं करते जबकि चौथी योजना की अवधि में करोड़ों रुपए के मूल्य के पोटाश उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ने उसके लिए चौथी योजना में कोई भी व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री द० रा० चव्हाण : चौथी योजना अवधि में हमें 11 लाख टन पोटाश उर्वरक की आवश्यकता होगी, जिसका हमें आयात करना पड़ेगा क्योंकि पोटाश के निर्माण के स्रोत हमें उपलब्ध नहीं। कुछ वर्ष के लिए, जब तक हम पोटाश निर्माण में सक्षम नहीं बन जाते हमें इस उर्वरक का आयात करते रहना पड़ेगा।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just now stated that a fertiliser factory would be established at Mirzapur. By when that would be established and what would be its capacity.

श्री क० नारायण राव : कोरोमण्डल उर्वरक फैक्टरी नए कारखाने लगाने के पक्ष में नहीं है। क्या मंत्रालय की योजना नए कारखाने लगाने से पहले कोरोमण्डल उर्वरक कारखाने का विस्तार करने की थी। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उस फैक्टरी के विस्तार से नई फैक्टरी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री द० रा० चव्हाण : यह प्रस्ताव पूरी तरह सरकार के विचाराधीन है। मैंने कोरोमण्डल फैक्टरी की क्षमता को 1,55,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का उल्लेख किया था।

Shri Maharaj Singh Bharti : The hon. Minister has just now stated that there are no resources for the manufacture of Potash fertiliser. Probably he means that there

is shortage of raw material. When Israiel can manufacture Potash from sea water and we can manufacture Potash in the Runn of Kutch as a byproduct why cannot we manufacture it as a main product. Secondly, why the rock-phosphate, . discovered in abundance in Rajasthan, M. P. andHimachal Pradesh, is not being utilised for the manufacture of composite fertiliser, sothat we may be self-sufficient in it by 1974.

श्री द० रा० चव्हाण : वस्तुत: बिहार में अमजूर के स्थान पर पाइराइट तथा रॉक-फौस्फेट की खोज हो रही है । पोटाश के निर्माण के बारे में मेरे माननाय सदस्य ने उल्लेख किया है । यदि मिर्जापुर परियोजना सफल होती है, तो हम पोटाश का भी निर्माण कर सकेंगे ।

Shri Maharaj Singh Bharti : You say that we shall be self-sufficient by 1974. By what time we shall be able to achieve self-sufficiency in Potash and composite fertiliser or whether present situation would continue for ever ?

श्री द० रा० चव्हाण : मैंने विस्तार से स्थिति बता दी है ।

Shri Onkar Lal Bohra : Recently a big deposit of 4 crore tonnes of rock phasphate was discovered in the districts of Udaipur in Rajasthan we are present spending crores of ruppees in foreign exchange for importing rock phasphate. Do we propose to utilise the raw materials of Udaipur districts in order to save foreign exchange and also to become self reliant in fertilisers, by establishing a fertiliser project in Udaipur.

श्री द० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किये गये सभी विषयों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय ने बताया है कि कोयले के उर्वरकों के निर्माण के लिए तीन कारखानों का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । जब उसकी सम्भावना संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध हुआ, सरकार ने विदेशी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी विवरणों का अध्ययन कराया मुझे पता चला है कि विदेशी विशेषज्ञों ने अपना प्रतिवेदन बहुत पहले दे दिया था । अन्तत: सरकार कब तक इन उद्योगों का स्थान निर्धारित करेगी और उसका विनिश्चय होने के किस कारखाने को प्राथमिकता दी जाएगी तथा उस क्रम में तालचर के कोयले के उर्वरक संयंत्र को भी स्थान मिलेगा ? परादीप में भी उर्वरक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है । एक निजि उद्योग ने इसके लिए आवेदन दिया है, उसे तुरन्त ही फैक्टरी चालू करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

श्री द० रा० चव्हाण : कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के बारे में विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श नहीं किया गया । एक भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों का दल कोयले के उर्वरक संयंत्रों के अध्ययन के लिए पाश्चात्य देशों में गया है । उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जो सरकार के विचाराधीन है । मामला इस समय योजना आयोग तथा वित्त समिति को सौंपा गया है तथा वहां से लौटने पर तुरन्त ही विनिश्चय किया जाएगा । तीनों कारखानें चौथी योजना की अवधि मे चालू किये जा सकेंगे, तथा उनमें से किसे पहले स्थापित किया जाएगा तथा किसे बाद में, इस बारे में निर्णय अभी लेना है । उनकी पारस्परिक अग्रता का निश्चय भी अभी करना है । सम्भवत: तीनों परियोजनाएं चौथी योजना में स्थापित हो जाएंगी ।

हनुमान मन्दिर, नई दिल्ली के निकट दुकानें

***1054. श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हनुमान मन्दिर, इर्विन रोड, नई दिल्ली के निकट बनाई गई नई दुकानें गिरायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनता के धन की इस हानि तथा वहां पर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को विस्थापित करने के लिये कौन उत्तरदायी होगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इस सड़क पर बनाये जा रहे स्टेट एम्पोरियम के संचालन को सुगम बनाने के लिए इस जगह को (जो कि सड़क की पटरी का एक हिस्सा है) साफ करना पड़ा ।

(ग) क्योंकि इस जगह पर स्टाल होल्डरों ने अपने खर्चे पर ही पूर्णतः अस्थायीरूप से स्टालों का निर्माण किया था, अतः इनके गिराये जाने में सार्वजनिक धन की कोई हानि नहीं है । इन स्टाल होल्डरों को नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा इर्विन रोड़ पर हाल ही में बनाये गई मोहनसिंह मार्केट में ले जाया जा रहा है ।

श्री म० ला० सोंधी : महान राजनीतिज्ञों ने महान सार्वजनिक यादगारों एवं वास्तुशिल्पों का निर्माण कराया था । हमने लुटियन द्वारा निर्मित सोला हैट टाइप वास्तुकला को देखा है और अब जो दुकानों का निर्माण हुआ है जिसमें वास्तुकला की अवहेलना की गई हैं । बात यह है कि नई दिल्ली नगर पालिका निर्वाचित संस्था नहीं है इसलिए यह मंत्री महोदय का उत्तर-दायित्व है कि वह उसके द्वारा होने वाले भारी व्ययों पर दृष्टि रखें । इर्विन रोड कनाटप्लेस से निकलने वाली मुख्य सड़क है । उसपर अनेक वास्तुकला के परीक्षण किए जा रहे हैं जिसमें इस बात की चिन्ता नहीं की जाती कि जनता का तथा विशेषज्ञों का क्या दृष्टिकोण है । क्या मंत्री महोदय को विदित है कि यह मामला सार्वजनिक वाद विवाद का बन गया है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह नई दिल्ली के भावी नगर-आयोजन एवं वास्तुकला के विकास पर अखिल भारतीय स्तर की उच्च-शक्ति-सम्पन्न समिति का गठन करेंगे ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इसमें वास्तुकला की कोई बात नहीं है । यह मामला इर्विन रोड पर हनुमान मन्दिर के निकट स्थित दुकानों से सम्बन्ध रखता है । भारत में श्रेष्ठ वास्तुकला विद्यमान है अथवा नहीं, इसका प्रश्न नहीं उठता । परन्तु मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि भारत की वास्तुकला विश्व की किसी वास्तुकला से हीन नहीं है । जहां तक दुकानों का प्रश्न है, उनका निर्माण 1967 में हुआ । 45 दुकानदारों ने, जिनमें से अधिकतर शरणार्थी थे, इस क्षेत्र में अस्थाई दुकानों के निर्माण की अनुमति माँगी । उन्हें बताया गया कि यह स्थान पार्क के लिए आरक्षित है । उन्होंने विकल्प दुकानों के निर्माण तक उस स्थान के उपयोग की अनुमति

माँगी जो कि उन्हें अस्थायी रूप से दी गई। अब मोहन सिंह मार्केट के बन जाने पर उन्हें वहां स्थान दिया जा रहा है। इसमें किसी को जिसमें मेरे मित्र श्री सोंधी भी सम्मिलित हैं कोई हानि नहीं हुई।

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मन्त्री ने 'अस्थायी' शब्द का प्रयोग किया है। हनुमान मन्दिर स्थायी रूप से रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री स्थायी रूप से रहेंगे। इन 42 व्यक्तियों से 3000 रुपये से 4000 रु० तक खर्च कराया गया और उन्हें बताया गया कि वे वहीं पर रहेंगे। अब प्रशासन ने अपना इरादा बदल दिया है और ऐसे स्थानों पर नई जगहें आवण्टित की जाती हैं जहाँ भेदभाव बर्ता जाता है। कुछ लोगों से तो 2·5 प्रतिशत अधिक लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें बाद के अलाटी कहा जाता है। उन पर यह भारी आरोप लगाया जाता है। क्या माननीय सदस्य इस क्षेत्र में अपने लिये वैर भाव बनाना चाहते हैं अथवा सद्भाव बनाना चाहते हैं ताकि एक दिन जब वह जावें, तो वे लोग उनके नाम पर मार्किट बना कर उन्हें याद करें ?

श्री ब० सु० मूर्ति : मैं केवल अपने लिये ही नहीं अपितु उस क्षेत्र के माननीय सदस्य के लिये भी सद्भाव चाहता हूँ। यह सच नहीं है कि इन लोगों को वहां पर स्थायी रूप से रहने का वचन दिया गया था। उनको 8'×17' के प्लाट आवंटित किये गये थे और सितम्बर, 1967 में उन्हें इस शर्त पर अस्थायी स्टाल बनाने की अनुमति दी गई थी कि बनाई गई जगह नई दिल्ली नगर निगम की होगी और आवंटन रद्द होने की हालत में उनको कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

Development of Area Along Banks of Yamuna In Delhi

*1055. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been prepared by the Delhi Administration for the development of area along the banks of Yamuna ;

(b) if so, the details and estimated cost thereof ;

(c) the action being taken to see that sewage drains do not fall into the river near the bathing ghats ; and

(d) when this scheme would be taken up and when it would be completed ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (ब० सु० मूर्ति) : (क) मंकी ब्रिज से बरफ खाने तक यमुना नदी के अग्रभाग (फ्रंट) के विकास के लिए योजना का प्रथम चरण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तैयार किया है। विकास के बाद के चरणों का ब्यौरा अभी तैयार करना है।

(ख) योजना के प्रथम चरण की अनुमानित लागत 9·95 लाख रुपये हैं और इसमें निम्नांकित मदें शामिल हैं:—

(1) अनाधिकृत अनाधिवासियों के उठाए जाने पर पीछे छोड़े गए ढांचे, प्लेटफार्म, और मलबे का हटाना, और क्षेत्र को समतल करना;

(2) बाढ़ सुरक्षा बांध को चौड़ा करना और सुधारना और इसका मुख्य पथ के रूप में विकास करना।

(3) श्मशान भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए परदा-दीवार की व्यवस्था करना और भित्तिचित्र की व्यवस्था।

(4) निगम बोध घाट के सम्मुख फूलों के बक्सों (फ्लावर बाक्स) और एक पार्किंग स्थान की व्यवस्था करना।

(5) भूमि के विकास, और घास, फूल, झाड़ियां और वृक्षों के रोपण द्वारा क्षेत्र को रमणीय बनाना।

(6) नल-कूपों, तथा कच्चे पानी के वितरण योजना की व्यवस्था।

(ग) योजना के प्रथम चरण में स्नान-घाटों का विकास शामिल नहीं हैं। यह बाद के चरणों में किया जायगा, और इन घाटों के निकट नदी में गन्दा पानी न गिरे, इसे सुनिश्चित करने के प्रश्न पर निस्सन्देह उचित समय पर विचार किया जायगा।

(घ) पहले चरण पर कार्य पहले ही प्रगति पर है और उसके लगभग छः मास में पूरा होने की आशा हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : What are the second and third phases of the scheme being formulated for this place. During the hot weather the water of the yamuna moves sufficiently backwards because the Haryana Government stops water. Will the Government take up this matter with Haryana Government to have perennial flow of water in the Yamuna and people do not have to face any difficulty ?

The Minister of Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : The hon. Member know that this matter has been under discussion with Haryana Government for the last 3 years. whether we shall succeed in our effort cannot be said with certainty at this time.

श्री कंवर लाल गुप्त : दूसरे और तीसरे चरण के बारे में बताइये।

श्री के० के० शाह : चरण दो, वर्तमान बंद और नदी के बीच निगम बांध घाट से कुछ विहार तक भूमि का विकास—नौका विहार के लिये स्नान घाटों के रूप में इस क्षेत्र का विकास करने का विचार है। चरण तीन : मनोरंजन तथा धार्मिक प्रयोजनों के लिये निगम बांध घाट से रेलवे पुल तक भूमि का विकास।

Shri Kanwar Lal Gupta : In view of the fact that there are no means of recreation in Delhi except the cinema halls, whether Government propose to develop the areas along the bank of the river for recreational purposes in several other countries and whether necessary financial aid will be given to D. D. A. or the Delhi Administration ?

श्री के० के० शाह : मैं बता चुका हूँ कि बूलवार्ड का विकास किया जायेगा और इसका अर्थ है मनोरंजन। इसमें सैर सपाटे के स्थान और वृक्ष होते हैं। जहां तक वित्तीय सहायता देने का प्रश्न है, गुणदोष के आधार पर इस पर विचार किया जायेगा।

Electricity for Agricultural Purposes

*1057. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the total voltage of electricity generated in the country;

(b) the percentage thereof utilised in the villages of the country;

(c) the place of agricultural production and their consumption in the National Income and whether there is any scheme to provide more electricity for agricultural purposes;

(d) if so, details and results thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The total electricity generated in the country was 45,400 million killowatt-hours in 1967-68 and of this, 41,000 million kilowatt-hours was generated in public utilities.

(b) The electricity utilised in the villages for agricultural purposes is 7.3% of the total electricity consumed in the public utilities.

(c) to (e). The agricultural production, at current prices, was Rs. 11,595 crores which was 47.5% of the total production of Rs. 24,389 crores in 1966-67.

During the Fourth Plan it is proposed to electrify 12.5 lakh pump-sets requiring 2.7 million KW of additional installed capacity. This power demand will be given priority.

The Ministry of Irrigation and Power is endeavouring for the provision of adequate generation capacity in the Fourth Plan to meet the agricultural, industrial and other needs of the country. The Fourth Plan is under finalisation.

Shri Jagannath Rao Joshi : From the statement it is very clear that only 7.3 percent of the clectricity meanst for public utility is given for agriculture while agriculture accounts for 47 percent of the total production. This means the hon. Minister has him self admitted the wide disparity. The statement also contains the assurance that more attention will be given to agriculture during the fourth plan. May I know whether special instructions have been issued to the state Government for removing the disparity in the electricity rates through out the country and for bringing about uniformity ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : यह सच है कि बहुत से राज्यों में बिजली की दरें कृषि के लिये निर्धारित 12 पैसे की दर से अधिक हैं। दरों में कमी करने के लिये हम उन्हें निरन्तर रूप से याद दिलाते रहे हैं। बहुत से राज्यों में दरों में काफी कमी की गई है। बिहार, महाराष्ट्र आदि जैसे बहुत से राज्यों में अधिकतम दर अब 15 पैसे है। हमें आशा है कि कुछ वर्षों में दरें काफी घटा दी जायेंगी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि दरें और घटाई जानी चाहिये।

Shri Jagannath Rao Joshi : During the S. V. D. regime in Uttar Pradesh and Bihar the rates were reduced but during the Presidents rule the rates were again increased. May I know whether the new Government in U. P. and Bihar have effectively reduced the rates and if not whether Government will take a decision to effect the reduction ?

डा० कु० ल० राव : जी नहीं। कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने दरों को केवल एक समान बनाया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में दर 15 पैसे प्रति यूनिट है। जैसा कि मैंने बताया दरों में और कमी करने के लिये हम उनसे अनुरोध करेंगे।

Shri Suraj Bhan : May I know whether Government propose to supply electricity for agricultural purposes on the basis of its share in the national produce since at present only 7.3 percent electricsity is given to agriculture while it accounts for 47.5 percent of the gross national production. ? Secondly, in view of the fact that rates for agriculture are changed more in comperison to the rates for industry in respect of electricity do Government propose to bring about atleast the purity if not the further reduction of rates for agricultural operations ?

डा० कु० ल० राव : कृषि कार्यों के लिये बिजली देने की जो दरें ली जाती हैं वे मझोले तथा छोटे पैमाने के उद्योगों से कम हैं। केवल भारी उद्योगों की दरें कृषि की दरों से कम हैं और उसके कुछ कारण हैं। हम उससे सहमत हैं कि कृषि उत्पादन कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत है और कृषि उत्पादन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। चूंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली एक बड़ा साधन है कृषि प्रयोजनों के लिये पम्पों में प्रयोग के लिये बिजली की दरें घटाई जानी चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि बिजली की मांग को प्राथमिकता दी जायेगी। क्या विभिन्न बिजली घरों के एकीकरण की कोई योजना हैं। कुछ राज्यों में बिजली की कमी है जबकि अन्य राज्यों में उसकी फालतू मात्रा है। राष्ट्रीय बिजली पद्धति को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में बताया है, हम एक अखिल भारतीय बिजली व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं। इस समय देश के कुछ भागों में बिजली नहीं है। आशा है इस योजना के दौरान हम उन्हें बिजली दे देंगे। तब हमें अपनी पारेषण लाइनों को भी मज़बूत करना होगा पांचवीं योजना के अन्त तक सारे देश में इन ट्रांसमिशन लाइनों का एक शक्तिशाली जाल बिछ जायेगा। तब देश में बिजली की कमी नहीं होगी।

श्री रंगा : अब कुछ गांवों में बिजली पम्पिग सेटों के लिये तो दी जाती है किन्तु प्रकाश के लिये नहीं या प्रकाश के लिये दी जाती है किन्तु पम्पिग सेटों के लिये नहीं। क्या सरकार इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करेगी ? दूसरे, दो गांवों को तो बिजली दी जाती है किन्तु बीच के दो या तीन गांवों को नहीं दी जाती। क्या सरकार इन असंगतियों को यथा शीघ्र दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ?

डा० कु० ल० राव : वर्तमान नीति के अन्तर्गत हम कृषि पम्पिंग सेटों को प्राथमिकता देते हैं; ग्राम विद्युतीकरण को दूसरा स्थान मिलता है। स्वभावतः यदि किसी गांव से पम्पिग सेटों के लिये बिजली की मांग है तो उसे प्रकाश के लिये भी बिजली मिल जायेगी। किन्तु यदि किसी गांव में कोई पम्प नहीं है, तो विद्युतीकरण शीघ्र नहीं होता। अतः जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा बीच के दो या तीन गांव ऐसे हो सकते हैं जिनमें बिजली न हो। इसका कारण यह है कि उन गांवों में कृषि पम्पिग सेट नहीं हैं।

श्री रंगा : किन्तु बिजली की लाइन उन गांवों के बीच से गुज़रती हैं, जिनमें बिजली नहीं है।

डा० कु० ल० राव : यह सच है लाइनें उन गांवों में से होकर गुज़रती है और उन गांवों वाले अप्रसन्न है कि उन्हें बिजली क्यों नहीं मिल रही। किन्तु यदि पम्पिग सेट हों तो उन गाँवों को बिजली मिल जायेगी। अधिक बिजली उत्पादन होने पर ये सब विषमताएं दूर हो जायेंगी और बिजली की कमी नहीं रहेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वृहत् बम्बई में पानी की समस्या

***1056. श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वृहत् बम्बई के नागरिकों को पानी की कमी की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या नगर में जल सम्भरण को बढ़ाने के लिये बनाई गई योजनाओं पर कार्य आरम्भ कराने के लिये सरकार का विचार महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा बम्बई नगर निगम को सहायता देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करना मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को नगर जलपूर्ति योजनाओं के लिये सहायता शत प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है।

लद्दाख में स्तकना पन-बिजली योजना

***1058. श्री प० मु० सईद :**
श्री मणी भाई जे० पटेल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में स्तकना पन-बिजली योजना सरकार ने मंजूर कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितनी बिजली पैदा की जायेगी तथा उस पर कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). स्तकना पन बिजली परियोजना को जिसमें 2.3 करोड़ रुपये की अनुमित लागत पर 3.24 मैगावाट का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है; अभी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

Disparity Between Rich and Poor People

***1059. Shri Onkar Singh:**
Shri Shashi Bhushan:

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the disparity between the rich and the poor is the same today as it was in 1950 ;

(b) the extent to which the disparity has been removed as compared to that in 1950 as a result of the schemes implemented in three plans and subsequent annual plans;

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to reduce the disparity to the minimum ; and

(d) whether it is also a fact that the steps so far taken n this connection have proved infructuous.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P.C.Sethi) : (a) The Committee on Distribution of Income and Levels of Living which studied the question of income disparity and other related matters has concluded in Part I of its Report that the requisite data for drawing valid conclusions regarding changes in income distribution which might have occured during the first two plan periods, are not available.

(b) Though there are no firm statistical estimates, the available evidence indicates that there has been some improvement of economic and social conditions of the poorer sections of the population.

(c) Reduction in inequality has been an accepted objective of planning. This is sought to be achieved by the levy of progressive direct taxation, the levy of indirect taxes at high rates on articles consumed mainly by the better off sections of the population, expansion of employment opportunities through development efforts, expansion of the public and cooperative sectors in industry and distribution, encouragement to small and village industries, measures to counter monopolistic practices, expansion of social services and stabilisation of prices of essential goods that account for the bulk of the consumption of low income groups. The draft of the Fourth Five Year Plan will set out the lines of policy proposed to be adopted during the Fourth Plan period in respect of several of these matters.

(d) No, Sir.

Report on Flood Control.

***1060. Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Irrigation and power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4640 on the 16 th December, 1968 and state :

(a) the details of the study report submitted by the delegation which went to U.S.A. in connection with the flood control ; and

(b) the action taken thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library. See. No. L T. 733/69]

Shortage Of Medical Facilities In Rural Areas.

*1061. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to State :

(a) whether it is a fact that even after 21 years of Independence, there is an acute shortage of medical facilities in the villages ; and

(b) if so, the steps taken by Government to provide adequate and proper medical facilities in the rural areas ?

Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). Since 1953 a chain of Primary Health Centres numbering 4851 has been set up in the rural areas of the Country. There are also mass programmes for the prevention of communicable diseases. It is true that some of the Primary Health Centres are without a doctor. All efforts are made to make up this gap.

गुजराती बौक्साइट पर आधारित एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना

*1062. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के बौक्साइट निक्षपों के आधार पर एक निर्यात-प्रधान एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना की सम्भावना के बारे में जाँच की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी क्षमता कितनी होगी तथा वह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और उस पर कितनी लागत आयेगी, और कारखाने की स्थापना के लिये क्या वित्तीय प्रबन्ध किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). गुजरात में निर्यात-अनुस्थापित एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के लिये एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। एल्यूमिना संयंत्र की क्षमता, स्थापनास्थल, लागत आदि के संबंध में ब्यौरे सम्भाव्यता अध्ययन के तैयार होने पर ही उपलब्ध होंगे।

दूर-संचार के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा ऋण

*1063. **श्री वे० कृ० दास चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के एक दल ने, दूर-संचार विकास के लिये मांगे गये तीसरे ऋण के बारे में दूर-संचार विभाग से विचार-विमर्श करने के लिये भारत का दौरा किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विश्व बैंक का एक मिशन तीसरी दूर संचार विकास प्रायोजना का खर्च आँकने के लिए जनवरी, 1969 के मध्य में भारत आया था।

(ख) जब मिशन मूल्यांकन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट बैंक को दे देगा तब बैंक का निदेशक-बोर्ड यह फैसला करेगा कि दूरसंचार के लिये ऋण के रूप में कितनी रकम दी जाय।

पैट्रोलियम तथा सम्बद्ध उत्पादों का उत्पादन

***1064. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में पैट्रोलियम तथा उससे सम्बद्ध उत्पादों का उत्पादन बहुत बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो 1967-68 और 1968-69 में अनुमानित उत्पादन कितना था ;

(ग) आगामी तीन वर्षों में पैट्रोलियम और डीज़ल तेल की कितनी माँग होने का अनुमान है ; और

(घ) उक्त दोनों उत्पादों की माँग के अनुसार सप्लाई को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) 1967-68 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 13769000 मीटरी टन था और 1968-69 (अप्रैल। फरवरी) के दौरान 13907000 मीटरी टन था।

(ग) अगले तीन वर्षों में पैट्रोलियम उत्पादों तथा डीज़ल तेल की माँग का अनुमान निम्न प्रकार है:—

वर्ष	पैट्रोलियम उत्पादों की माँग	('000' मीटरी टन) डीज़ल तेल की माँग
1969	16113	4453
1970	18158	4463
1971	20532	5467

(घ). पैट्रोलियम उत्पादों तथा डीज़ल तेल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये और शोधनशालाएं स्थापित करने तथा मौजूदा शोधनशालाओं में विस्तार करने के कदम उठाये जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

***1065. श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार आन्ध्र प्रदेश में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का विचार योजना को कब तक अन्तिम रूप देने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण): (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश में रामागुंडम नामक स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यह आशा है कि निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा। भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा बनाई गई संभाव्य रिपोर्ट के अनुसार मुकम्मल हो जाने पर कारखाने में प्रतिवर्ष 2,28,000 मीटरीक टन नाइट्रोजन का उत्पादन होगा। परियोजना पर लगभग 72 करोड़ रुपये की कुल लागत का अनुमान है।

जीवन बीमा निगम में संगणकों का प्रयोग

***1066. श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में कुछ समय पूर्व आरम्भ किये गये संगणकों के प्रयोग की व्यवस्था के सम्बंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह व्यवस्था अब तक कहां कहां आरम्भ की गई है ;

(ग) व्यय और बचत पर इसका क्या प्रभाव रहा है ; और

(घ) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की इस बारे में समूचे तौर पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). बम्बई में चलाई गई संगणक कार्य-प्रणाली से,बम्बई प्रभागीय कार्यालय की कुल 10 लाख पालिसियों में से अब तक लगभग चार लाख पालिसियों का हिसाब-किताब रखा जा रहा है।

(ग) खर्च और बचत पर संगणक-प्रणाली के प्रभाव को इतनी जल्दी नहीं आँका जा सकता। संगणक-प्रणाली की स्थापना मुख्यत: इसलिये की गयी है कि पालिसीधारियों तथा एजेंटो को अधिक अच्छी और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध हो सके।

(घ). तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जीवन बीमा निगम में संगणक लगाये जाने के विरुद्ध हैं और उसके विरोध में उत्तेजना फैला रहे हैं।

कोरबा उर्वरक संयंत्र

***1067. श्री बाबू राव पटेल :**
श्री जशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि संयंत्र का परियोजना प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस पर विचार कर लिया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रक्रिया आदि की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता का अपनी परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारण के लिये, अन्य देशों में कोयले पर आधारित परियोजनाओं के कार्यसंचालन का अध्ययन जरूरी समझा गया था ।

(ग) जी हां, एक संभाव्य रिपोर्ट प्राप्त हो गई ।

(घ) इस पर विचार हो रहा है है ।

सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

***1068. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के 500 रु० अथवा इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी, दफ्तर के समय के पश्चात् अतिरिक्त काम करने के लिये कहे जाने पर समयोपरि भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकाँश कर्मचारी अपनी वार्षिक वेतन वृद्धियों के कारण उनका वेतन 500 रु० हो जाने पर भी वही काम करते हैं, जो वे पहले करते थे; और

(ग) यदि हां तो इन कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते से वंचित करने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ । कार्यालयों तथा अन्य समकक्ष कर्मचारियों के संबंध में लागू होने वाली अतिरिक्त समय भत्ता योजना में, 500 रु० अथवा उससे अधिक मासिक-वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को और सभी राजपत्रित अधिकारियों को अतिरिक्त समय भत्ता पाने का हक नहीं है ।

(ख) और (ग). इस योजना में, राजपत्रित अधिकारियों की समूची श्रेणी को अतिरिक्त समय भत्ता पाने के योग्य नहीं ठहराया गया है, साथ ही अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में भी उच्चतर पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अलग करने के ख्याल से, भत्ता पाने के हक के लिए वेतन सीमा निर्धारित करनी पड़ी थी । 500 रुपये की यह सीमा द्वितीय वेतन आयोग की विशेष सिफारिश पर आधारित है ।

बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण

***1069. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री बी० एन० अदारकर ने 21 जनवरी, 1969 को बम्बई में कहा था कि 1 लाख 25 हजार लघु उद्योगों की आय कुल राष्ट्रीय आय का 20 प्रतिशत होती है परन्तु उन्हें बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋणों में से 7 प्रतिशत राशि से अधिक के ऋण नहीं मिलते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो अब भी इस स्थिति के बने रहने के क्या कारण है ; और

(ग) इसमें परिवर्तन करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं०सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). लघु उद्योग प्राथमिकता- क्षेत्र के अन्तर्गत माने गये हैं और राष्ट्रीय ऋण परिषद् ने सिफारिश की है कि वाणिज्यिक बैंक लघु उद्योगों के लिए अधिक वित्त-प्रबन्ध करें। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन उद्योगों को अधिक ऋण दिये जाने के लिए राष्ट्रीय ऋण परिषद् की सिफारिश के आधार पर विशेष लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं और रिजर्व बैंक यह देखता रहता है कि वे इस संबंध में कितनी प्रगति करते हैं।

दिल्ली की वृहद योजना की जांच करने के लिये समिति

***1070. श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की वृहद् योजना की जांच करने के लिये हाल में एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन व्यक्ति हैं ;

(ग) उस समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(घ) समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

एक्स-रे फिल्मों की कमी

***1071. श्री लोबो प्रभु :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्स-रे फिल्मों का आयात बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में कितनी एक्स-रे फिल्मों का निर्माण किया जाता है और इन फिल्मों की पहले हुई खपत को ध्यान में रखते हुए सामान्य माग से कितनी कम फिल्मों का निर्माण होता है ; और

(ग) इस मांग को सम्पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण और आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1969 में स्वदेशी निर्माण अनुमानित मांग के आधे से कुछ अधिक होने की आशा है । इसकी मांग लगभग दस लाख वर्ग मीटर है ।

(ग) वर्तमान स्वदेशी निर्माण तथा अनुमानित मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए मेडिकल ऐक्स-रे फिल्मों के आयात के हेतु व्यापार योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान कर दिया गया है ।

नायलोन उद्योग

***1072. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में नायलोन उद्योग द्वारा प्रकाशित कराये गये इस विज्ञापन की ओर दिलाया गया है कि भारत में चोरी छिपे लाये जाने वाले नायलोन धागे की अनुमानित मात्रा प्रतिदिन भारत में बनाये जाने वाले नायलोन धागे की लगभग 50 प्रतिशत मात्रा के बराबर है ;

(ख) क्या चोरी छिपे देश में लाये जाने वाला माल आसानी से मिल जाने तथा देश में होने वाले उत्पादन पर भारी उत्पादन शुल्क के कारण बड़ी मात्रा में स्टाक जमा हो रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने नायलोन उद्योग में हो रही अनुचित प्रतियोगिता को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । यद्यपि नायलोन सूत का कुछ तस्कर आयात-निर्यात होता है, तथापि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि भारत में प्रतिदिन तस्कर-आयात किये जाने वाले नायलोन सूत की मात्रा भारत में नायलोन सूत के दैनिक उत्पादन के 50 प्रतिशत के बराबर है ।

(ख) निर्माताओं के कब्जे में इस वर्ष (फरवरी 1969 तक) नायलोन सूत का जितना स्टाक है वह उनके पास पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान पड़े स्टाक से सामान्यतः अधिक मालुम होता है ।

(ग) हाल के बजट प्रस्तावों के अन्तर्गत अधिक महीन किस्म के नायलोन सूत पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की दरें घटाकर बहुत कम कर दी गयी हैं । इसके अलावा, भारत में विदेशी माल के, जिसमें नायलोन सूत भी शामिल है, तस्कर आयात को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं । सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का हाल ही में संशोधन किया गया है और नायलोन सूत के अवैध आयात को रोकने के निमित्त उसमें अतिरिक्त उपबन्ध शामिल कर दिये गये हैं ।

Iron deposits in Chhatisgarh Area of Madhya Pradesh.

***1073. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mine and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rich iron deposits have been found in Chhatisgarh area of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the quantity thereof and the measures adopted to make use of them ;

(c) whether it is also a fact that the preliminary survey has shown that the quantity of iron in the ore exceeds 50 percent ; and

(d) whether such rich deposits of iron ore have also been found in any other area of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in The Ministery of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी क्वाटरों में अल्मारियों, बरसाती तथा वाश-बेसिन की व्यवस्था

***1074. श्री क० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टाइप दो तथा तीन के जिन सरकारी क्वाटरों में जहां अल्मारियों, बरसाती तथा वाश-बेसिन की व्यवस्था नहीं है, उनमें क्या सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार कब तक काम पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार ने 1942 के बाद बनाये गए टाईप II और टाईप III क्वार्टरों में अल्मारियों की व्यवस्था करने का निर्णय किया है, जहाँ ये नहीं हैं । तथापि, टाईप II और टाईप III क्वार्टरों में बरसातियाँ और वाश-बेसिन की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) क्योंकि अल्मारियों की व्यवस्था में होने वाला खर्चा काफ़ी है, यह कार्य चरणों (फेसिज) में किया जा रहा है । फिलहाल स्थिति निम्न प्रकार है:—

(i) लक्ष्मी बाई नगर:—	कार्य पूरा हो गया है ।
(ii) रामकृष्ण पुरम के सैक्टर I/ एवं I/II में दुकानों के ऊपर रिहायशी फ्लैट	कार्य शीघ्र ही पूरा होने की आशा है ।
(iii) सरोजनी नगर	कार्य शीघ्र ही पूरा होने की आशा है ।

अन्य कालोनियों में काम निधियों की उपलब्धि के अनुसार किया जायेगा ।

(ग) दिल्ली में सभी टाईप II और टाईप III के क्वार्टरों में वाश-बेसिन और बरसातियों की व्यवस्था पर आने वाला खर्चा 1·39 करोड़ रुपये के आसपास होगा। किफायत की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, इस व्यय का किया जाना वांछित नहीं समझा जाता।

दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों को भोजन तथा धुलाई भत्ता

***1075. श्री पी० विश्वम्भरत : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों को 1929 में नियत की गई दरों पर ही अब तक भोजन तथा धुलाई भत्ता दिया जाता है : और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों तथा वर्तमान जीवन निर्वाह लागत को ध्यान में रखते हुए इन भत्तों में वृद्धि करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) नर्सिंग कर्मचारियों के भोजन, मंहगाई तथा नगर पूर्ति भत्तों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Committee To Check Violations Of Delhi Master Plan

***1076. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a member of the Delhi Municipal Corporation has demanded constitution of an All Party Committee to check the violations of Master Plan ;

(b) whether it is also a fact that he has alleged such violation by the Corporation itself ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the steps proposed to be taken to check such violations ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a). No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

तूतीकोरिन (मद्रास) में उर्वरक कारखाना

1077. श्री एस. जेवियर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में तूतीकोरिन में एक उर्वरक कारखाना आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितना धन नियत करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द.रा. चव्हाण) : (क) और (ख). तूतीकोरिन में एक उर्वरक कारखाने की दो चरणों में स्थापना के लिये

पश्चिम जर्मन और जापान के सहयोग से, मेसर्स मद्रास स्टेट इण्डस्ट्रीयल डिवैल्पमेण्ट कारपोरेशन लि० से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस कारखाने के प्रथम चरण में प्रति वर्ष 2,98,000 मीटरीक टन अमोनिया और 2,80,500 मीटरीक टन यूरिया तथा दूसरे चरण में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 66,000 मीटरीक टन अमोनियम क्लोराइड और 66,000 मीटरीक टन सोडा राख का उत्पादन होगा। इस स्कीम में कुल अनुमानित व्यय लगभग 50 करोड़ रुपये हैं जिसमें लगभग 19.55 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा शामिल है।

(ग) योजना के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

राजस्थान को सतपुड़ा परियोजना से बिजली देना

***1078. श्री रा० कृ० बिरला :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को यह निदेश दिया है कि सतपुड़ा परियोजना से राजस्थान को बिजली भेजने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बीच बिजली दे दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). इस समय, वर्तमान पारेषण प्रणाली द्वारा राजस्थान को सतपुड़ा बिजली का राजस्थान के भाग का कुछ हिस्सा ही प्रेषित किया जा रहा है किन्तु इस उद्देश्य के लिये यह पर्याप्त नहीं। भारत सरकार के कहने पर मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने यह मान लिया है कि बुर्वाह से उज्जैन तक वर्तमान 132 के० वी० पारेषण लाईन में एक दूसरा सर्किट लगा दिया जाए जिससे राजस्थान सतपुड़ा बिजली का अपना लगभग पूरा हिस्सा लेने में समर्थ हो सकेगा। इस काम को शीघ्र ही हाथ में लिया जाएगा।

आयकर काटने के बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

***1079. श्री मयावन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन पर होने वाला व्यय कम करने की दृष्टि से सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में से आयकर काटकर उनके वेतन निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(ग) यदि सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है तो क्या सरकार ऐसे प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की संभावना पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

हिन्दुस्तान कौपर प्रोजेक्ट चालू करना

***1080. श्री बेणीशंकर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर, गुजरात और मध्य प्रदेश में अयस्कों के निक्षेपों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विमान से जो सर्वेक्षण कराया गया था क्या उसमें गम्भीर त्रुटियां पाई गई हैं ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम पर बहुत अधिक धन खर्च आया है जिसके परिणाम स्वरूप खेत्री स्थित हिन्दुस्तान कौपर प्रोजेक्ट के चालू करने में और अधिक विलम्ब हो गया है ;

(ग) क्या खेत्री परियोजना के लिए नियम राशि को 'आपरेशन हार्ड रॉक' के लिए प्रयुक्त कर देने से उक्त परियोजना को कोई हानि हुई है और यदि नियत राशि को भविष्य में भी किसी अन्य कार्यक्रम पर खर्च किया गया तो ऐसा करना इस परियोजना के लिए घातक सिद्ध होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए नियत राशि का अन्यत्र प्रयोग होने से रोकने और परियोजना को शीघ्रता पूर्वक चालू कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मैसूर, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के चुने हुए क्षेत्रों में हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है । अतः उसमें त्रुटियों का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ). हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड के लिए नियत राशियों में से "आपरेशन हार्ड राक" की ओर कोई राशि अपरिवर्तित नहीं की गई थी । अतः राशियों के अपवर्तन के कारण से खेतड़ी तांबा प्रयोजना को चालू किये जाने में देरी का प्रश्न नहीं उठता ।

ट्यूबक्यूलिन परीक्षण तथा बी० सी० जी० के टीके

6185. श्री बाबूराव पटेल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने ट्यूबक्यूलिन परीक्षण किये गये और बी० सी० जी० के कितने टीके लगाये गये, तथा इस समय कितने बी० सी० जी० दल कार्य कर रहे हैं :

(ख) ट्यूबक्यूलिन परीक्षण तथा बी० सी० जी० के टीकों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है :

(ग) क्या यह सच है कि घर-घर जाकर बड़े पैमाने पर लोगों को टीके लगाने की योजना असफल रही है और मुश्किल से 50 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो पाया है और यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस अवधि में बी० सी० जी० के टीके लगाने से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोगों को बी० सी० जी० के कारण अन्य रोग हो गये हैं, इन रोगों का ब्योरा क्या है, उनका किस प्रकार का उपचार किया गया तथा उसका क्या परिणाम रहा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (ब० सू० मूर्ति) :

(क) वर्ष	किये गये ट्यूबक्यूलिन परीक्षण (लाख में)	बी० सी० जी० (टीके) (लाख में)
1966	71.70	96.04
1967	42.54	93.67
1968	33.82	85.31

इस समय 221 बी० सी० जी० दल कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रति वर्ष लगभग 88.00 लाख रुपये।

(ग) घर घर जाकर बड़े पैने पैमाने पर लोगों को टीके लगाने की योजना असफल नहीं रही है। देश भर में 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक लक्ष्य पूरा हो गया है। काम पीछे रह जाने के कुछ कारण इस प्रकार हैं

(एक) जन संख्या का अलग अलग स्थानों में रहना।

(दो) बी० सी० जी० दलों की अपर्याप्त संख्या।

(तीन) एक समय में घर में सब बच्चों के मिलने में कठिनाई।

(घ) इस अवधि में बी० सी० जी० के टीके लगाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु का अथवा किसी व्यक्ति को कोई अन्य बड़ा रोग होने का समाचार नहीं मिला है। कभी कभी थोड़े से टीके वाले भाग में कुछ प्रतिक्रिया सी होती और वहां पर का मांस थोड़ा सा फूल जाता है। किन्तु ये बिना किसी विशेष उपचार के अपने आप ठीक हो जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से प्राप्त हुआ ऋण

6186. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से 50 वर्षों में अदायगी योजना के अन्तर्गत अब तक ऋण की कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है, इस ऋण की पहली किश्त की अदायगी किस वर्ष की जायेगी तथा किश्त कितनी राशि की होगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (जो विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है) ने विभिन्न परियोजनाओं के लिये अब तक भारत को 1,01,01,21,131 अमरीकी डालर की राशि के 22 विकास ऋण दिये हैं। इस ऋण की अदायगी 40 वर्ष की अवधि में अर्ध वार्षिक किश्तों में की जायेगी और पहली किश्त 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि के बाद आरम्भ होगी। पहले ऋण की अदायगी वर्ष 1971 में आरम्भ होगी।

उपर्युक्त ऋणों सम्बन्धी एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 734/69]

गुजरात में पैदा किये गये तम्बाकू से वसूल हुआ उत्पादन शुल्क

6187. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में गुजरात राज्य में कितनी भूमि में तम्बाकू की खेती प्रारम्भ की गई;

(ख) उक्त अवधि में इस क्षेत्र में कितना तम्बाकू पैदा हुआ; और

(ग) उस पर कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गुजरात राज्य में वर्ग 1968 के दौरान 1,04,668 हेक्टर के क्षेत्रफल में तम्बाकू की खेती की गई।

(ख) 13,95,30,861 किलोग्राम।

(ग) उत्पादित तम्बाकू को निम्नलिखित चार तरीकों में से किसी एक तरीके के अनुसार निपटाया जा सकता है:—

(i) शुल्क अदा करने पर निकासी करना;

(ii) सार्वजनिक गोदाम में जमा करना;

(iii) तम्बाकू-तैयार करने वाले के स्वयं अपने स्थान में बिना शुल्क अदायगी के माल जमा करने के गोदाम में रखना; और

(iv) थोक व्यापारी को हस्तांतरित करना जिसके पास, ऐसे उत्पाद् को संग्रह करने के लिये गोदाम का लाइसेंस है।

गुजरात् राज्य में तम्बाकू से वर्ष 1968 में वसूल की गयी उत्पादन-शुल्क की कुल रकम, उत्पादन के क्षेत्रफल तथा वर्ष का विचार किये बिना, 4,65,57,455 रुपये है।

वस्तुओं की समान दरों पर बिक्री

6188. श्री सुब्रावेलू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट, कोयला जैसी वस्तुएं सारे देश में समान दर पर बेची जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कौन कौन सी वस्तुएं एक समान दर पर बेची जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

वेतन में मंहगाई भत्ता मिलने पर वार्षिक वृद्धि

6189. श्री अदिचन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को वेतन में मंहगाई भत्ता मिलाने पर उन्हें बढ़ी हुई उन दरों से वार्षिक वृद्धि मिलनी आरम्भ हो जायेगी, जो उन्हें पुराने वेतन में मंहगाई भत्ता मिलाने पर प्राप्त राशि के बराबर उनके वेतनमान के स्तुर पर मिलती, उदाहृणार्थ क्या 210-10-270-15-480-ई० बी०-20-530 रुपए के वेतन-क्रम में जिन कर्मचारियों का वेतन 480 रुपए अथवा उससे अधिक हो जाता है उन्हें 20 रुपये की वार्षिक वृद्धि मिलनी आरम्भ हो जायेगी अथवा नहीं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) मंहगाई भत्ते के एक अंश को कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए वेतन मान लिया गया है। मंहगाई भत्ते को मिला देने से वेतनमानों में संशोधन नहीं किया गया है। अतः विभिन्न वेतनमानों में वार्षिक वेतन वृद्धियाँ समय समय पर प्राप्त किये जा रहे मूल वेतन के अनुरूप ही विनियमित होती रहेंगी ।

टाइप एक क्वाटरों में रह रहे कर्मचारियों द्वारा टाइप दो के क्वाटर लेने से इन्कार करना

6190. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य **तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4062 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टाइप एक के क्वाटरों में रहने वाले श्रेणी तीन के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें टाइप दो के क्वाटर लेने के लिये कहा गया था किन्तु उन्होंने उन्हें इन्कार कर दिया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जनवरी, 1968 से फरवरी, 1969 की अवधि में दिल्ली। नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के टाइप I में रह रहे श्रेणी III के 290 कर्मचारियों को टाइप II के वास का प्रस्ताव किया गया किन्तु उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया ।

त्रिपुरा में गांव में बिजली की व्यवस्था

6191. श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक त्रिपुरा में कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था हो गई है तथा अभी तक कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था की जानी शेष है ;

(ख) त्रिपुरा में गांवों में बिजली की व्यवस्था करने के बारे में वर्ष 1969-70 तथा उस राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या क्या योजनाएं हैं ;

(ग) उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(घ) इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये केन्द्र से कितनी सहायता मांगी है तथा कितनी दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क). 31-3-1969 को जो स्थिति थी, उसके अनुसार त्रिपुरा में 54 ग्रामों में बिजली लग चुकी थी और 4878 ग्रामों को बिजली दी जानी शेष थी ।

(ख) से (घ). त्रिपुरा में 1969-70 के दौरान 14 ग्रामों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है। चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

राज्यों में बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग

6192. श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : क्या **सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में बिजली के प्रति व्यक्ति उपभोग के नवीनतम अलग अलग आंकड़े क्या हैं; अखिल भारतीय आंकड़े क्या है तथा त्रिपुरा के आंकड़ों की तुलना में ये कितने अधिक हैं अथवा कितने कम ;

(ख) क्या त्रिपुरा में बिजली के प्रतिव्यक्ति उपभोग के आंकड़े बहुत कम है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ये आंकड़े किस सीमा तक अखिल भारतीय आंकड़ों के स्तर तक आजायेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 735/69]

(ख) जी, हां।

(ग) चौथी योजना के बन जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

त्रिपुरा में अधिष्ठापित विद्युत् क्षमता

6193. श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में वर्ष 1951 में तथा पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में प्रति एक हजार जन संख्या के लिये क्रमशः अधिष्ठापित बिजली क्षमता कितनी थी तथा बाद की तीन वार्षिक योजनाओं में उसमें कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय आंकड़े क्या है ;

(ग) त्रिपुरा में उपर्युक्त अवधि में इस संबन्ध के बृद्धि की दर क्या रही ; और

(घ) राज्य में विद्युत् जनन क्षमता बढ़ाने के लिये त्रिपुरा की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक त्रिपुरा में प्रति एक हजार जन संख्या पर अधिष्ठापित क्षमता अखिल भारतीय स्तर पर किस सीमा तक आजायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी परिशिष्ट में दी गई है

विवरण

प्रति 1000 जनसंख्या पर किलोवाट में अनुमानित प्रतिष्ठापित बिजली उत्पादन क्षमता (केवल सार्वजनिक उपक्रम)

	प्रथम योजना का आरंभ	प्रथम योजना की समाप्ति पर	दूसरी योजना की समाप्ति पर	तीसरी योजना की समाप्ति पर	मार्च 1967 तक	मार्च 1968 तक	मार्च 1969 तक (अस्थायी)
त्रिपुरा	0.478	0.552	0.83	1.79	1.97	1.90	2.03
अखिल भारत	4.733	6.77	10.62	18.12	20.30	22.96	24.43

(ग) प्रतिष्ठापित क्षमता प्रात 1000 लोग वृद्धि की औसत दर निम्नलिखित है :

प्रथम योजना के दौरान	3.1%
दूसरी योजना के दौरान	10.0%
तीसरी योजना के दौरान	23.1%
1-4-66 से 31-3-69 तक की अवधि में	4.3%

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के तैयार होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होजानी

राजकीय जूनियर मॉडल स्कूल, तलवाड़ा

6194. श्री बृजराज सिंह : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब शिक्षा विभाग चंडीगढ़ स्थित राजकीय जूनियर मॉडल स्कूल की ही भांति राजकीय जूनियर मॉडल स्कूल तलवाड़ा टाउनशिप को भी पिछले तीन वर्ष से चला रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्कूल के अधिकतर छात्रों के माँ-बाप चाहते हैं कि स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिन्दी/पंजाबी हो जैसा कि इस समय है और पंजाब शिक्षा विभाग इस स्कूल को चलाता रहे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि व्यास परियोजना प्रशासन ने दिनांक 23 सितम्बर, 1968 को अपने डी० ओ० पत्र संख्या 510/बी० पी० टी० में पंजाब सरकार (शिक्षा विभाग) से कहा है कि शिक्षा के वर्तमान माध्यम हिन्दी/पंजाबी के स्थान पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) परियोजना अधिकारियों ने यह बताया है कि पंजाब शिक्षा विभाग, तलवाड़ा के जूनियर मॉडल स्कूल को उसी आधार पर नहीं चला रहा था जिस पर चण्डीगढ़ के मॉडल स्कूल चल रहे हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि परियोजना के अधिकारियों में असन्तोष फैल गया।

(ख) जी नहीं, किन्तु तलवाड़ा में परियोजना पर काम कर रहे स्टाफ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें यह प्रार्थना की गई थी कि शिक्षा का माध्यम हिन्दी/पंजाबी होना चाहिए।

(ग) निर्दिष्ट अर्ध सरकारी पत्र में यह कहा गया था कि तलवाड़ा के मॉडल स्कूल को उसी आधार पर नहीं चलाया जा रहा था जिस पर चण्डीगढ़ के मॉडल स्कूलों को चलाया जा रहा है और कि स्कूल परियोजना अधिकारियों को सौंप दिया जाए।

(घ) निर्दिष्ट अर्ध सरकारी पत्र की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 736/69]**

तलवाड़ा नगर में व्यास परियोजना प्रशासन का आदर्श स्कूल

6195. **श्री बृजराजसिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन व्यास नियन्त्रण बोर्ड नई दिल्ली ने तलवाड़ा नगर के लिये एक आदर्श स्कूल (छठी कक्षा तक के लिये) मंजूर किया था जिसे चण्डीगढ़ में पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे आदर्श स्कूल के तरीके पर चलाया जाना था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार मंजूरी की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी आदर्श स्कूल चण्डीगढ़ में शिक्षा का माध्यम हिन्दी/पंजाबी है और वहाँ आरम्भ से ही अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि मूल निकाय व्यास परियोजना प्राधिकार ने जूनियर मॉडल स्कूल तलवाड़ा को पंजाब शिक्षा विभाग को सौंप दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) व्यास नियन्त्रण बोर्ड की आठवीं बैठक की कार्रवाई के विवरण का उद्हारण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 737/69**]

(ग) चण्डीगढ़ में इस समय दो सरकारी मॉडल स्कूल चल रहे हैं इनमें से एक सीनियर है और दूसरा जूनियर। सीनियर मॉडल स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है जब कि जूनियर मॉडल स्कूल में यह हिन्दी/पंजाबी है और अंग्रेजी शुरू से ही पढ़ाई जाती है।

(घ) और (ङ) जिन लोगों के बच्चे पढ़ाई के काबिल हो चुके थे उनकी एक संस्था पब्लीक स्कूल आधार पर अपनी ही लागत पर एक मॉडल स्कूल चलाया था जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया था। बाद में जब व्यास नियन्त्रण बोर्ड ने अपने संलग्न निर्णय के अन्तर्गत इसे स्वीकार कर लिया तो पंजाब शिक्षा विभाग से यह प्रार्थना की गई कि वे तलवाड़ा के मॉडल स्कूल को अपने हाथ में ले ले और इस बोर्ड द्वारा स्वीकृति पद्धति पर परियोजना की ही लागत पर चलाये।

Allocation Of Diesel Oil To Maharashtra State.

6196. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Matals be pleased to state :

(a) the quota of diesel oil allocated to Maharashtra State from January to March, 1969 and the quantity thereof actually supplied to the State during this period ;

(b) whether it is a fact that there was paucity of diesel oil in the State and it was not available in cities during the above period ; and

(c) if so, whether Government have increased the quota of diesel oil being allotted to the Maharashtra State and if so, the extent thereof ?

The Minister of State in The Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) There are no State quotas for high speed or for light diesel oil. For the latter product, monthly demand estimates are made for the States

with heavy consumption, including for Maharashtra. Supplies are made against these estimates, subject to demand materialising. Estimates made for Maharashtra for January-March 1969 and actual despatches were :

(Tonnes).

	Quota	Despatches.
January, 1969	15,000	13,210
February, 1969	16,500	12,974
March, 1969	16,000	15,244

(b) Shortage of L. D. O. was reported from some Districts of Maharashtra due to poor despatches from Bombay, where rail loading was affected due to labour problems of the Bombay Port Trust Railway.

(c) In consultation with the State Government, the April demand for Light Diesel Oil has been estimated at 16,500 tonnes. The oil companies have been asked to despatch the entire quantity, and if need be more, subject to demand Materialising.

सेक्शनल आफिसरों की पदोन्नति

6197. श्री एस०डी० सोमसुन्दरम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती सम्बन्धी नियमों के भाग पाँच के अन्तर्गत केवल स्थायी सेक्शनल आफिसरों को पदोन्नत किया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो अस्थायी सेक्शनल आफिसरों को किन नियमों के अन्तर्गत पदोन्नत किया जा रहा है; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के कोटे में सेक्शनल आफिसरों (अस्थायी) को असिस्टैंट इंजीनियरों की श्रेणी में पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि वे भी उतनी ही अर्हता प्राप्त हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) भर्ती नियमों के भाग IV के अधीन सहायक इंजीनियर के ग्रेड में नियुक्ति के लिये उन अस्थाई सैक्शनल आफिसरों को चुना जाता है, जो स्नातक होते हैं।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के कोटा की पूर्ति आयोग द्वारा लिए गए इन्जीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अथवा अन्य विभागों से अधिकारियों का स्थानान्तरण द्वारा, यदि कोई है, की जाती है। अस्थाई सैक्शनल आफिसरों को सीधी भर्ती के कोटा में सहायक इन्जीनियरों के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि वे अन्यथा पात्र हैं, तो इन्जीनियरिंग सेवा परीक्षा में बैठ सकते हैं और यदि वे सफल हो जाते हैं, तो वे सीधी भर्ती के कोटा में नियुक्त किए जायेंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों में नर्सों के वर्दी भत्ते में वृद्धि

6198. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों में काम करने वाली नर्सों के वर्दी भत्ते में वृद्धि करने के बारे में उनके मन्त्रालय ने दिल्ली प्रशासन को

दिनाँक 17 अप्रेल, 1967 को एक पत्र संख्या एफ० 12-71/66 एच० भेजा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रशासन ने उसे कार्यरूप दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक कार्य रूप दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या नर्सों को पिछले दो वर्षों की इस भत्ते की बकाया राशि दी जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री **(श्री ब०सू० मूर्ति)** : (क) से (घ). स्वास्थ्य मंत्रालय के 17 अप्रेल, 1966 के पत्र संख्या एफ० 12-71/66 एच० में अंकित आदेश दिल्ली प्रशासन के अधीन अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ पर 1 जून, 1966 से लागू किये गये थे। ये आदेश राज्य बीमा निगम, जो कि एक स्वशासी निकाय है, के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्त डाक तथा तार के इंजीनियर

6199. श्री प० मु० सईद :
श्री सूरज भान :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में डाक तथा तार के इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की वास्तविक अवधि कितनी थी ;

(ख) क्या उन अधिकारियों को वर्तमान पदों पर नियमित करने अथवा उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर डाक तथा तार विभाग में वापस भेजने का विचार है और यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ग) डाक तथा तार विभाग में रहने पर उनके काम के सामान्य घण्टों को ध्यान में रखते हुए उनके विशेष रूप से सत्तावधि में काम के घंटे क्या हैं ;

(घ) काम के सामान्य घंटों के बाद काम करने पर उन्हें इस समय क्या प्रतिकर दिया जा रहा है अथवा देने का विचार है ;

(ङ) इन अधिकारियों की आवास के नियतन के लिये प्रतीक्षा सूची में दर्शायी गई स्थिति क्या है ; और

(च) विशेष वेतन देने के मामले में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सहायक इंजीनियर की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में आने की तारीख 14-9-1967 है तथा उसके मामले में कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है।

इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में आने की तारीख 21-7-1967 है और उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि फिलहाल दो वर्ष है।

(ख) उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में संविलीन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सत्रों के बीच की अवधि के दौरान, इन अधिकारियों के काम के घण्टे सामान्य होते हैं, अर्थात 9·30 पूर्वाह्न से 4·30 अपराह्न। डाक तथा तार विभाग में इन वर्गों के गैर-शिफ्ट स्टाफ के लिए काम के निर्धारित घण्टे भी 9·30 पूर्वाह्न से 4·30 अपराह्न ही हैं। पत्र की अवधि में, एक घण्टा लंच के साथ सामान्य काम के घण्टे 9·00 बजे पूर्वाह्न से 5·00 बजे अपराह्न हैं। लेकिन इन अधिकारियों को सायंकाल लोक सभा और राज्य सभा के स्थगित होने तक देर तक बैठना पड़ता है।

(घ) डाक तथा तार विभाग से प्रति नियुक्ति पर आये हुए दोनों अधिकारी दर्जे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर तथा सेक्शनल अफसर के समकक्ष हैं। चूंकि वे पर्यवेक्षक स्टाफ के वर्ग में आते हैं, अत: उनके काम के घण्टे कार्य की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किये जाते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों तथा सेक्शनल अफसर के समान, डाक तथा तार विभाग के इन अधिकारियों को काम के सामान्य घण्टों के बाद काम करने पर कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता।

(ङ) सामान्य पूल से वास के तत्काल आवंटन के लिए ये दोनों अधिकारी बहुत कनिष्ठ है क्योंकि सेवा में अपेक्षाकृत हाल ही में आये हैं।

(च) यह बताना सम्भव नहीं है कि विशेष वेतन के मामले के विचार पर अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा।

Publication of Reports Etc.

6200. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the names, dates of publications, languages in which published, prices and position regarding the availability of the reports submitted and published by all kind of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committeess relating to his Ministry and subordinate institutions and organisations during the last three years ?

The Minister of State In The Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : A statement showing the information in respect of the Departments of Petroleum and Chemicals is attached.

Statement

Name of Publication.	Date of Publication.	Language in which Published	Price	Position regaring availability
1. Report of the Fertilizers Study Team	19-8-1968	English	Not a Priced Publication.	It is for Official use only.
2. Report of the Retail Outlets Committee.	Nov.,1967	English	Rs. 3.95 per copy	Copies are available with Manager of Publications, Delhi.
3. Report of the Working Group on Oil Prices.	18-3-1966	English	Rs. 5.00 per copy	338 copies are available for sale.

Information in respect of the Department of Mines & Metals is being collected and will be laid on the Table of the House.

Publications Brought Out By Finance Ministry

6201. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of Finance be pleased to state the names,date of publication,languages in which published, prices and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and its attached and subordinate offices and organisations during the last three years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The information is furnished in the statement attached. [Placed in Library. Sec. No. LT.—738/69]

दिल्ली में एम० बी० बी० एस० की परीक्षा देने वाले छात्र

6202. श्री जनार्दनन : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने छात्रों ने एम० बी० बी० एस० की परीक्षा दी थी; और

(ख) इन परीक्षाओं में प्रति वर्ष कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष	एम० बी० बी० एस० की परीक्षा वाले छात्र (अनुपूरक परीक्षा सहित)	एम० बी० बी० एस० परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र (अनुपूरक परीक्षा सहित)
1966	254	229
1967	287	264
1968	298	282
योग	839	775

अमोनिया का आयात

6203. श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमोनिया के आयात के लिये लाइसेंस देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य कितना है; और

(ग) किस देश में अमोनिया का आयात करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

6204. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के मामलों के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) इसके निदेशकों ने आय कर की कितनी बकाया राशि देनी है; इन निदेशकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक ने कितनी राशि देनी है ; और

(ग) 1968 में सरकार ने इस कम्पनी से तथा इसके निदेशकों से कितनी राशि वसूल की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा जुलाई 1951 से मई 1954 तक निर्यात किये गये कच्चे लोहे और जनवरी 1957 से जनवरी 1963 तक निर्यात किये गये कालीनो पर लगाये जाने वाले जूट के अस्तर के सबम्न्ध में उसके विरूद्ध चलाये गये सीमाशुल्क के मामलों के कारण आयकर अधिकारियों द्वारा उस कम्पनी के मामलों में की गयी जांच पड़ताल से है। जहां तक कालीन पर लगाये जाने वाले जूट के अस्तर के निर्यात का सवाल है, आयकर अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है। अन्य जांच पड़ताल जारी है।

(ख) कम्पनी के जिन निदेशकों की तरफ आयकर का कोई बकाया नहीं है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं

1. सर वाल्टर माइकलमोर
2. श्री डी० सी० बी० पिलकिंटन
3. श्री डी० एल० बी० रा०
4. श्री जे० एल० एड्डीसन स्काट
5. श्री पी० प्रसाद
6. श्री एफ० सी० बघवार

(ग) आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 23 ए के अधीन कम्पनी के विरूद्ध कर निर्धारण वर्ष 1955-56 तथा 1957-58 से 1961-62 तक के सम्बन्ध में लगभग 6 लाख रुपये की रकम बाकी है। निर्धारिती ने कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है और उस याचिका पर फैसला होने तक स्थान आदेश प्राप्त कर लिया है। निर्धारिती ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के इतमीनान के लिए पर्याप्त ज़मानत भी पेश कर दी है।

चूंकि कम्पनी के निदेशकों की तरफ आयकर की कोई बकाया नहीं है, अतः उसकी वसूली का सवाल नहीं उठता।

Civic Amenities To Villages Around Delhi

6205. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that many villages have come under the Delhi Administration during the last few years and the responsibility for their development rests on the Delhi Development Authority ;

(b) whether it is also a fact that facilities of drinking water, light and latrines do not exist in many of these villages ; and

(c) if so, the reasons therefor and when arrangement would be made therefor ?

The Minister of State in The Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The Delhi Development Authority are responsible for the development of those urban villages of Delhi, which at present fall within the. 'development areas' of the Authority. They have already prepared development plans for 32 villages and arrangements are being made for providing basic amenities such as latrines, pavement of streets and storm water drainage in these villages.

Use of Chlorotetra Cyclin

6206. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the former Deputy Superintendent of Hindustan Antibiotics Plant, Rishikesh and an Expert Committee have expressed the view that the use of chlorotetra cycline on human body is not desirable and consequently its production capacity shold be reduced ; and

(b) if so, the reasons for importing chlorotetra cycline plant ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). The Government are aware that a Committee of Directors of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. had. advised a reduction in the capacity of chlorotetra cycline and an increase in the capacity of tetracycline on the ground that the latter had a relatively better therapeutical value. This was also stated by a Deputy Superintendent of the Antibiotics Plant, Rishikesh. That the use of chlorotetraycline for human purposes is considered desirable will be evident from the fact that it is included in the Indian Pharmacopoeia, 1966 and the U.K. Pharmacopoeia, 1968. In view of this fact as well as the patential use of the drug in veterinary practice for prophylactic and therapeutic purposes as seen in Russia and other countries, steps have been taken to import the plant.

Central Assistance For Improvement of Slum Areas

6207. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount granted to various States, year-wise, under the Central scheme for removal and improvement of slum areas during the last three years and the amount out of it which could not be spent ;

(b) the reasons therefor ; and

(c) the preventive action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) A statement indicating the amount of Central assistance allocated and released to the State Government during the years 1966-67, 1967-68 under the Slum Clearance Scheme is attached. [**Placed in Library. See. No. LT. 739/69**]

(b) and (c). The Scheme is implemented by the State Government. Central assistance under the Scheme is released to them according to the prescribed procedure on the basis of the figures of actual expenditure for the first three quarters and anticipated expenditure for the fourth quarter, as reported by the State Government. Utilisation of funds under the Scheme depends, inter alia on the priority accorded to it by the different State Government, and the extent to which corresponding provisions can be accommodated by them within their respective Plan ceilings.

बैंकों के निदेशकों द्वारा धन का उपयोग

6208. श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि गत तीन वर्षों में भारतीय बैंकों का कितना धन उनके निदेशकों द्वारा अपने उद्योगों के लिए उपयोग में लाया गया और कितना रुपया बैंकों के अन्य जमाकर्ताओं द्वारा काम में लाया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसका बैंकवार ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या धन पर बैंकों के निदेशकों के उद्योगों से भी उसी दर पर ब्याज लिया गया जिस दर पर अन्य लोगों से लिया गया ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण साथ लगा दिया गया है जिसमें 1966 और 1967 के अन्त की आवश्यक सूचना दी गई है। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०740/69**) 1968 के लिए सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी। हाल में संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, की धारा 20 के अनुसार 1 फरवरी, 1969 से निदेशकों को और जिन कम्पनियों में उनका स्वार्थ है उन्हें ऋण और अग्रिम देना मना है।

(ख) और (घ). निदेशक और गैर-निदेशक कर्जदारों में कोई भेद नहीं है। फिर भी, बैंकों द्वारा अपने अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर आम तौर पर ऐसी बातों पर निर्भर रहती है जैसे ऋण के लिए दी गई जमानत, वह प्रयोजन जिसके लिए ऋण दिया गया है, ऋण लेने वाले की पात्रता और उसका पूर्ववृत्त आदि।

पक्षाघात

6209. श्री प० मु० सईद :
श्री मणिकभाई जे० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1968 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'पक्षाघात से पीड़ित 20 लाख व्यक्ति' शीर्षक के अधीन छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पक्षाघात से पीड़ित 20 लाख व्यक्तियों से सम्बन्धित समाचार का सत्यापन करने के लिए सरकार ने अपने निजी साधनों से जानकारी एकत्र की है और यदि हां, तो सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं;

(ग) 'लेथीरिज्म' नामक पक्षाघात किन कारणों से होता है; और

(घ) इस रोग की रोक-थाम के लिए सरकार ने क्या उपाय सुझाये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश में पक्षाघात के रोगियों की संख्या लगभग 25,000 हैं। बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में 'लेथीरिज्म' नामक पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 'लेथीरिज्म' टांगों के निचले भाग में होने वाला एक आक्षेपी पक्षाघात है और यह एक लम्बे अर्से तक केसरी दाल (लेथीरंस सटिवस) को दाल के रूप में अथवा इसके बेसन की नमकीन रोटियों के रूप में अधिक मात्रा में खाने से हो जाता है। यह सिद्ध हो चुका है कि यदि लम्बे अर्से तक भोजन में कुल कैलरी का 40 प्रतिशत अंश केसरी दाल से प्राप्त किया जाय तो इससे पक्षाघात हो सकता है। टाक्सिक तत्व जिससे यह पक्षाघात हो जाता है वह इसके बीजों में विद्यमान है और इसे न्यूरो-टाक्सिक तत्व कहते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर तथा पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद दोनों ने इस तत्व का रासायनिक रूप से पता लगा लिया है और इसे 'बी' आक्सलायल अमिनो अलानाइन नाम से अभिहित किया है।

(घ) निरोधी उपायों में लोगों को केसरी दाल के उपभोग से उत्पन्न होने वाले खतरों से अवगत कराना सम्मिलित है। जिन राज्यों में इस प्रकार के हालात विद्यमान हैं वहां स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

हाल ही में हैदराबाद की पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला ने मार्गदर्शी प्रयोगों द्वारा यह

प्रदर्शित किया कि लम्बे अर्से तक बीजों को पानी में भिगोये रखने और फिर उन्हें चन्द घण्टों तक उबालने के बाद पानी को निकाल कर फेंक देने से न्यूरो टाक्सिक तत्व को एक साधारण तरीके से दूर किया जा सकता है। इसके बाद भीगे हुए बीजों को सुखाया जा सकता है तथा साधारण रूप से उन्हें दाल अथवा बेसन बनाकर उपयोग में लाया जा सकता है। इस तरीके की व्यवहार्यता की जांच करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मध्य प्रदेश में एक मार्गदर्शी पार-वायलिंग प्लांट लगाया जा रहा है।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की वृहत् योजना

6210. श्री ओंकार सिंह : श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री कंवर लाल गुप्त : डा० कर्ण सिंह:
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान सरकार को अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिये अपनी 70 करोड़ रुपये की लागत वाली वृहत् योजना को क्रियान्वित करने के लिए कहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने समस्या के समाधान के लिए कुछ प्राथमिकताएं निश्चित की हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). जी हाँ। 1954 में जब से राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम चलाया गया तब से ग्राम जलपूर्ति एवं सफाई परियोजनाओं की प्राथमिकता सूचि तैयार करने तथा प्राथमिकता निश्चित करने के लिए निम्नलिखित कसौटियां विहित की गई थी :—

(1) हैजा, टाइफाइड, ज्वर तथा दूषित जल तथा गन्दगी, जन्य रोगों से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र।

(2) पानी की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र।

(3) जन स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र जहां विस्तृत धार्मिक सेवाओं का विकास किया जा रहा है।

(4) तीर्थ स्थान।

बाद में पेय जल बोर्ड की सलाह के अनुसार राज्य सरकारा से अनुरोध किया गया कि

वे जल पूर्ति की समस्याओं के संबंध में व्यौरे निम्नलिखित चार वर्गों के बारे में व्यौरे एकत्र करें :—

(1) जटिल तथा अभावग्रस्त क्षेत्र ।

(2) विशेषरूप से पिछड़े हुए क्षेत्र ।

(3) वे क्षेत्र जहां पानी की सप्लाई असुरक्षित है तथा स्वच्छ पेय जल नहीं मिलता ।

(4) पानी की अपर्याप्त सप्लाई वाले क्षेत्र.।

राज्य सरकार द्वारा आंकी गई कुल अनुमानित लागत लगभग 70 करोड़ रुपये है ।

दिल्ली वृहत योजना में संशोधन

6211. श्री ओंकार सिंह :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की वृहत योजना में गत् पाँच वर्षों में क्या-क्या संशोधन किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली से निर्वाचित संसद सदस्य वृहत् योजना में संशोधन करने के लिए बार-बार अनुरोध कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यथोचित कार्यवाही करने के लिए कोई व्यवस्था स्थापित की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) एक सूची संलग्न है । **(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 741/69)**

(ख) संलग्न सूचि में दिखाए गए/कुछ संशोधन दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर किए गए हैं । तथापि इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के संसद सदस्यों से, कोई विशिष्ट संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) तथा (घ). दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन करने के उपबन्ध, दिल्ली डिवैलपमेंट एक्ट, 1957 के अध्याय III-ए में है ।

Prevention of Smuggling of Watches

6212. Shri Om Prakash Tyagi:
Shri Ram Swarup Vidyarthi:
Shri Narain Swarup Sharma:

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 4530 on the 16th December, 1968 and state :

(a) the steps taken so far by Government to check the increasing inoidonts of smuggling of foreign watches into India ;

(b) the names of the routes through which watches are being smuggled into India at present ; and

(c) the manner in which the watches seized during their smuggling into India are disposed of ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Apart from intensified arrangements for collection of intelligence, greater vigilance in the coastal areas and procurement of fast sea going crafts, the preventive staff in the collectorates of Customs and Central Excise have been suitably redeployed to tackle smuggling effectively. The Customs Act has also been amended for the purpose inter alia of checking the illegal import of watches and facilitating the detection of illegally imported watches.

(b) Watches are smuggled into india mainly from Dubai and also brought by passengers coming from Hong Kong, Singapore, Malaya, Japan, Nepal and Ceylon and also by ship's crew from various ports, in the guise of baggage.

(c) Seized watches, after confiscation, are sold to Military Canteen, Stores, Central Government Employee's Consumer Cooperative Societies run by the Ministry of Home Affairs and to the National Consumer Cooperative Federation Ltd. for sale to consumers through Cooperative Stores throughout the country.

Use of Hindi in State Banks' Branches.

6213. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether all the Branches of the State Bank of India have been asked to use Hindi ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that various branches of the Bank accept Hindi signatures only after getting them attested ;

(d) if so, the reasons therefor ;

(e) whether this condition has been laid down in the case of English signatures also ; and

(f) if not, the reasons for discriminating between signatures in English and the steps being taken to remove it ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Steps have been initiated by the State Bank of India for the progressive use, wherever feasible, of Hindi and other regional languages.

(c) to (f). Signatures in Hindi are accepted and no discrimination is made in this regard between signatures in English and Hindi.

Popularising of Family Planning Programmes in Delhi Villages.

6215. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :

will the Minister of **Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4625 on the 16 th December, 1968 and state :

(a) the number of exhibitions, cinema shows and symposia organised during the period from July to December, 1968 with a view to popularising family planning in villages in Delhi ; and

(b) the amount incurred thereon during the above period ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The number of exhibitions, Cinema Shows and symposia organised in Delhi villages from July to December, 1968 are as under:-

Exhibitions :	25
Cinema Shows :	139
Symposia :	3

(b) The amount incurred thereon during that period was Rs. 4, 000, over and above the normal expenditure on Staff etc.

Film Actors and Actresses Paying Income-Tax Question

6215. Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :

will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of such film actors and actresses in the country as are Income-tax payers ;

(b) the amount of income of each of the film actors and actresses during the years 1967-68 and 1968-69 and amount of Income-tax realized from them ;

(c) whether it is a fact that many of the said film actors and actresses have evaded the Income-tax ; and

(d) the names of such actors and actresses and the action taken to realise the arrears ?

The Deputy Prime Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d). There are a large number of film actors and actresses who are Income-tax payers. The required information is not available and its collection will involve considerable time and labour. However, the required information will be furnished as soon as possible, in respect of persons who were assessed over Rs. 1 lakh during the financial year 1968-69.

Unclaimed premia lying with L. I. C.

6216. Shri Kanwar Lal Gupta: will the Minister of Finace be pleased to state:

(a) the total amount deposited with the Life Insurance Corporation up to the 31 st March, 1968 by such persons who stopped paying premia later on and also did not claim the money back ; and

(b) the special steps being taken by Government to return their money to them other than sending only a formal letter to such people ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Information is not available.

(b) If the policy was discontinued during the first two years there would be no surrender value or refund of premiums due to the policyholders. They have the right only to revive their policies by complying with requirements laid down by the Corporation. If the policy is discontinued after premiums have been paid for two years, the policy continues to be in force as a paid-up policy for a reduced amount which will become payable on death or maturity of the policy and advice is sent to the policyholder to this effect. On the death of the policyholder or on maturity, the claim is dealt with in the same manne as other elaims. The local branch office also makes efforts to contact

the policyholder or ascertain his correct address if there has been no response to letters addressed to him. LIC is taking all necessary and possible steps for making payments to policyholders of all amounts due to them.

Opening of New Medical Colleges

6217. Shri Kanwar Lal Gupta : will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1559 on the 3rd March, 1969 and state :

(a) the reasons for opening only 10 medical colleges in the country during the next Five Year Plan ;

(b) the number of new medical colleges required to meet the country's overall requirements and the manner in which the gap is proposed to be filled in ;

(c) whether Government propose to open a new medical college in Delhi ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in The Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Keeping in view the availability of resources, manpower and equipment the establishment of only ten new medical colleges is envisaged in the Fourth Five Year Plan. It is considered that the emphasis Should be on bringing the existing medical colleges to the requisite standard rather than on expansion.

(b) According to the norm recommended by the Health Survey and planning Committee, the country would need 120 medical colleges by the end of the Fourth Five Year Plan. There are at present 93 medical colleges with an admission capacity of over 11,500 per annum. The addition of ten medical colleges proposed to be opened in the Fourth Plan would increase the admission capacity by 1,500. The admission capacity of the existing medical colleges may also be augmented by the State Governments. The fourth Plan does not aim at meeting in full the overall requirement of medical Colleges in the country.

(c) No.

(d) Delhi with a population of about 3·69 millions has already three medical colleges. It is, however, proposed to expand the admission capacity of the Maulana Asad Medical College in the Fourth Five Year Plan Period.

पूर्वी कोसी भूमि का विकास

6218. श्री कामेश्वर सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी क्षेत्र विकास आयुक्त ने पूर्वी कोसी भूमि के विकास की कोई योजना तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यारा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे प्रस्ताव बनाये गये है जिनका उद्देश्य 10 लाख एकड़ से अधिक के क्षेत्र के भू तथा जल संसाधनों का समन्वित विकास करना लगभग है । 58·65 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की विकास स्कीम में निम्नलिखित कार्य प्रबन्धित है :—

(1) जल विकास सम्बन्धी तथा नलकूपो से उठाऊ सिंचाई के कार्य

(2) बीज, उर्वरक, कीट नियन्त्रण, क्रेडिट और कृषि मशीनरी जैसे निवेश।

(3) उद्यान विकास

(4) मत्स्यपालन

(5) पशु विकास

(6) सेवाओं के लिए कृषि-उद्योग

(7) संसाधनार्थ कृषि-उद्योग

(8) मार्किटिंग (कोल्ड स्टोरेज समेत) स्टोरेज और परिवहन

(9) संचार

(10) विस्तार और प्रशिक्षण

(11) आर्थिक अध्ययन

बरौनी तैलशोधक कारखाने में कर्मचारियों को तंग किया जाना

6219. श्री कामेश्वर सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के 1345 कर्मचारी किस-किस ग्रेड में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या बरौनी तैलशोधक कारखानों के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को तंग किये जाने के मामलों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 1345 कर्मचारियों के ग्रेड निम्न प्रकार हैं :—

ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या
1. रुपये 1300-1600 । 1800	1
2. रुपये 1100-1400	5
3. रुपये 700-1250	13
4. रुपये 400-950	58
5. रुपये 375-625	36
6. रुपये 290-485	103
7. रुपये 215-340	237
8. रुपये 170-292	337
9. रुपये 115-213	384
10. रुपये 90-179	39
11. रुपये 63-120	132
कुल	1345

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Canal on Right Bank of Teesta River

6220. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the reasons for excluding the navigation aspect from the scheme decided for the construction of a canal on the right bank of Teesta river during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) whether it is a fact that only one canal constructed on the left bank of Teesta river up to Brahmputra would be sufficient for navigation purposes from Calcutta to Assam if navigational arrangements are taken up on this river ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The construction of Tista Multipurpose Barrage Project is proposed to be taken up in stages according to the availability of the funds. While irrigation has been given first priority, the navigation aspect of the project would be taken up at a subsequent stage.

(b) No, Sir.

फैजाबाद डिवीजन में उर्वरक कारखाना

6221. श्री रा० कृ० सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद डिवीजन में मुख्य व्यवसाय कृषि है इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस डिवीजन में सरकारी क्षेत्र में या निगमित क्षेत्र में मध्यम दर्जे का एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) फैजाबाद डिवीजन में सरकारी क्षेत्र या गैर सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस क्षेत्र की आवश्यकताएं राज्य में कारखानों तथा मितव्ययी प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थिति अन्य कारखानों से पूरी की जायेंगी।

पेंशन नियमों में संशोधन

6222. श्री म० ला० सोंधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंशन सम्बधी विद्यमान नियम 100 वर्ष पुराने हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार इन नियमों में कोई संशोधन करने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार

के असैनिक कर्मचारियों की पेंशने, इस समय, असैनिक सेवा विनियमों के उपबन्धों तथा समय समय पर जारी किये गये अनेक कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन ज्ञापनों को अभी संहिताबद्ध नहीं किया गया है। असैनिक सेवा विनियम सन् 1889 में बनाये गये थे परन्तु पेंशन से सम्बन्धित उपबन्धों में विशेषत : प्रथम और द्वितीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर बहुत से संशोधन हुए हैं और उनको अनेक प्रकार से उदार बनाया गया है। पेंशन के नियम अपरिवर्तित नहीं रहे हैं बल्कि उनमें समय समय पर संशोधन तथा सुधार होते रहे हैं और होते रहते हैं।

मन्त्रियों के आवासों में अतिरिक्त फर्नीचर की सप्लाई

6223. श्री ए० श्रीधरन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों को किराया-मुक्त फर्नीचर की अधिकतम सीमा से अधिक फर्नीचर दिया गया है; और

(ख). यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रियों/उप-मंत्रियों जिनके पास 1 मार्च, 1969 को 38,500 । 22,500 रुपये की निशुल्क ऊपरी सीमा से अधिक का फर्नीचर है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं:—

(1) डा० राम सुभाग सिंह
(2) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
(3) श्री एम. आर. कृष्ण
(4) श्री जगन्नाथ पहाड़िया
(5) प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद

मिनिस्टर रेज़ीडेन्सिज़ नियम, 1962 के नियम 4 के उप-नियम 2 में यह व्यवस्था है, कि मंत्री उप-मंत्री के निवास स्थान पर उपलब्ध की गई फर्नीचर तथा बिजली के सामान के प्रत्येक वस्तु पर, जो कि निःशुल्क सीमा से अधिक है, मंत्री को किराया देना होगा। इस उप-नियम के उपबन्ध के अनुसार, मंत्रियों/उप-मंत्रियों को फर्नीचर और बिजली का सामान उनके विशेष अनुरोध पर इन सीमा से अधिक दिया जाता है और इन सीमा से अधिक के रखे गये फर्नीचर के लिए, उनसे किराया लिया जाता है।

तट-दूर छिद्रण कार्य

6224. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1968 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से 'तट-दूर छिद्रण-कार्य अनिर्णय से हानि' शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण : (क) जी हां।

(ख) सरकार तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को सदैव इच्छुक रही है और अतटीय ड्रिलिंग की योजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार करती रही है। खम्बात की खाड़ी के कम गहरे पानी में यथाशीघ्र ड्रिलिंग शुरू करने का पहले से ही निर्णय कर लिया गया है। यह निर्णय करना आसान नहीं है कि गहरे पानी में ड्रिलिंग के लिये कौन से वैकल्पिक उपाय श्रेष्ठ होंगे किन्तु मामले पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

Night Shelters in Delhi

6225. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of permanent and temporary night-shelters in Delhi at present ;

(b) the number of persons who can be accommodated in these night-shelters at a time ; and

(c) the number of persons accommodated in the said night-shelters this year and the facilities given to them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) The number of permanent and temporary night-shelters in Delhi is 11 and 10 respectively.

(b) These night-shelters can accommodate 3225 and 1835 persons respectively at a time.

(c) (i) 1,45,661 persons used the night shelters with an average of 607 persons per day during summer season i. e. from 16th March, 1968 to 15th November, 1968.

(ii) 3,25,701 persons used the night shelters during winter season from 16th November, 1968 to 15th March, 1969 at an average of 2714 persons per day.

(iii) Jute matting was spread on the floor. Blankets, electric lights, bath and latrine facilities were also provided.

Ghataprabha Project in Mysore

6226. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of assistance actually given by the Central Government to the Government of Mysore for the second phase of the Ghataprabha Project during 1968-69 ; and

(b) the time by which the project is likely to be completed and the total assistance proposed to be given by Government for its completion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Rs. 320 lakhs.

(b) The project is likely to be completed in the Fifth Five Year Plan.

From the Fourth Plan, commencing from 1969-70, Central assistance to the States for implementing the schemes in the State Plans will be in the form of block grants/ loans, and will not be tied to individual Heads of Development. Ten percent of the Central assistance to the States is expected to be given on the basis continuing major irrigation and power projects.

Seizure of Motorboat Near Ambarsai

6227. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Customs officials seized a motorboat near Ambarsai Port in December, 1968 which was being used for smuggling foreign goods worth about rupees seven lakhs into the Country ; and

(b) if so, the name of the country to which the goods belonged and the action taken by Government against the persons arrested in this connection ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). On the night of 24th December, 1968 officers of the Central Excise Collectorate, Baroda while on Patrol, intercepted a mechanised vessel off the coast near Umersadi port and recovered therefrom sixty five packages containing textile material made in Japan, refrigerators made in England and an electric Oven made in Italy totally valued at Rs. 6.74 lakhs approximately. All the goods along with the mechanised vessel totally valued at about Rs. 7.02 lakhs were seized. Five persons have so for been arrested. Further investigations are in progress.

Factory to Manufacture oral Contraceptives.

6228. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri B.K. Das chowdhury :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to set up a factory to manufacture oral contraceptive pills on a large scale and the extent to which oral contraceptives are effective ;

(b) whether the use of these pills result in some disease in women ; and

(c) if so, the reasons for popularising these pills as a contraceptive measure ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c). The Government have no proposal at present to set up a factory to manufacture Orol Contraceptive pills. Clinical trials by Indian Council of Medical Research have indicated . that Orals are effective. The oral pills are still in an experimental-cum-demonstrational stage in pilot-projects in different parts of the country to evaluate their use-acceptability and use-effectiveness. The Government of India will by guided by the scientific findings of these pilot-projects for further action in regard to the orals.

ट्राम्बे के अमोनिया बाइकारबोनेट का उद्घाटन

6229. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे के अमोनिया बाइकारबोनेट कारखाने का 30 नवम्बर, 1968 को उद्घाटन करने के लिये महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री को आमंत्रित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस उद्घाटनोत्सव पर कितना धन खर्च किया गया;

(ग) यह धन किस शीर्ष के अधीन खर्च किया गया ;

(घ) क्या शंगरीला अतिथि गृह में इस उत्सव को मनाने के लिये आयोजित भोज में शराब भी दी गई थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो वहाँ कुल कितनी शराब पी गई और उसका कितना मूल्य दिया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) 1530. 29 रुपये।

(ग)

1.	निमन्त्रण पत्र का प्रकाशन	254.76 रुपये
2.	फोटो ग्राफी का खर्च	235.00 रुपये
3.	मण्डप सजावट, कुर्सियाँ आदि	350.00 रुपये
4.	विविध	371.50 रुपये
	(इसमें फोल्डर्स, प्लास्टिक की बोतलें, ट्रे और सैम्पल बोतल फोल्डर्स शामिल हैं)	
5.	रात्रि--भोज	319.03 रुपये
		1530.29

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में लघु उद्योगों को स्टेट बैंक द्वारा दिया गया ऋण

6230. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के स्टेट बैंक ने उड़ीसा में लघु उद्योगों को 31 मार्च, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक कितनी राशि का ऋण दिया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : पहली अप्रेल, 1968 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि में (जिसके सम्बन्ध में अब आँकड़े उपलब्ध है) 17.38 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण मंजूर किये गये थे। पहली अप्रेल, 1968 और 30 सितम्बर, 1968 की स्थिति इस प्रकार है :—

	पहली अप्रेल, 1968 को	**30 सितम्बर, 1968 को**
जिन एककों की सहायता की गयी उनकी संख्या	109	124
मंजूर किये गये ऋणों की रकम	95. 53 लाख रुपया	112. 91 लाख रुपया
बकाया रकमें	56. 84 लाख रुपया	70.69 लाख रुपया

उड़ीसा में राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजनायें

6231. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उड़ीसा में राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये; और

(ख) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा में ऐसे कितने मकान बनाये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 3, 194 मकान।

(ख) 184 मकान।

एक अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ कम्पनी द्वारा संश्लिष्ट रबड़ के हृदय का आविष्कार

6232. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1969 को 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ कम्पनी ने मानवीय हृदय के आकार के एक संश्लिष्ट रबड़ के हृदय का आविष्कार किया है, जो मानवीय शरीर में साधारण हृदय के रूप में लगाया जा सकता है और उससे हृदय को लगाने का आपरेशन भी सुगम और सफल हो जायेगा;

(ख) क्या भारतीय तथा अन्य हृदय लगने वाले विशेषज्ञ सर्जनों ने इसकी उपयोगिता और लागत के बारे में कोई हिसाब लगाया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके निर्माता देश का नाम क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० पूर्ति) : (क) जी हां। कुछ दिन पूर्व अमरीका में प्लास्टिक के हृदय का प्रयोग किये जाने की खबर मिली है। जब तक मानव हृदय के बदले कोई उपयुक्त वस्तु उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक इलक्ट्रोनिकों से चलाने वाला यह एक अस्थायी साधन है।

विश्व भर में किये गये हृदय रोपण आपरेशनों के अनुभव से तथा सम्बन्धित साहित्य से यह स्पष्ट है कि मनुष्य के शरीर में उसके शरीर से भिन्न बाहर का कोई अंग खप सकता है या नहीं यह एक बहुत जटिल समस्या है और अभी इसका हल नहीं हो पाया है। कृत्रिम हृदय को संचालित करने के लिए शक्ति देने का प्रश्न भी अभी तक संतोषजनक रूप से हल नहीं हो पाया है। इन दो मुद्दों के बारे में इस समाचार में कोई सूचना नहीं दी गई है। इसके साथ ही कम्पनी के इस दावे की कि मनुष्य के शरीर में रबड़ का हृदय सामान्य दिल के बदले लगाया जा सकता है और वह सन्तोषजनक ढंग से काम कर सकता है, अभी तक हृदय शल्य चिकि-

सकों द्वारा पुष्टि नहीं हो पायी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

प्रबन्धक और पर्यवेक्षक कर्मचारियों को कार्यकुशलता के लिए पुरस्कृत करना

6233. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समय-समय पर ऐसी योजनाएं बनाने के लिए सुझाव दिये गये हैं जिनसे (1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बड़े और मध्यम स्तर के प्रबन्धकों और पयवेक्षकों को उनकी कार्यकुशलता के लिए पुरस्कृत किया जाय और उपेक्षाभाव से कार्य करने के लिए उन्हें पदावनति और स्थानान्तरण आदि के दंड दिये जायें, और (2) संशोधित वेतन-मानों के साथ उत्पादन बोनस मिलाया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की प्रभावकारी योजनाएं लागू की जाये । यह भी फैसला किया गया है कि प्रबन्धक-कर्मचारियों के लिए भी अन्य देशों में चल रही प्रोत्साहन/विप्रोत्साहन की योजनाओं का भी अध्ययन किया जाय । अधिकतर सरकारी उद्यमों में प्रोत्साहन-योजनाएं पहले से ही चल रही हैं । सरकारी उद्यम कार्यालय (ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टर-प्राइजेज) ने भी इस मामले का व्यापक अध्ययन शुरू कर दिया है ।

मनीपुर सरकार द्वारा आवास ऋण

6234. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो में मनीपुर सरकार ने आवास अनुदानों से कितने व्यक्तियों को आवास ऋण दिये है ;

(ख कितने व्यक्तियों को ऋण की केवल पहली किस्त ही मिली है और जो अपने मकानों को पूरा करने के लिए आगे की किश्तें प्राप्त नहीं कर सके हैं ;

(ग) यदि ऋण की दूसरी तथा तीसरी किश्तें रोक ली गई हैं और ऋण लेने वालों को नहीं दी गई हैं तो ऋण की राशि का भुगतान इस प्रकार रोक लिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) जिन लोगों की अन्य किश्तें रोक ली गई हैं अथवा बन्द कर दी गई हैं उनको ऋण की पूरी राशि दिलाने के लिए क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना मनीपुर सरकार से मंगवाई गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई में निषिद्ध कपड़े तथा विलास सामग्री पकड़ा जाना

6235. श्री चेंगलराया नायडु :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जनवरी, 1969 को दक्षिण बम्बई में मजगांव में एक पब्लिक गोदाम से 15 लाख रुपये के मूल्य के निषिद्ध कपड़े तथा विलास सामग्री पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जब्त की गई वस्तुओं के नाम क्या है और वे किस-किस देश की थी;

(ग) क्या किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सताहर्त्ता कार्यालय बम्बई के अधिकारियों ने 27 जनवरी, 1969 को दक्षिण बम्बई में मजगांव स्थित एक सार्वजनिक गोदाम से लगभग 9,11,000 रुपये के मूल्य का जापान तथा ब्रिटेन में बना हुआ निषिद्ध कपड़ा तथा विलास की वस्तुएं पकड़ी। इनमें नाइलोन धागा, 7 आवलाक ब्लेड, चमकदार/धातु-सूत, टेट्रेक्स, टेटराँन तथा रायटेक्स सूटों का कपड़ा और नाइलेक्स कपड़े थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

नीमच में ऐलकालायड (क्षारतत्व) का कारखाना

6236. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच (मध्य प्रदेश) में एलकालायड (क्षारतत्व) का एक कारखाना स्थापित करने के लिए विस्तृत प्राक्कलन अन्तिम रूप में तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने के निर्माण के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) इसमें कब उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). आशा है कि विस्तृत अनुमानों के अन्तिम रूप दिये जाने के बाद फैक्ट्री के बनाने में तथा उत्पादन आरम्भ करने में लगभग 2 से 3 वर्ष तक लग जाएंगें। इस परियोजना को शीघ्र स्थापित करने की दिशा में पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

बाल पक्षाघात के टीकों का आयात

6237. श्री बै० क० दास चौधरी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को बाल पक्षाघात के टीके निर्यात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है ; और

(ग) क्या बाल पक्षाघात उपचार के टीकों के निर्माण के लिए देश में एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जर्मन संघ गणराज्य, नीदरलैंड, यू० के०, यू० एस० एस० आर०, युगोस्लाविया और बैलजियम ।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में बाल पक्षाघात की वेक्सीन के आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा की कीमत रुपयों में इस प्रकार है:—

1966-67	2,20,185·00 रुपये
1967-68	1,18,166·00 रुपये
1968-69	3,36,158·00 रुपये

(ग) जी हां, पास्च्यूर संस्थान, कूनूर में खायी जाने वाली बाल पक्षाघात वेक्सीन के निर्माण के लिए पहले ही प्रबन्ध कर दिए गये हैं ।

पाकिस्तान द्वारा कर्णफूल बांध का निर्माण

6238. श्री बाबूराव पटेल : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा कर्णफूल बांध के निर्माण के कारण किस तथा कितने भारतीय राज्यक्षेत्र में पानी भर गया है ;

(ख) कितने भारतीय ग्रामों तथा कितने लोगों पर इस जल प्लावन का बुरा प्रभाव पड़ा है और इससे कितनी हानि हुई हैं ;

(ग) किये गये विरोध का ब्यौरा क्या है और जिन लोगों की भूमि में पानी भर गया है उनके लिये सरकार ने कितने मुआवजे का दावा किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). पाकिस्तान द्वारा कर्नाफुली बांध के निर्माण के और इसको वर्तमान स्तर पर चलाने के परिणामस्वरूप असम के मिजो हिल जिला में कुछ क्षेत्र जलमग्न हो गया है । और यदि कोई उच्चस्तर पर चलाया गया तो कुछ अन्य क्षेत्रों के जलमग्न होने की सम्भावना है, जैसे कि पाकिस्तान ने पहले बताया था । अतः पाकिस्तान सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि वे इस परियोजना की अन्तिम रिपोर्ट की एक प्रति भारत सरकार को दें ताकि भारत सरकार यह पता लगाने में समर्थ हो सके कि परियोजना

के प्रचालन से अन्ततोगत्वः कितना क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। पाकिस्तान को यह भी सुझाव दिया गया है कि कर्नाफली जलाशय को पाकिस्तान जिन जिन स्तरों तक चलायें उनकी संयुक्त रूप से तकनीकी जांच की जाए। भारतीय प्रदेश में इस परियोजना द्वारा किस हिस्से के जलमग्न होने की संभावना है और भारत को कितनी हानि का सामना करना पड़ेगा इसका मूल्यांकन पाकिस्तान द्वारा अपेक्षित जानकारी देने के पश्चात ही किया जा सकता है। भारतीय क्षेत्र किस हद तक जलमग्न होगा और भारत को किस ढंग से इस हानि की प्रतिपूर्ति की जायगी इस सम्बन्ध में पहले समझौता किए बगैर, परियोजना के पाकिस्तान द्वारा प्रचालन के खिलाफ भारत सरकार ने समय समय पर पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजे है।

भारतीय उर्वरक निगम नामरूप के कारखानों में उत्पादन

6239. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के नामरूप के दो में से एक कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया हैं ;

(ख) यदि हां तो इस करखाने के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं ;

(ग) क्या इस कारखाने का डिजाइन तथा निर्माण कार्य भारतीय तकनीशनों तथा इंजीनियरों ने किसी विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता के बिना किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उर्वरक कारखानों के निर्माण तथा इनको चलाने के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग पर अपनी निर्भरता को पूर्णतया समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) 1969-70 के लिए उत्पादन लक्ष्य निम्न प्रकार है:-

	1. अमोनियम सल्फेट	80,000 मीटरी टन
तथा	2. यूरिया	33,000 मीटरी टन

(ग) भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन और विकास प्रभाग के भारतीय इन्जीनियर तथा तकनीशनों ने, बिना किसी विदेशी सहायता के, अमोनियम सल्फेट सन्यन्त्र का डिजाइन, इन्जीनियरी और निर्माण कार्य किया था। किन्तु अमोनिया, यूरिया और सल्फयूरिक एसिड सन्यन्त्रों का डिजाइन, इन्जीनियरी तथा प्रदाय कार्य मैसर्स कैमिको आफ ग्रेट ब्रिटेन द्वारा किया गया था।

(घ) इस समय सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे अधिकांश नये सन्यन्त्रों का, निसन्देह देश में उपलब्ध जानकारी तथा अनुभव पर न्यूनतम क्रीत जानकारी से जहां कहीं आवश्यक होता है, डिजाइन एवं इंजीनियरी कार्य किया जा रहा है। भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन एवं विकास प्रभाग तथा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स (त्रावनकोर) लि० के डिजाइन और इन्जीनियरिंग संस्था उन क्षेत्रों में, जहां कमियां विद्यमान है, जानकारी के विकास में लगी हुई है और, जहां कहीं आवश्यक है जानकारी उपलब्ध करने के लिए सहयोग

का भी आयोजन कर रही है । जिन किन्हीं क्षेत्रों में आवश्यकता है, भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश में भेजने के कदम उठाये जा रहे हैं ।

लोह अयस्क पर निर्यात शुल्क का युक्तिकरण

6240. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोहअयस्क पर निर्यात शुल्क के युक्तिकरण के बारे में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सभापति द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को दिये गये पहले के अध्यावेदन पर आधारित था ।

(ख) कच्चे लोहे की निर्यात सम्बन्धी प्रगति की समीक्षा के आधार पर अगस्त, 1968 में कच्चे लोहे पर निर्यात शुल्क में कुछ राहत दी गई थी । सरकार की नीति यह है कि निर्यात की जाने वाली जिन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगता है उसकी समय-समय पर समीक्षा की जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर समुचित कार्यवाही की जा सके ।

कैंडोम का क्रय

6241. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में विदेशों से कैंडोम खरीदने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ख) वर्ष 1967-68 में विदेशी बाजारों से कैंडोम खरीदने पर कुल कितना धन खर्च किया गया तथा भारतीय निर्माताओं से कैंडोम खरीदने पर कुल कितना धन खर्च किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) निरोध या तो उपहार के रूप में प्राप्त किये जायेंगे या देश में ही तैयार किए जायेंगे ।

(ख) 1967-68 में निरोध की खरीद के लिए 12.02 लाख रुपये खर्च किये गये । अच्छी किस्म उपलब्ध न होने के कारण 1967-68 में स्वदेशी स्रोतों के ज़रिये निरोध की खरीद नहीं की जा सकी ।

नई दिल्ली में जलसंचय टैंक का टूट जाना

6242. श्री क० लकप्पा :
श्री यशपालसिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 फरवरी, 1968 को नई दिल्ली में एक जलसंचय टैंक टूट गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए;

(घ) उनके सम्बन्धियों को कितना मुआवज़ा किया गया;

(ङ) क्या इस घटना की कोई जांच की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली नगर निगम के जलपूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम के ठेकेदारों के द्वारा बनाये जा रहे चार जलाशयों में से एक जलाशय के टावर के फर्श के स्लेब का एक भाग 8 फरवरी, 1969 की शाम को ठीक उसी समय गिर पड़ा जब कि कास्टिंग का काम समाप्त हुआ।

(ख) दो।

(ग) सात।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) और (च). हौज खास पुलिस स्टेशन के स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना की छान-बीन की है। उसी दिन अर्थात् 8 फरवरी, 1969 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336, 337, और 304 (क) के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया था। जाँच कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में तीन आदमी गिरफ्तार किये गये थे।

भारत में परिवार नियोजन के बारे में आने वाले विदेशी विशेषज्ञ

6243. श्री क० लकप्पा :
श्री यशपालसिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ हुआ है तब से लेकर अब तक सरकार को सहायता करने के लिये उस सम्बन्ध में कितने विदेशी विशेषज्ञ भारत आये हैं;

(ख) वे लोग किन-किन देशों के थे, और किस-किस तारीख को भारत आये थे; और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर सरकार ने कितना धन व्यय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shifing of Government Offices outside Delhi

6244. Shri Raghuvir Singh Shastri : will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had decided in 1962 to shift some Government Offices outside Delhi ; and

(b) if so, the extent to which this decision has been implemented so far ?

Minister of State in The Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). In terms of the decision taken by the Cabinet in their meetings held on 28th December, 1962 and 23rd January, 1963 it was decided to shift the 20 offices listed in Annexure 'A', outside Delhi. out of these, 12 offices listed in Annexure 'B', have been shifted either wholly or partly outside Delhi. **(Placcd in Library. See No. LT 749/69)**

Government have since dicided that the following offices may continue in Delhi for the present :-

(i) Department of Lighthoused and Lightships, Ministry of Transport and Shipping.

(ii) Central Hindi Directorate, Ministry of Education.

(iii) National Buildings Organisation, Department of Works, Housing and Urban Development.

(iv) All India Handicrafts Board.

(v) Office of the Registrar of Newspapers for India.

(vi) Central Warehousing Corporation. As regards the shifting of the remaining office, the matter is being pursued with the Ministries/ Departments concerned,

नेपाल द्वारा संश्लिष्ट कपड़े का आयात

6245. श्री चिति बाबू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के दौरान कलकत्ता से होते हुए नेपाल द्वारा कुल कितनी मात्रा तथा मूल्य का संश्लिष्ट कपड़े का आयात किया गया; और

(ख) कलकत्ता के पतन से नेपाल ने संश्लिष्ट कपड़े की बनी हुई तैयार पोशाकें कितनी मात्रा तथा मूल्य में आयात की ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). नेपाल ने कलकत्ता बन्दरगाह के जरिये 1968 में जितनी मात्रा में तथा जितने मूल्य के संश्लिष्ट धागे से तैयार किये गये वस्त्र तथा संश्लिष्ट धागे से तैयार किये गये वस्त्रों के सिले-सिलाये कपड़े आयात किये, उनके संबंध में सूचना नीचे दी गई है:—

वस्तु	मात्रा	मूल्य (रुपये)
संश्लिष्ट धागे से तैयार किये गये वस्त्र	34,26,210 वर्ग मीटर	89,63,380
सिले सिलाये कपड़े	10,091 किलो ग्राम	1,91,386

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा फालतू उपकरणों की बिक्री

6246. श्री ज्योतिमर्य बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अपने फालतू उपकरण बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो (1) जमा हो गये फालतू उपकरणों का मूल्य कितना है, (2) बेचे जा चुके उपकरणों का मूल्य कितना था, (3) उन उपकरणों का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन उपकरणों को बेचने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) (1) 1 अप्रेल 1969 के दिन निपटारा किये जाने वाले फालतू उपकरणों का मूल्य लगभग 16.8 करोड़ रुपये है।

(2) 31 मार्च, 1969 तक बेचे जा चुके फालतू उमकरणों का मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपये बैठता है।

(3) 1 अप्रेल, 1969 को 1.68 करोड़ रुपये के मूल्य के संग्रहित हो गये फालतू उपकरणों में से अधिकतर भाग उन उपकरणों का है जो कि कोयले की मांग में मन्दी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उत्पादन कार्यक्रम में बहुत अधिक कांट छांट के कारण से फालतू हो गये हैं। बाकी उपकरणों में से वे हैं जो कि अपने लाभदायक जीवन से अधिक चल चुके हैं और कुछ ऐसी मशीनें हैं जो कि वास्तविक रूप से सामने आने वाली खनन परिस्थितियों में फलोत्पादक रूप से उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

(ग) यह उपकरण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की आवश्यकताओं से फालतू है तथा बेचे जा रहे हैं।

हावड़ा नगर का विकास

6247. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में हावड़ा नगर के विकास तथा उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को कितना ऋण तथा अनुदान दिया गया;

(ख) हावड़ा सुधार न्यास का गठन कब किया गया था ; और

(ग) अब तक क्या सुधार कार्य पूरे किये हैं अथवा आरम्भ किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तेलंगाना विपुलता

6248. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वदलीय समझौते के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 1969 में एक महालेखापाल को यह हिसाब लगाने के लिए हैदराबाद भेजा था कि 1956 में आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाने के बाद से तेलंगाना विपुलता कितनी रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम, पदनाम और उसकी अर्हताएं क्या हैं तथा वास्तविक निर्देशपद क्या थे ;

(ग) क्या उसने इस मामले में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले है; तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने इस काम के लिए किसी अधिकारी को नहीं भेजा था। पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने राज्य सरकार के अनुरोध पर यह काम करने के लिए जनवरी, 1969 में महालेखाकर के पदक्रम के एक अधिकारी को भेजा था।

(ख) (i) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय के विशेष कार्य-अधिकारी श्री के० ललित।

(ii) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने बताया है कि इस अधिकारी का विचारणीय विषय, 1956 में आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाने के समय, दोनों प्रदेशों के नेताओं के बीच स्थूल रूप में हुए समझौते के आधार पर राज्य के सभी नेताओं द्वारा माने गये सिद्धान्तों के अनुसार तेलंगाना के अधिशेषों की ठीक ठीक रकम निर्धारित करना था।

(ग) और (घ). जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, यह अधिकारी राज्य सरकार के अनुरोध पर यह काम करने के लिए महालेखा परीक्षक द्वारा भेजा गया था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से ज्ञात हुआ है कि रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को दे दी गयी है।

Medicine and Pharmaceuticals Industries

6249. Shri Ramavtar Shastri : will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased ta state :

(a) the number of medicine and pharmaceutical industries in the country ;
(b) the persons who are the owners of these industries ;
(c) the total capital invested in these industries ;

(d) Whether it is also a fact that this industry is also passing more and more into the hands of monopolists who are big capitalists ; and

(e) if so, the remedial steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D.R. Chavan) : (a) There are about 2400 units licenced under the Drugs and Cosmetics act, 1940, for the manufacture of drugs and medicines in the country.

(b) The required information is not available. Considering that a number of the units are owned by public limited companies and others by other types of oganizations, it involves considerable time and labour to compile the information and the effort is not considered commensurete with its utility.

(c) Complete information is not available. As regards the units borne on the Directorate General of Technical Development, the nature of capital assets stood at about Rs.140 crores. on 1-4-68.

(d) No such tendency has been noticed.
(e) Does not arise.

कोरबा में एल्यूमिनियम संयंत्र

6250. श्री गं. चं. दीक्षित : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोरवा के स्थान पर हंगरी के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाला एल्यूमिनियम संयंत्र 1970 में उत्पादन आरम्भ कर देगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि 23 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना का निर्माण कार्य नवम्बर, 1969 से आरम्भ होगा ; और

(ग) यदि हां, तो संयंत्र की कुल लागत क्या है और परियोजना प्रतिवेदन में अगले पांच वर्षों में कितने उत्पादन का अनुमान लगाया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) एल्यूमिनियम संयंत्र की पहली प्रावस्था अर्थात एल्यूमिना संयंत्र के, जिसे हंगरी के सहयोग के साथ कोरबा (मध्य प्रदेश) स्थान पर लगाया जा रहा है, अक्टूबर 1971 में चालू किये जाने की संभावना है। दूसरी प्रावस्था अर्थात् प्रद्रावक तथा निर्माण सुविधाओं के लिए, जिन्हें सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सहायता से स्थापित किया जाना है, विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) एल्यूमिना संयंत्र का निर्माण, जिस पर 33.50 करोड़ रुपये की लागत की संभावना है, पहिले ही प्रारम्भ किया जा चुका है।

(ग) एकीकृत एल्यूमिनियम प्रायोजना (अर्थात एल्यूमिना संयंत्र के साथ प्रद्रावक तथा निर्माण एकको) की लागत के यथार्थ अनुमान रूसी दल से प्रद्रावक तथा निर्माण एककों के लिये विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही उपलब्ध होंगे। एल्यूमिनियम संयंत्र द्वारा 40,000 मैट्रिक टन बेल्लित उत्पादों तथा 10,000 मैट्रिक टन निःस्रावित उत्पादों सहित 100,000 मैट्रिक टन एल्यूमिनियम धातु के वार्षिक उत्पादन की संभावना है।

मध्य प्रदेश में एक एल्यूमिनियम स्मैल्टर कारखाने का निर्माण

6251. श्री गं० चं० दीक्षित : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में रुस के सहयोग से एक एल्युमीनियम स्मैलटर कारखाने और रोलिंग मील के निर्माण के हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सोवियत संघ के साथ एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो इस कारखाने को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश में कोरबा स्थान पर एल्यूमिनियम प्रद्रावक तथा निर्माण करने वाले एकको के निर्माण के लिए विस्तृत प्रायोजन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के लिए एक सोवियत अधिकरण के साथ बातचीत पक्की की गई है।

(ख) सरकार द्वारा विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को मंजूरी दिये जाने तथा विस्तृत इंजीनियरी प्रबन्धों को अन्तिम रुप दिये जाने के लगभग 30 महीने पश्चात् ।

Hydro-Electric Project In Madhya Pradesh

6253. Shri G. C. Dixit :

Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any investigation was made during the last three Five Year Plans to explore the potentialities of small rivers and rivulets in the North Nimad District of Madhya Pradesh for producing electricity ;

(b) the results of investigation in respect of each river and nallah and the names of the river where the hydro-electric projects were found feasible ;

(c) the hydro-electric projects in respect of which detailed project report and feasibility report has been completed, the projects already started and the latest position in respect of each project ; and

(d) the hydro-electric projects that will be implemented during the Fourth Five Year Plan, to what extent each project will be completed and the amount earmarked for the above projects in the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

एक मंत्री के पुत्र द्वारा एक विदेशी फर्म से तथा कथित धन का प्राप्त किया जाना और आयकर लगाने हेतु उसकी आय का निर्धारण

6254. श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्रीचन्द गोयल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान खाद्य तथा कृषि मंत्री के पुत्र द्वारा 1960 से अब तक पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म से धन प्राप्त किये जाने के बारे में 22 फरवरी, 1968 को 'आर्गेनाइजर' में छपे समाचार की और दिलाया गया है ;

(ख) क्या उनके पुत्र श्री सुरेश कुमार ने इस धन को अर्जित आय घोषित किया है या अनर्जित आय अथवा सेवांत लाभ घोषित किया है ;

(ग) क्या वह अब भी धन प्राप्त कर रहा है। उसने कितनी अवधि तक यह धन प्राप्त किया और उसके द्वारा भरे गये आयकर विवरणों में उसकी आय के अन्य क्या साधन बताये गये है; और

(घ) क्या मंत्री के पुत्र के विरुद्ध आयकर अपवंचन का कोई मामला लम्बित है और यदि उसकी ओर कर की कोई राशि बकाया दिखाई गई है तो कितनी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इस धन को अर्जित आय घोषित किया गया है ।

(ग) यह धन कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 तक ही प्राप्त हुआ था उसके बाद नहीं। आयकर-विवरणियों में जो अन्य आय घोषित की गई थी, वह (कर-निर्धारण वर्ष 1961-62 से आगे) के ब्याज और रश्मि मोटर्स के नाम से किये जा रहे कारोबार से प्राप्त (कर-निर्धारण वर्ष 1965-66 से आगे) की आय थी।

(घ) आयकर अपवंचन का कोई मामला अनिर्णीत नहीं पड़ा है तथा इस समय श्री सुरेशकुमार की तरफ कर की कोई रकम बकाया नहीं है।

बिहार में तांबे की प्राप्ति

6255. श्री वेणीशंकर शर्मा : श्री दी. चं. शर्मा : श्री रणजीत सिंह : श्री हरदयाल देवगुण : श्री बलराज मधोक :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को बिहार के हजारी बाग जिला में तांबा मिला है;

(ख) क्या उसकी मात्रा तथा किस्म के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप बारागन्दा क्षेत्र में औसतन 3 मीटर मोटाई तथा 1.75 प्रतिशत तांबा मात्रा के कुछ खनिज युक्त क्षेत्र तथा तांबा अयस्क के कुछ अदृढ़ प्ररोह प्रतिच्छेदित हुए हैं। अभी तक आर्थिक दृष्टि से कार्ययोग्य कोई निपेक्ष नहीं पाये गये हैं।

नारायणा आवास योजना के क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों का खोला जाना

6256. श्री वे. कृ. दास चौधरी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारी नारायणा आवास योजना, नयी दिल्ली-28 के और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में, जैसे नारायणा गांव, इन्द्रपुरी कालोनी और जे. जे. कालोनी में रह रहे है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके द्वारा औषधियों पर खर्च की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति पर काफी धन खर्च होता है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 में प्रतिपूर्ति की राशि कितनी थी ;

(घ) क्या इस धनराशि को बचाने के उद्देश्य से सरकार का विचार उस क्षेत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का एक औषधालय आरम्भ करने और कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने का है ; और

(ङ०) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). इन क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या अथवा उनको दी जाने वाली चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि का पता लगाने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कल्याण संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसार इन क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के परिवारों की संख्या 1500 के लगभग हैं। यह संख्या इन क्षेत्रों में एक पृथक डिस्पेंसरी खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। सामान्य मानदंड के अनुसार 2000 से 2500 के परिवारों के लिए एक डिस्पेंसरी खोली जाती है। तथापि इन क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के वर्तमान एक या उससे अधिक औषधालयों के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर जांच पड़ताल की जा रही है।

North and South Avenue Dispensaries

6257. Shri Ramavtar Shastri : Will the Miniter of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Members of Parliament residing at North Avenue have to wait in queue for one to two hours to get the medicine from the Government dispensary situated there ;

(b) whether it is also a fact that some Member had given certain suggestions to the former Health Minister, Shri Satyanarain Sinha, in regard to such an inconvenience being caused to them ;

(c) if so, the suggestions made by the Members and whether Government have considered them ;

(d) if so, the result thereof ; and

(e) the action proposed to be taken by Government to avoid inconvenience being caused to the Members of Parliament ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) A recent study has revealed that it takes on an average 23 minutes to receive treatment at this dispensary during the peak hours.

(b) to (e). There were suggestions that—

(i) the C. G. H. S. dispensary at south Avenue should cater to M. Ps exclusively, failing which a separate counter should be provided for dispensing medicines to M. Ps,

(ii) sometimes should be set apart specially for M.Ps to get midical treatment, and

(iii) the dispensary doctor should be authorised to prescribed medicines included in the Specialist list and to obtain the essentiality certificate from the Specialist himself.

These suggestions were considered and the position in respect of each of them is as under:—

(i) The small number of M.Ps resining in North and South Avenue does not justify any separate dispensary for them exclusively--the normal yard--stick

being 2,000 to 2,500 families per dispensary. It is also not feasible to make separate arrangements for dispensing of medicines etc., to M.Ps because of limited staff strength.

(ii) First 45 minutes of dispensary timing have been set apart for medical attendance/treatment of M.Ps.

(iii) The suggested change in the procedure is not considered practicable as the Consultant/Specialist, without seeing the patient, would be not in a position to certify the need for prescribing a particular special medicine.

विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के डाक्टरों तथा कर्मचारियों का तबादला

6258. श्री किंकर सिंह :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1968 के पश्चात विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के कुछ डाक्टरों तथा कर्मचारियों का अन्य अस्पतालों को अथवा उनके मूल विभागों में तबादला कर दिया गया है;

(ख) उनके नाम तथा पदनाम क्या है और उनका तबादला किन-किन स्थानों को किया गया है;

(ग) उनके तबादले किये जाने के क्या कारण थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ डाक्टरों तथा कर्मचारियों को अगस्त, 1968 के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है;

(ङ) इन डाक्टरों तथा कर्मचारियों के नाम क्या हैं और इनको किस-किस तारीख को सेवानिवृत्त किया गया और सेवानिवृत्त करने के क्या कारण थे; और

(च) उनके सेवाकाल में वृद्धि न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 743/69**]

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट-11)

(च) सेवा काल केवल जनहित में तथा विरले मामलों में ही बढ़ाया जाता है ।

कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में तेल का पाया जाना

6259. श्री भगवान दास : श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ : श्री राममूर्ति :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी क्षेत्र के बीच तेल का पता लगा है;

(ख) क्या क्षेत्र में और खोज के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को आवश्यक उपकरण और सहायता देने के लिए लिखा था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा० चव्हाण): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) अपनत संरचनाओं को जानने के लिए, अवनीगड्डा क्षेत्र में, कुछ प्रारम्भिक पार्श्विका सर्वेक्षणों के चित्रण को, चालू क्षेत्रीय मौसम के कार्यक्रम में शामिल किया है। इस प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य के परिणामों के बाद आगामी भूकम्पीय कार्य को, यदि आवश्यक समझा गया हाथ में लिया जायेगा।

सब्जी मण्डी, दिल्ली के व्यापारियों से किराये की वसूली

6260. श्री काशीनाथ पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सब्जी मण्डी दिल्ली के व्यापारियों से किराये तथा अन्य करों के रूप में 42 लाख रुपया वसूल कर लिये है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम 1956 के उपबन्ध के अनुसार यह किराया न्यायालय में जमा करा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). वाँछित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लाइसेंस प्रणाली तथा मूल्य नियंत्रण हटाने के संबंध में विश्वबैंक के दल की सिफारिशें

6261. श्री मधु लिमये :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि विश्व बैंक दल, भारत की आर्थिक दशा के संबंध में संभवतया सिफारिश करेगा कि लाइसेंस प्रणाली और मूल्य नियंत्रण को हटाया जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). समाचार में विश्व बैंक के कुछ अधिकारियों का विचार सूचित किया गया था। सरकार को पता चला था कि विश्व बैंक दल न तो किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुँचा है और न उसने किसी रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है।

विकसित देशों द्वारा उनकी सहायता नीतियों के प्रयोग किये जाने के बारे में प्रतिबन्ध

6262. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विकसित देशों जैसे अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी ने अपनी सहायता नीतियों के प्रयोग किये जाने के बारे में कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबन्ध क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अधिकतर सहायता के सम्बन्ध में यह शर्त होती है कि सहायता देने वाले देश से ही खरीद की जाय। पर सहायता के इस्तेमाल के सम्बन्ध में अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध भी होते हैं। कुछ सहायताओं के सम्बन्ध में ऐसा प्रतिबन्ध है कि उन सहायताओं की रकम से कुछ विशेष वस्तुएं उनके न्यूनतम मूल्यों पर ही खरीदी जा सकती है। कुछ अन्य सहायताओं के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध है कि कुछ खास किस्म के उद्योगों के लिए ही उनकी रकमें खर्च की जा सकती है। अलग अलग देशों से मिलने वाली सहायता के सम्बन्ध में और एक ही देश से मिलने वाली अलग अलग किस्म की सहायताओं के सम्बन्ध में अलग अलग शर्तें होती हैं। इन प्रतिबन्धों से छूट पाने के उद्देश्य से सरकार उभयपक्षीय विचार-विमर्श में और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इन प्रतिबन्धों से होने वाली असुविधाओं का उल्लेख करती है।

ग्रामीण महिलाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम की शिक्षा

6263. श्री मायावन : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर्याप्त पोषाहार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अधिक बच्चों को जन्म देती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में शिक्षा देने के लिए बी० एस० सी० पास महिलाओं की नियुक्ति करने की एक योजना विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। यह सिद्ध करने के लिए कोई भी ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त पोषाहार से महिलाओं में उत्पादकता बढ़ती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयम्बटूर कस्बे का दर्जा

6264. श्री मयावन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिल नाडू सरकार ने कोयम्बटूर कस्बे को 'ख' श्रेणी में रखने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोयम्बटूर का दर्जा बढ़ा कर उसे बी-1 अथवा बी-2 श्रेणी का नगर बनाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को तमिलनाडू सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

6265. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों और कठिनाइयों से सम्बन्धित अभ्यावेदन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग और कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनका निपटारा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है; और

(ङ) क्या यह सच है कि संघ के पदधारियों को कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए आन्दोलन करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 744/69**]

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

बिहार में ग्रामीण आवास योजना के लिए सहायता

6266. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ग्रामीण आवास योजना कितने गांवों में आरम्भ की गई है;

(ख) उस राज्य योजना को क्रियान्वित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ और गत् तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिऐ ऋण तथा अन्य अनुदानों के रुप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री ह० सू० मूर्ति) : (क) बिहार सरकार से अभी तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, वे 73 ग्रामों में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम को क्रियान्वित कर रहें हैं।

(ख) निर्माण, के लिए स्वीकृत किए गए 404 मकानों में से, दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 80 पूरे हो चुके हैं।

(ग) बिहार में योजना के 1958 से आरम्भ होने से, राज्य सरकार द्वारा बताए गए खर्चे के आधार पर 23.69 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता ली। इस राशि में, 1966-67 से 1968-69 के तीन वर्षों में उन द्वारा ली गई 2.95 लाख रुपये (1.14 लाख रुपये ऋण और 1.81 लाख रुपये अनुदान के रूप में) की रकम शामिल है।

Family Planning Targets Achieved In Uttar Pradesh.

6267. Shri Raghuvir Singh Shastri : will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the various targets fixed for Family Planning have not been achieved in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to make Family planning a success in Uttar Pradesh ?

The Minister of State in Thes Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c). The information is being collected from Uttar Pradesh Government and will be laid on the table of the Sabha when received.

भारत में चीन से चोरी छिपे माल का लाया जाना

6268. श्री रणजीत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी. चं. शर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत् वर्ष 12 लाख रुपये की कीमत का निषिद्ध माल बिहार के एक सीमावर्ती जिले चम्पारन में पकड़ा गया था, जो नेपाल से होकर चीन से चोरी छिपे लाया गया समझा जाता है ;

(ख) क्या इस मामले में जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण है और इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बिहार के चम्पारन जिले में वर्ष 1968 में लगभग 20,000 रुपये मूल्य का चीन का बना निषिद्ध माल तथा लगभग

12.35 लाख रुपये मूल्य का चीन के अलावा अन्य देशों का बना विदेशी निषिद्ध माल, जिसके बारे में नेपाल से चोरी छिपे लाया गया होने का विश्वास था, जब्त किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) इन मामलों का विभागीय न्याय-निर्णय किया जा रहा है। अन्य देश में बने माल के नेपाल से भारत में तस्कर-आयात को रोकने के उपाय दृढ़तर कर दिये गये हैं। अतिरिक्त गश्ती निरोधक दल तथा पड़ताल-चौकियां बनाई गई है तथा सम्बन्धित सताहर्त्ताओं को अतिरिक्त कर्मचारी दे दिये गये हैं। चोरी-छिपे लाये गये माल का पता लगाने के लिए सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969 के उपबन्धों का उपयोग किया जा रहा है तथा इस सीमा पर तस्कर आयात-निर्यात को समाप्त करने के सभी सम्भव उपाय किये जाते रहेंगे।

धन कर की दरें

6269. श्री रणजीत सिंह : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री दी. चं. शर्मा : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में धन कर की दरें विश्व भर में सबसे अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गर्भपात को वैध बनाने के बारे में केरल सरकार का मत

6270. श्री रणजीत सिंह : **श्री दी चं० शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के भाग के रूप में गर्भपात को वैध बनाने तथा चिकित्सों द्वारा गर्भपात विधेयक पारित करने के केन्द्र के सुझाव से असहमति व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जब गर्भपात को उदार बनाने से सम्बन्धित शान्तिलाल शाह समिति की रिपोर्ट राज्यों को भेजी गई थी, तो केरल सरकार ने सूचित किया कि

फिलहाल वे इस प्रस्ताव का समर्थन करने के पक्ष में नहीं हैं। चिकित्सकों द्वारा गर्भपात विधेयक के सम्बन्ध में केरल सरकार के विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) गर्भपात के वर्तमान कानून को उदार बनाने सम्बन्धी कानून के निर्णय के समय इस विषय में अन्य राज्य सरकारों के विचारों के साथ साथ केरल सरकार के विचार भी ध्यान में रखे जायेंगे।

दिल्ली के स्कूल के बच्चों की आखों में दोष

6271. श्री रणजीत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्धेपन को रोकने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय समिति द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण से यह विदित होता है कि दिल्ली के स्कूल के 20 प्रतिशत बच्चों की आंखों में दोष है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अन्धापन निवारण की राष्ट्रीय संस्था द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में किये गये नमूना सर्वेक्षण के अनुसार जांच किये गये कुल 7012 बच्चों के 20.9 प्रतिशत बच्चों में दृष्टि सम्बन्धी त्रुटियां पाई गई।

(ख) और (ग). स्कूल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है और जिनकी आंखों में कोई त्रुटि पाई जाती है उन्हें नियमित उपचार के लिए नेत्र विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता है। दिल्ली प्रशासन ने वर्तमान स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए स्कूल स्वास्थ्य योजना को चौथी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है।

इण्डोनेशिया को ऋण

6272. श्री रणजीत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार इण्डोनेशिया को 5 करोड़ रुपये का और ऋण देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या है ;

(ग) क्या भारत और इण्डोनेशिया के बीच और अधिक सहयोग तथा संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना के बारे में विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). चूंकि इण्डोनेशिया की सरकार से और ऋण देने का औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह सवाल पैदा ही नही होता।

(ग) और (घ). फरवरी, 1969 में भारत और इण्डोनेशिया के विदेश मंत्रियों के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें इण्डोनेशिया के विदेश-मंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों में सहयोग के जरिये भारतीय पूंजी लगाये जाने और तकनीकी सहायता के क्षेत्र में और अधिक सहयोग किये जाने का भी स्वागत किया था। दोनों पक्षों ने, पारस्परिक लाभ की दृष्टि से तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा व्यापार बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय निश्चित करने और उन्हें अपनाने की आवश्यकता महसूस की। वे इस बात के लिए भी सहमत हुए कि दोनों पक्षों के बीच और बात-चीत की जाय ताकि वस्तु-व्यवस्था सहित आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और व्यापार-वृद्धि के विशेष पहलुओं और सम्बन्धित बातों का अध्ययन किया जा सके।

Export of Shoes to U.S.S.R.

6273. Shri Kanwar Lal Gupta: will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Intelligence wing of the Directorate of Inspection (Investigation) of the Income Tax Department had received a report in 1968 that some parties had exported shoes in a large quantity to U.S.S.R. through the State Trading Corporation and the huge profit earned therefrom has gone underground ;

(b) if so, the names and addresses of such parties and the quantity of goods exported by them to U.S S.R. and other East European countries through the State Trading Corporation during the last three years ;

(c) the names of the parties raided among them and the details of the articles recovered from them ;

(d) the names of the parties who were paid compensation for devaluation by U.S.S.R. and the amount of compensation paid to them ; and

(e) the reasons for which U.S.S.R. made the payment of such compensation from April, 1966 when the devaluation had actually taken place on the 6th June, 1966 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir. In 1968 such a report was received only in one case.

(b) The name and address of the party is M/s Aeroplane Shoe Factory, Karolbagh, New Delhi. 55,000 pairs of shoes were exported by it to Russia in 1966-67 and 80,000 pairs in 1967-68. Exports during 1968-69 are not known

(c) The business premises of the above party were raided and some books of accounts and other documents were seized. Investigations are in progress.

(d) The above party was paid a compensation of Rs. 4,73,550/- as a result of devaluation.

(e) The Government have no information in the matter.

Central Undertakings in Madhya Pradesh

6274. Shri Ram Singh Ayarwal : will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of undertakings being run by the Central Government in Madhya Pradesh ;

(b) the dates on which they had been started and the cost at which each of them had been started ;

(c) the details regarding production, cost profit and loss in each of them in the last year ;

(d) whether it is a fact that the progress achieved in Madhya Pradesh has been less as compared to the average progress achieved in Madhya Pradesh has been less as compared to the average progress made by the rest of the country and if so, the reasons therefor ; and

(e) if so, whether Government propose to take such steps as may enable Madhya Pradesh to keep pace with other parts of the country ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) As on 31-3-1968, the latest year for which completed financial accounts are available, the following were the Central Govt. Industrial and Commercial Undertakings/Projects which are located in Madhya Pradesh :

1. Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal.
2. National Newsprint & Paper Mills Ltd., Nepanagar.
3. Hindustan Steel Ltd. - Bhilai Steel Plant.
4. National Mineral Development Corporation Ltd.-
   (i) Panna Diamond Project
   (ii) Bailadila Iron Ore Project.
5. Some collieries of the National Coal Development Corporation.

(b) As regards the cost at which the units were started, it is presumed that the Hon'ble Member requires information on the investment, reckoned in terms of gross block. Since the original cost estimates may have undergone revisions in view of various factors, these figures of investment, as on 31-3-1968 along with the dates on which the undertakings/projects were started are given below :—

Name of the undertaking/project	Started in	Value of Gross Block as at the end of March, 1968 (Rs. in crores)
1. Heavy Electrical (India) Ltd.	1956	65.90
2. National Newsprint & Paper Mills Ltd.	1947	11.82
3. Hindustan Steel Ltd. -Bhilai Steel Project.	1955	368.50
4. National Mineral Dev. Corpn.		
(i) Diamond Project, Panna.	December 1959.	0.89
(ii) Iron Ore Project, Bailadila	March, 1961	21.44

5. National Coal Development Corpn. * 49.63

*Different Collieries are involved.

(c) The details regarding production, costs, profits or loss, during 1967-68 relating to the above units were as follows :-

(Rs. in lakhs)

Name of the Undertaking/ Project	Production during 1967-68	Cost of sales including depreciation & interest	Net Profit (+) (before tax) Loss (—)
1.	2.	3.	4
1. Heavy Electricals (India) Ltd.	Rs. 23 crores	2047	(—) 562
2. National Newsprint & Paper Mills Ltd.	31308 tonnes of newsprint	282	(+) 45
3. Hindustan Steel Ltd Bhilai Steel Project.	1.785 million tonnes of ingot steel.	12143	(—) 778
4. National Mineral Dev. Corporation.			
(i) Panna Diamond Project.	7840 carats	41	(—) 18
(ii) Bailadila Iron Ore Project	3.78 lakh tonnes float ore	263	(—) 1
5. National Coal Development Corporation	10.35 million* tonnes of coal	3061*	(—) 61*

(*relates to N.C.D.C. as a whole)

(d) and (e) . Presumably the Hon'ble Member is referring to progress in terms of investments in industries. As far as Central Government investments (in terms of gross block) are concerned, Madhya Pradesh accounts for highest amount invested in any one State, with an investment of Rs. 518 crores, as at the end of 1967-68.

तस्कर व्यापार पर टेरीन कपड़े के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

6275. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में टेरीन कपड़े के मूल्यों में वृद्धि हो गई है और इस किस्म के कपड़े पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिये जाने के कारण भारत में इस किस्म के कपड़े का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से पांच गुना अधिक हो जायेगा;

(ख) क्या मूल्य में इस अन्तर के कारण भारत में चोरी छिपे नायलोन का धागा अधिक मात्रा में लाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह उत्पादन शुल्क लगाये जाने और इस के फलस्वरूप मूल्य में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप तस्कर व्यापार में वास्तव में कुछ वृद्धि हुई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उत्पादन-शुल्क केबिना, टेरीन रेशे का कारखाने में मूल्य 1967 में 31.08 रुपये प्रति कि0 ग्रा0 से घट कर 1969 में 20.58 रुपये प्रति कि0 ग्रा0 हो गया है। उत्पादन-शुल्क सहित कारखाने में वर्तमान मूल्य जिसमें निर्माण में प्रयुक्त पोलिमर पर उत्पादन-शुल्क भी शामिल है, 50.48 रुपये प्रति कि० ग्रा0 है। यह मूल्य बताये गये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से लगभग 5 गुना है और इसमें अलग अलग देशों में लगाया जाने वाला शुल्क यदि कोई हो, शामिल नहीं है। लेकिन आयात किये टेरीन रेशों को शुल्क सहित लागत की अपेक्षा यह केवल लगभग 5 रुपये से 7 रुपये तक अधिक है।

(ख) तथा (ग). टेरीन रेशे की कीमतों में भिन्नता के बावजूद भी टेरीन रेशे के तस्कर आयात-निर्यात का कोई मामला वास्तव में देखने में नहीं आया है। तथापि, नायलोन सूत के मामले में इसी प्रकार कीमतों में भिन्नता है तथा इस सूत के तस्कर-आयात-निर्यात के मामले हुए हैं। तस्कर आयात-निर्यात रोकने के उपाय के रुप में, प्रचलित मोटाई के नायलोन सूत पर उत्पादन-शुल्क में पर्याप्त राहत दी गयी है।

ट्रंक पाइप लाइनों का निर्माण

6276. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में ट्रंक पाइप लाइनों के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें से कौन सा कार्य सीधे तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा आरम्भ किया जायेगा और कौन सा कार्य गैर-सरकारी फर्मों को सौंपा जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा०चव्हाण): (क) और (ख). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कलौल-नवगांव-कोयाली कच्चे तेल की पाईप लाइन के निर्माण कार्यक्रम को, अन्तिम रुप दे दिया गया है। कुछ और पाइप-लाइनों के निर्माण की व्यवहारिकता, अभी परीक्षणाधीन है।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण में, उक्त ट्रंक पाइप लाइन का निर्माण-कार्य, उपयुक्त एवं प्रसिद्ध ठेकेदारों द्वारा होना है।

Chairmen or Managing Directors in Public Undertakings.

6277. **Shri Narendra Kumar Salve** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of Chairmen or Managing Directors in the Public Sector Undertakings separately appointed from political field, Central services and technical or scientific or engineering field ; and

(b) the criteria on which the Chairmen of Public Sector Undertakings are appointed and whether Government have prescribed any basic principles in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to the full-time cief Enterprises. There are at present 52 full-time Chairmen or Managing Directors from the Government Services (including State Government and Armed Forces) and 13 from technical/scientific/engineering fields (Not included in the first category). Of the five other Chief Executives who are also in position, one is a former Member of Parliament. Over and above, there are 51 Chairmen of Public Enterprises who are part-time. Out of them 26 belong to Govt. services, 4 to technical/scientific/industrial fields and 21 who do not belong to these two categories.

(b). Government's policy is to appoint men of suitable talent and experience whatever walk of life they belong to as Chairmen of Boards of Public Enterprises.

मैसर्स बी. के. इंडस्ट्रियल कारपोरेशन

6278. डा. रानेन सेन : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बी. के. इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की केनिंग परियोजना का बराइट्स पाउडर खरीदने के लिये एजेन्ट नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बराइट्स पाउडर खरीदने तथा उसे भेजने के बारे में मैसर्स बी. के. इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन शिकायतों की जाँच की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द. रा. चव्हाण) : (क) जी नहीं। मैसर्स बी. के. इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कुल आयोग के लिए बराइट्स पाउडर के सात प्रदायकों में से एक हैं।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इस कारपोरेशन के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

मद्रास राज्य में पंजामृदम् पर कर

6279. श्री चित्ति बाबू : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969-70 के बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप पजामृदम् (मद्रास राज्य में पहाड़ी हार्ड मूंगा मन्दिर का प्रसाद) पर कर लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रसाद को कर से मुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) 26 मार्च, 1969 को जारी की गई एक प्रेस-विज्ञप्ति में सरकार ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पंजामृतम् पर उत्पादन-शुल्क नहीं लगाया जाय चाहे वह किसी यूनिट कन्टेनर में ही क्यों न रखा गया हो । 3 अप्रेल, 1969 को इस आशय की छूट सम्बन्धी औपचारिक अधिसूचना भी जारी की गई है कि किसी भी पूजा-स्थल पर भेंट किया जाने वाला (पालानी पंचामृतम् की तरह के) 'प्रसाद' अथवा 'प्रसादम्' पर शुल्क नहीं लगाया जायगा।

Farakka Barrage

6280. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Irrigaiton and Power** be pleased to state :

(a) the number of persons likely to face unemployment after the completion of the Farakka barrage;

(b) whether Government have formulated any scheme to provide them alternative employment;

(c) if so, details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). The actual number of persons who might be rendered surplus on the completion of the Farakka Barrage cannot be estimated at present. After the completion of the present phase of works of the Project, other works of phase II will be taken up and the employees may become surplus gradually from 1971. The cases of their absorption have already been taken up with the State Government and various authorities, including those under Central Government.

सूखा राहत कार्यों के लिये आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र द्वारा सहायता

6281. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सूखे की गम्भीर तथा अपूर्ववत स्थिति को देखते हुए वर्ष 1968-69 में मिलने वाली सूखा सहायता की 12.55 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 18 करोड़ रुपये करने तथा अप्रेल, 1969 से जून, 1969 की अवधि में मिलने वाली अधिकतम सीमा को 9 करोड़ रुपये करना स्वीकार करने के लिये केन्द्र से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार इस बात के लिये सहमत हो गयी है कि केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये, आन्ध्र प्रदेश में, 1968-69 में, सूखा-सम्बन्धी सहायता-कार्यों पर किये जाने

वाले खर्च की सीमा बढ़ाकर 14 करोड़ रुपया कर दी जाय। जहाँ तक 1969-70 का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सहायता के अंशदान के प्रयोजन के लिये अप्रेल, 1969 से जून, 1969 तक की अवधि में किये जाने वाले खर्च की सीमा, अन्तिम रूप से 2 करोड़ निश्चित की गयी है। इस सम्बन्ध में मई, 1969 में स्थिति की फिर से जाँच की जायेगी।

गोदावरी बांध योजना

6282. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी बांध योजना को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये दो वर्ष पूर्व भेजा था :

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक इस योजना के बारे में अपनी मंजूरी नहीं दी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) स्कीम की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में तकनीकी जांच हो रही थी।

(घ) तकनीकी जाँच पूरी हो गई है और स्कीम सलाहकार समिति को अनुमोदन के लिये शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दिल्ली में परिवार नियोजन केन्द्र

6283. श्री रामावतार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के परिवार नियोजन केन्द्रों में महिलाएं जाने से संकोच करती हैं क्योंकि वहां पर एकान्त का कोई स्थान नहीं है और डाक्टर कपड़े के एक परदे के पीछे महिलाओं की जाँच करती है जब कि उसी कमरे में अन्य महिलायें बैठी होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल-पर रख दी जाएगी।

विशाखापतनम में जिंक प्रद्रावक कारखाने को हानि

6284. श्री सीताराम केसरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और धातु मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विशाखापतनम में एक जिंक प्रद्रावक कारखाना स्थापित करने में भारी हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई थी; और इसके क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीजगन्नाथ राव) : (क) और (ख). विशाखापत्तनम स्थान पर जस्ता प्रद्रावक की स्थापना के लिये पोलैंड के अधिकरण से इस समय केवल एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट ही तैयार करवायी जा रही है। अत: इन परिस्थितियों में किसी हानि का प्रश्न नहीं उठता।

Supply of Equipments and Financial Aid to Madhya Pradesh.

6285. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of equipments supplied and the amount given to Madhya Pradesh by the Central Government during the last three years for family planning operations and devices ; and

(b) the number of equipments and the amount proposed to be given to Madhya Pradesh for this purposes during 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development. (DR. Shri Chandrasekhar) : (a) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-745/69]**

(b) In so far as supply of equipments needed by Madhya Pradesh during 1969-70 for Family Planning works is concerned, the State Government will according to the usual procedure place the necesary indent on the concerned medical store depot for their requirements.

So far as the financial allocations for Madhya Pradesh during 1969-70 for Family Planning work is concerned, this is made accoring to approved patterns on the basis of the development of activities during the particulars year. The allocations for 1969-70 will be finalised shortly.

Financial Assistance to Madhya Pradesh For Family Planning Programme.

6286. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Health, and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the amount of financial assistance proposed to be given by Government to the Government of Madhya Pradesh during the year 1969-70 for the purpose of Family Planning ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. Shri Chandrasekhar) : The allocations for 1969-70 to the States will be finalised shorty.

Shortage of Doctors in Madhya Pradesh Hospitals

6287. Shri Hukan Chand Kachwai : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have enquired from the Madhya Pradesh Government about the number of doctors at present required in the Government hospitals in Madhya Pradesh ;

(b) whether the State Government have requested the Central Government to remove the shortage of doctors in those hospitals ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

आयकर विभाग अथवा न्यायालयों में आयकर के अनिर्णीत मामले

6288. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में आयकर की बकाया राशि के कितने मामले इस समय आयकर विभाग अथवा न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है तथा कितने मामलों में करदाताओं को कर के भुगतान से छूट दी गई है; और

(ग) उन करदाताओं के नाम क्या हैं, जिन्हें आयकर का भुगतान न करने के कारण उपरोक्त अवधि में अर्थ दण्ड दिया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । बहुत बड़ी संख्या में फाइलों की छानबीन करके ही इसे इकट्ठा किया जा सकता है जिसमें काफी समय तथा श्रम लगेगा । वर्ष 1967-68 के सम्बन्ध में जितने कर-निर्धारण करने बाकी रहते हैं उनके बारे में तथा आय-कर की बकाया की रकम के बारे में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है:-

(क) 1967-68 के सम्बन्ध में कर-निर्धारण जो 1-4-1968 को आगे ले जाये गये	13,02,775
(ख) 1967-68 में जारी की गयी मांग में से बकाया मांग जो 1 अप्रैल, 1968 को आगे ले जायी गयी	79.61 करोड़ रुपये

वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष अभी अभी समाप्त हुआ है ।

भारत में अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र

6289. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत में अनुसंधान तथा विकास केन्द्र प्रयोग शालाएं स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी पूंजी लगाई गई है और उनका आवर्ती व्यय कितना है ;

(ग) भारत में उन्होंने कितने पेटेन्ट रजिस्टर और भारत तथा विदेशों में पृथक-पृथक उनके कितने पेटेंटों को लाइसेसं प्राप्त है ; और

(घ) विदेशों में उनके पेटेंटों के लाइसेंस देने के लिए रायल्टी तथा शुल्क के रुप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). यह अनुमान है कि सदस्य महोदय का आशय रसायन और औषध क्षेत्रों में कम्पनियों से है। इस आधार पर सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

कोटा (राजस्थान) के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षार्थियों द्वारा दिया गया ज्ञापन-पत्र

6290. **श्री देवेन सेन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कोटा (राजस्थान) के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के सभी प्रशिक्षणार्थियों से एक ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थना की गई है कि उन्हें मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए परियोजनाओं में भेजा जाय या वृत्तिका योजना के अन्तर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए किसी अन्य विभाग या उद्योग को भेजा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को कोटा के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के कुल 50 प्रशिक्षणार्थियों में से 43 प्रशिक्षाणार्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) कोटा के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यार्थियों का विवरण उन विविध सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को परिपत्रित किया गया है जहां भारी मृद्वाही मशीनरी का प्रयोग हो रहा है और उनसे कहा गया है कि वे और आगे प्रशिक्षण के लिए इनमें से जितने अधिक प्रशिक्षणार्थियों को ले सकते हैं, ले लें, बीच, कोटा के नौ स्नातक इन्जीनियर प्रशिक्षणार्थियों को कोटा बांध और राजस्थान नहर स्थानान्तरित कर दिया गया है जहां निर्माण कार्य चल रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

6291. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का पारी से बाहर नियतन किया गया है ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अभी भी क्वार्टरों के नियतन किये जाने की प्रतिरक्षा कर रहें हैं ; और

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्होंने 20 वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली है लेकिन फिर भी उन्हें सरकारी क्वार्टरों का नियतन नहीं किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) 1 अप्रेल, 1967 से आरम्भ होने वाले पिछले दो वर्षों में दिल्ली—नई दिल्ली में सामान्य पूल से 1951 सरकारी कर्मचारियों को बगैर बारी के आवंटन स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) 568 सरकारी कर्मचारी, जिनके मामलों में बगैर बारी के आवंटन स्वीकृत किये जा चुके हैं, अभी भी वास्तविक आवंटन की प्रतीक्षा में हैं।

(ग) लेखन सामग्री तथा श्रम में बचत करने की दृष्टि से, सरकारी निवास स्थानों के आवंटन के लिए केवल उन सरकारी कर्मचारियों से आवेदन पत्र मांगे जाते हैं, जिनकी प्राथमिकता की तारीख सम्पदा निदेशालय द्वारा निर्धारित विशेष परिधि में आती है, जो वर्ष विशेष के दौरान वास की प्रत्याशित उपलब्धि देखते हुए रखी जाती है। 700 रुपये और ऊपर की परिलब्धियाँ पाने वाले अधिकारियों के मामलों में, जो टाइप V और ऊंचे वास के पात्र हैं, प्राथमिकता की तिथि उस तारीख से मानी जाती है जिस से अधिकारी इन परिलब्धियों को बराबर लेते रहे हों, और ऐसे मामलों में नियुक्ति की तारीख आवेदन फार्म में नहीं माँगी जाती। अतएव, सम्पदा निदेशालय में, उन सरकारी कर्मचारियों के जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, परन्तु जिन्हें अभी तक सामान्य पूल से रिहायशी वास उपलब्ध नहीं किया गया है, की संख्या के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Opium Factories

6292. Shri Jharkhande Rai : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) The number of Opium Factories run by Government of India;

(b) The number of workers in those factories, separately;

(c) Whether it is a fact that for last two years, the workers of the Ghazipur Opium Factory (U.P.) have not got the ex-gratia production award (bonus) which they had been getting since 1960; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) There are three Opium Factories, one each at Ghazipur, Neemuch and Mandsaur.

(b) The number of workers in the three factories is as follows :—

(i) Ghazipur	565
(ii) Neemuch (iii) Mandsaur	113

(c) and (d). No, Sir. The statement that they had been getting this award since 1960 is not correct. The payment of the ex-gratia production award is dependent on the fulfilment of certain norms of output of opium and semi-refined morphine as laid down by Government and can be made in respect of any particular year only after the factory management has certified that the conditions for the grant have been fulfilled. The workers of the Ghazipur Opium Factory have already been paid the ex-gratia production award for the opium year 1666-67. No production award was paid for the opium year 1965-66, as the

conditions were not satisfied. No ex-gratia production award has so far been paid for the opium year 1967-68, as according to the Narcotics Commissioner, the production norms have not been satisfied for this year.

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

6293. श्री एन० शिवप्पा : क्या सिचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नदी घाटी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पहली, दूसरी और तीसरी योजना में स्वीकृत की गई ऐसी परियोजनाओं का अलग अलग ब्यौरा क्या है जिन पर निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और विभिन्न प्रकार की वह बाधायें क्या हैं जिनके कारण निर्माण कार्य में प्रगति नहीं हो रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तीन योजनाओं के दौरान शुरू किए गए बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण 'इण्डिया-इरीगेशन एण्ड पावर प्राजेक्ट्स' (फाइव यिअर प्लैन्स) नामक प्रकाशन में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में पहले से ही रखा दी गई हैं। वार्षिक योजनाओं में बाद में अनुमोदित परियोजनाओं की एक सूची परिशिष्ट -1 के रूप में संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 746/69]

(ख) बृहत् परियोजनाओं की एक सूची, जिन पर कार्य पिछली योजनाओं में आरम्भ कर चौथी योजना में भी किया जा रहा हैं, परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, बहुत सी मध्यम सिंचाई स्कीमें प्रगति के विविध चरणों में है जिन पर कार्य पिछली योजनाओं में से चला आ रहा है।

कार्यों के पूर्ण होने में देरी का मुख्य कारण संसाधनों की कमी है।

तमिल नाडु को केन्द्रीय सहायता

6294. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने अपने राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता उपाय करने हेतु केन्द्र से तीन करोड़ रुपये मांगे हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य द्वारा ऋण की अदायगी का फिर से समय निर्धारित किये जाने की मांग भी की है; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) तमिल नाडु सरकार द्वारा सूखा सहायता उपायों पर खर्च की गई राशि के हेतु राज्य सरकार के लिए 1.25 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी हैं। मई, 1969 में स्थिति का पुनरीक्षण करके खर्च को प्रगति के अनुसार और सहायता दी जायेगी। जहां तक ऋणों की अदायगी का फिर से समय निर्धारित करने का प्रश्न है, राज्य सरकारों को दिये गये केन्द्रीय ऋणों को समेकित करने तथा अदायगी की शर्तें पुन: निर्धारित किये जाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में लोह अयस्क के निक्षेप

6295. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कुछ जिलों में लोह अयस्क का पता लगा है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन निक्षेपों को निकालने के लिये कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग), सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई में चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

6296. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री निं० रं० लास्कर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में दो करोड़ रुपये के मूल्य की चोरी छिपे लाई गई वस्तुएं पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कितने व्यक्तियों का हाथ है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और वे वस्तुएं कैसे तथा कहां से चोरी छिपे लाई गई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). बम्बई के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के कर्मचारियों ने 22 मार्च, 1969 को बम्बई में वार्डन रोड पर मफतलाल पार्क के अहाते में खड़ी 2 कारों को पकड़ा और ब्रिटिश तथा स्विस मार्के का सोना बरामद किया। सोने का मूल्य बाजार दर पर लगभग 1,12,75,000 रु० है और अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 54,13,000 रुपये है।

उनमें से एक कार में से निकलकर भागने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति को तथा पार्क के एक गुरखा चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा गया था उसके निवास स्थान से 2,450 रुपये की भारतीय मुद्रा भी पकड़ी गई। ऐसा सन्देह किया जाता है कि सोना, फारस की खाड़ी से किसी मशीनी नौका में लाया गया था। बाद में यह मामला सीमा शुल्क विभाग बम्बई को सौंप दिया गया। आगे जांच पड़ताल जारी है।

महापौर सम्मेलन

6297. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा में हाल में हुए महापौर सम्मेलन में क्या क्या सिफारिशें की गईं;

(ख) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने एक ज्ञापनपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें महापौर सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) बड़ौदा में 27 और 28 दिसम्बर, 1968 को हुई अपनी आठवीं बैठक में अखिल भारतीय महापौर परिषद् ने भारत सरकार को जो सुझाव दिये थे वे संकल्प संख्या 9, 12, 17,18,21,22,25 27,28,29 और 30 में दी गई हैं जनकी प्रतियां 31 मार्च, 1969 को लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4763 के भाग (ख) के उत्तर के साथ भेज दी गई थी।

(ख) अखिल भारतीय महापौर परिषद् द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उसने संकल्प संख्या 28 में दिये गये सुझाव के क्रियान्वयन के लिए अनुरोध किया है।

(ग) इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

भारत में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के सम्बन्ध में अध्ययन की सिफारिश

6298. श्री रा० कृ० सिंह :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री एस० कुडू :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के कार्य संचालन का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल यूरोप भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दल ने किन किन देशों की यात्रा की;

(ग) उनकी सिफारिशें क्या है; और

(घ) उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) दल ने टर्की, पश्चिमी जर्मन, स्पेन और ब्रिटेन का दौरा किया।

(ग) दल के निम्न विचार हैं :

(1) सामान्य तौर पर कोयले पर आधारित उर्वरक सन्यन्त्रों की तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता के बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए और विशिष्ट परियोजनाओं पर विस्तृत विचार किया जा सकता है; और

(2) कोयला-गैसीकरण के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं में से काप्पर्स टाटज़ेंक प्रक्रिया हमारे देश में अपनाने के लिए अत्याधिक उपयुक्त है।

(घ) सरकार ने उनके विचारों को स्वीकार कर लिया है।

Income-Tax Arrears Outstanding Against Firms to M.P. Question

6299. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of firms of Indore, Ujjain, Devas and Shajapur of Madhya Pradesh, against which Income-tax arrears are outstanding ;

(b) the total Income-tax arrears outstanding in these districts ; and

(c) the steps proposed to be taken to realise such arrears ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

अनधिकृत बस्तियां

6300. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी अनधिकृत बस्तियों के नाम क्या क्या हैं जिन्हें अभी तक विनियमित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इन बस्तियों के विनियमित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) अनधिकृत बस्तियों के नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं जिन्हें नियमित नहीं किया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 747/69]

(ख) और (ग). अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई

6301. श्री समर गुह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के निर्णय की शर्तों के अनुसार मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी को शेष बैरल उनकी अपनी इस्पात की चादरों में से बना कर सप्लाई करने थे ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने तेल कम्पनियों को बैरल सप्लाई किये थे परन्तु इण्डियन आयल कारपोरेशन को इस आधार पर बैरल सप्लाई करने से इन्कार कर दिया था कि उन्हें इस्पात की चादरें सप्लाई नहीं की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही मध्यस्थ निर्णय की शर्तों का उल्लघंन करने के बराबर है ;

(घ) क्या इस प्रकार इन्कार किये जाने पर इण्डियन आयल कारपोरेशन मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी को 500 टन इस्पात की चादरें सप्लाई करने के लिए तैयार था ; और

(ङ) यदि हां, तो मध्यस्थ निर्णय की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय इस कम्पनी का अनावश्यक पक्षपात किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द.रा. चव्हाण) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

प्रधान मंत्री के निवास स्थान की मरम्मत आदि पर व्यय

6302. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 3 मार्च 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 तथा 1968-69 में प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर किये गये व्यय में सफेदी मरम्मत आदि का व्यय भी शामिल है ;

(ख) यदि नहीं तो उक्त अवधि में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग अलग कितना व्यय किया गया;

(ग) 1967-68 में मद संख्या 3 के अन्तर्गत किये गये व्यय के सम्बन्ध में कितनी टबों तथा धावन-कुण्डियों (वाश बेसिन) की व्यवस्था की गई और इन चीजों पर अलग अलग कितनी लागत आई ;

(घ) 1968-69 में नये कमरे सुरक्षा की दृष्टि से बनाये गये थे अथवा निवास के लिये ; और

(ङ) निर्मित कमरों तथा प्रत्येक पद पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) सभा पटल पर विवरण रखा जाता है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.** 748/69)

(ग) एक बाथ टब और एक वाश बेसिन जिसमें गर्म और ठण्डे मिलाने का प्रबन्ध है, की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक की लागत लगभग निम्न प्रकार है:—

(1) बाथ टब	804.00 रुपये
(2) गर्म और ठण्डे मिलाने की व्यवस्था वाला वाश-वेसिन	300.00 रुपये
	1,104.00 रुपये

(घ) रिहायशी तथा कार्यालय प्रयोजन के लिए ।

(ङ) ब्यौरा निम्न प्रकार है-

वास का ब्यौरा	**किया गया खर्च**
(i) एक अतिरिक्त शयन कमरा	8,476.00 रुपये
(ii) एक छोटे कमरे का विस्तार जिससे कि उसे सोने का कमरा बना दिया जाय ।	4,419.00 रुपये
(iii) (ii) के साथ संलग्न स्नानगृह	2,694.00 रुपये
(iv) (ii) के साथ संलग्न बरामद	4,510.00 रुपये
(v) कार्यालय स्टाफ के लिये नया कमरा	8,053.00 रुपये
	28,152.00 रुपये

उपरिलिखित पर बिजली के सामान का लगाया जाना-   8,412.00 रुपये

मार्च 1969 में अतिरिक्त वास के लिये बिजली लगाने पर 7,485 रुपये का और व्यय हुआ है । पहले बताया हुआ व्यय 927 रुपये था ।

किए गए बिस्तार और परिवर्धन के फल स्वरूप मकान के रिहायशी भाग में प्रधान मंत्री तथा उनके परिवार के लिये अब तीन शयन कमरे है।

हिमाचल प्रदेश में पेय जल योजनायें

6303. **श्री हेम राज :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुमोदनार्थ तथा मंजूरी के लिये जो पेय जल योजनायें प्राप्त हुई हैं उन की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन योजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं जिन्हें अनुमोदित और मंजूर कर लिया गया है तथा उन योजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं जिन्हें अभी अनुमोदित और मंजूर नहीं किया गया ;

(ग) उन्हें कब तक मंजूर किया जायेगा ;

(घ) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की हाटरोस जल सम्भरण योजना प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और इस पर कब तक निर्णय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार से 105 ग्रामीण जल संभरण योजनाएं प्राप्त हुई थीं। राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक सरकार ने 87 योजनाएं मंजूर की हैं। 6 योजनाओं की जांच पड़ताल का कार्य चल रहा है और अप्रेल, 1969 के अन्त तक उनके बारे में निर्णय कर लिया जायेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त योजनायें, मंजूर की गई तथा जांचाधीन योजनाओं की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी.** 749/69)

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार से हाटरोस जल संभरण योजना नाम की कोई जल संभरण योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ०) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

वित्त मंत्री के साथ मुख्य मंत्रियों की बैठक

6304. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ मुख्य मंत्री उनसे मिले थे और उन्होंने राज्यों को केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के प्रश्न पर बातचीत की ;

(ख) यदि हां तो उनसे बातचीत करने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों/प्रतिनिधियों के क्या नाम हैं; और

(ग) बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). पिछले चार सप्ताहों में, जब महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों के मुख्य मंत्री दिल्ली आये थे तब वे उप-प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने उनसे सामान्य रूप से बातचीत की थी जिसका एक विषय केन्द्र और सम्बद्ध राज्य सरकारों का वित्तीय सम्बन्ध भी था।

गत वर्ष वसूल की गई अथवा बट्टे खाते में डाली गई आय कर की बकाया राशि

6305. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में सरकार द्वारा आय कर की कुल कितनी बकाया राशि वसूल की गई ;

(ख) उक्त अवधि में आयकर की कितनी बकाया राशि को बट्टे खाते में डाला गया तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन करदाताओं के नाम क्या हैं जिनके नाम में बकाया एक लाख रुपये से अधिक आयकर की राशि को बट्टे खाते में डाला गया ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 56.26 करोड़ रुपये। इन वास्तविक वसूलियों के अलावा, प्रथम आठ महीनों में अपीलीय आदेशों में दी गई राहत, परिशोधन, अग्रिम कर के समायोजन आदि के कारण 1 अप्रेल, 1968 को आगे लायी गयी बकाया मांग की रकम में 35.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमी हो गई है ।

(ख) केवल वसूल न हो सकने योग्य बकाया रकमें ही बट्टे खाते डाली जाती हैं। 1968-69 के प्रथम छः महीनों में, जिन चार मामलों में, एक लाख से ऊपर अथवा उससे भी अधिक की जो बकाया रकमें वसूल न हो सकने योग्य होने के कारण बट्टे खाते डाली गयीं, उनका कुल जोड़ 19,59,886 रुपये है। एक लाख से कम रकम के मामलों में 1968-69 के प्रथम छः महीनों में बट्टे खाते डाली गयी कुल रकमों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी। 19,59,886 रुपये की रकम को बट्टे खाते डालने के कारण नीचे दिये गये हैं:—

(i) एक मामले में बकाया मांग 1943-44 से 1952-53 तक के करनिर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में थी। संयुक्त सम्पत्ति में निर्धारिती के हिस्से को तथा उसकी खेती की जमीन को बेचने से 20,094 रुपये वसूल हुए। 1646 रुपये की मामूली सी रकम को छोड़ कर, जिसकी भविष्य में वसूली की आशा है, शेष रकम बट्टे खाते डाल दी गई, क्योंकि अन्य कोई ऐसी परिसम्पत्ति नहीं थी जिससे वसूली हो सकती।

(ii) दूसरा मामला एक कम्पनी का है और उसमें बकाया माँग 1947-48 से 1951-52 तक के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में थी। कम्पनी के एक निदेशक

ने 1948 में त्यागपत्र दे दिया था और एक अन्य निदेशक की 1956 में मृत्यु हो गयी। कम्पनी परिसमाप्त हो गयी तथा रिसीवर की मार्फत 6,378 रुपये ही वसूल किये जा सके। कम्पनी अब अस्तित्व में नहीं है तथा उसकी पता लग सकने योग्य कोई परिसम्पत्तियां नहीं हैं इसलिए शेष रकम बट्टे खाते डाल दी गयी।

(iii) तीसरे मामले में, मांग का सम्बन्ध 1949-50 से 1956-57 तक के कर-निर्धारण वर्षों से था। फर्म का भारत में एक खरीद-केन्द्र था जो सितम्बर, 1954 में बन्द कर दिया गया। उसके व्यापार-स्थान को बेच कर 8,414 रुपये वसूल किये गये। चार में से 2 भागीदार पहले ही दिवालिये घोषित हो चुके हैं। तीसरे की मृत्यु हो गई है। चौथे भागीदर के आय का कोई स्रोत नहीं है। इस मामले में ऐसी कोई परिसम्पत्तियां नहीं बची थीं, जिनसे वसूली सम्भव हो सकती, इसलिए बकाया रकम बट्टे खाते डाल दी गयी।

(iv) चौथे मामले में बकाया मांग का सम्बन्ध 1944-45 से 1946-47 तक के कर-निर्धारण वर्षों से हैं। दिसम्बर 1948 में कम्पनी ने अपना कारोबार बन्द कर दिया। कम्पनी के मामलों को समेटने के लिये एक परिसमापक नियुक्त किया गया। निदेशकों के खिलाफ अधिकार के दुरुपयोग का मुकदमा चलाया गया था, जिसके दौरान, बम्बई के उच्च-न्यायालय ने प्रबन्धक निदेशक को दिवालिया घोषित कर दिया। जो कार्यवाही की गई उससे 1954 में 5,000 रुपये वसूल हुए। कम्पनी की परिसमाप्ति को ध्यान में रखते हुए और उसकी कोई परिसम्पत्तियाँ नहीं होने से, शेष मांग को बट्टे खाते डाल दिया गया।

(ग) 1. श्री एम. एफ. जस्सावाला, बम्बई।
2. मैसर्स काली फिल्म्स लिमिटेड, कलकत्ता।
3. मैसर्स पोपटलाल एण्ड कम्पनी, बम्बई।
4. मैसर्स नेशनल स्टूडियोज लिमिटेड, बम्बई।

नर्मदा जल विवाद के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण

6306. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खोसला आयोग की सिफारिशें स्वीकार न किये जाने के कारण भारत सरकार ने नर्मदा जल विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और न्यायाधिकरण के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस विषय पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में बाढ़ सहायता कार्य

6307. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में गुजरात राज्य में किये गये बाढ़ सहायता कार्यों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यों पर कितना खर्च किया गया ;

(ख) गत वर्ष गुजरात राज्य में बाढ़ से कितनी हानि तथा क्षति हुई ; और

(ग) इस वर्ष गुजरात राज्य में जिन बाढ़ नियंत्रण कार्यों को करने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा क्या है और यदि राज्य की चौथी योजना में कोई बाढ़ नियत्रण योजनायें शामिल करने का विचार है तो उनका ब्यौरा क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। (विवरण-1) **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 750/69)

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि 1968 में बाढ़ द्वारा निम्नलिखित रुप से हानि हुई है :—

1. फसलों को हानि	549.27 लाख रुपये
2. मकानों और झुग्गियों को हानि	407.05 लाख रुपये
3. मृत पशुओं की कीमत	36.13 लाख रुपये
4. सड़कों को हानि	757.00 लाख रुपये
5. सिंचाई कार्यों को हानि	96.00 लाख रुपये
6. भवनों को हानि	16.25 लाख रुपये
7. पत्तनों को हानि	1.50 लाख रुपये
8. उद्योगों को हानि	993.80 लाख रुपये
9. जनहित कार्यों को हानि	549.96 लाख रुपये
कुल	3406.96 लाख रुपये

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरणों (संख्या 2-3) में दी गई है। **(पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.** 750/69)

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को नगर भत्ता

6308. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री निहाल सिंह :
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले नगर भत्ते की अधिकतम सीमा 12 50 रुपये निर्धारित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिलाने से इन कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि उन बढ़ी हुई दरों पर दी जाती हैं जिसके लिये वे अपने वेतनमान में अगले स्तर पर पहुंचने के बाद हकदार होते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ते की दरें उनके पदों की श्रेणी से सम्बन्धित नहीं होती बल्कि उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे (महंगाई वेतन सहित) वेतन से सम्बन्धित होती हैं। 'ए' श्रेणी के शहर में (महंगाई वेतन सहित 150 रुपये प्रति मास से नीचे वेतन पाने वाले कर्मचारी, कम से कम 7.50 रुपये और अधिक से अधिक 12.50 रु० की सीमा के अधीन रहते हुए, वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के हकदार हैं। यह दर दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

(ग) तथा (घ). महंगाई भत्ते के एक भाग को वेतन मान लेने के निर्णय में वेतनमानों के संशोधन की बात नहीं आती। इसलिए वार्षिक वेतन-वृद्धियां समय-समय पर प्राप्त किये जा रहे मूल वेतन के अनुरूप ही विनियमित होती रहेंगी।

Beds in Madhya Pradesh Hospitals.

6309. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an average of 45 beds in hospitals after one lakh people in Madhya Pradesh whether the all India average is 49 beds and if so, whether there is any likelihood of granting additional grants to Madhya Pradesh in 1969-70 during the Fourth Plan to bring this average at par ;

(b) the state where such average is highest; and

(c) if no additional grant is proposed to be sanctioned to Madhya Pradesh, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) and (c). Against the All India average of .49 beds for one lakh people, the bed population ratio in Madhya Pradesh is 39 beds for one lakh people.

The Working Group on Health recommended an allocation of Rs. 610 lakhs under the Head 'Hospitals and Dispensaries' for Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan for the addition of 3046 beds (866 bedsat Primary Health Centres, 170 beds at Tehsil Hospitals, 1660 beds at District Headquarters Hospitals and 350 T.B. beds).

Medical care being in the State sector, grants for Plan scheme are released in the form of lumpsum grants and loans.

(b) The bed population ratio as in 1966 was the highest in the State of Nagaland. It was 187 beds per one lakh population.

उत्पादन शुल्क लगाने हेतु सूती कपड़े का वर्गीकरण

6310. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि नमक पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम 1944 की अनुसूची की प्रविष्टि 19 के अन्तर्गत सूती कपडे का अति महीन (सुपर फाइन) मध्यम 'क' और मध्यम 'ख' और मोटे कपड़े में इस समय जो वर्गीकरण किया गया है वह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि सस्ते कपड़े की किस्मों पर बहुत अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया और महंगे कपड़े की किस्मों पर कम उत्पादन शुल्क लगाया गया है ;

(ख) क्या प्रविष्टि 19 के अन्तर्गत 23 मदों जैसे, कोट के कपड़े टसर, लापेट टेरीटावल, मडलापट कन्बस आदि के पृथक वर्गीकरण तथा 1969-70 के वित्त विधेयक में 15 प्रतिशत का यथामूल्य शुल्क लगाकर सरकार ने उत्पादन शुल्क लगाने के अनौचित्य को दूर करने का प्रयत्न किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सूती कम्बलों, गडलापट कन्बेस के कपड़े पर, जो कम मूल्य के हैं अधिक उत्पादन शुल्क के कारण उत्पादन शुल्क में असमानता और भी बढ़ गई है ; और

(घ) क्या यह सच है कि यदि सूती कपड़े की सभी किस्मों पर प्रशुल्क मूल्यों पर आधारित दूरदर्शी दरों पर यथामूल्य उत्पादन शुल्क लगाया जाता है तो यह बहु समानदर्शी होगा क्योंकि यह कपड़े के मूल्य के अनुसार उत्पादन शुल्क लगाना सुनिश्चित करता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि केन्द्रीय उत्पादन - शुल्क तथा लवण अधिनियम 1944 की पहली अनुसूची की मद सं० 19 के अन्तर्गत सूती वस्त्रों का जो सुपरफाइन, फाइन, मीडियम-ए, मीडियम-बी और कोर्स में वर्गीकरण किया गया है उससे कुछ मामलों में शुल्क का अनुचित भार पड़ा है। परन्तु यह सही नहीं है कि सभी सस्ती किस्मों के कपड़ों पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है और सभी कीमती किस्मों के कपड़ों पर कम उत्पादन-शुल्क लगाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। समकक्ष मूल्य श्रेणियों के कुछ सूती वस्त्र, जैसे सूती कम्बल, गदेलापाट तथा केनवेस कपड़े, जिनपर शुल्क की विशिष्ट दरें लागू होती हैं उनपर यदि मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाता है तो शुल्क का भार अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है।

(घ) शुल्क की मूल्यानुसार एक ही दर सबसे अधिक ठीक होगी क्योंकि इससे सभी प्रकार के वस्त्रों पर शुल्क का भार एक सा पड़ेगा। दूरदर्शी दरों से, मूल्य के प्रतिशत अनुपात के रूप में शुल्क का भार, अधिक कीमती माल पर उच्चतर होगा। परन्तु सभी मामलों में शुल्क की मूल्यानुसार दरें लगाने से कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। सूती वस्त्रों के मामलों में, जिनमें बहुत सी किस्में हैं तथा जिनकी कीमतें भिन्न भिन्न हैं, शुल्क सूची में उनके मूल्यों को निश्चित करना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव भी नहीं है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विद्युत् उपक्रम

6311. श्री लोबो प्रभु : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के विद्युत् उपक्रमों में विनियोजित पूंजी पर इस समय औसत तौर पर क्रमशः कितनी आमदनी होती है ;

(ख) आय में अन्तर के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वेंकटरमन समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सिफारिश की गई 11 प्रतिशत आय को उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई की दरों में वृद्धि कर के प्राप्त करने का विचार है और यदि हां, तो 1951 से लेकर अब तक इन दरों में औसत तौर पर कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) क्या आय को मितव्ययिता द्वारा प्राप्त करने का विचार है और यदि हाँ तो क्या उपाय सोचे गये हैं और उन्हें कहाँ तक क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) क्या बिजली की दरों में वृद्धि करते समय कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सभी राज्य बिजली बोर्डों को मिला कर पूंजीगत आधार पर 1967-68 के दौरान औसतन आय 5.8 प्रतिशत हुई थी। इस वर्ष नगर पालिकाओं के उपक्रमों की औसतन आय 6.26% थी और गर सरकारी बिजली उपक्रमों की 7.18 प्रतिशत।

(ख) गैर सरकारी बिजली उपक्रमों और नगर पालिका के उपक्रम अधिकतर शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहाँ पर भार घनत्व ज्यादा होता है और बराबर की मांग को पूरा करने के लिए तदनुसार कम पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है तथा चल रहे कार्यों की लागत, जो उनकी पूंजी लागत में सम्मिलित है, बहुत कम होती है।

बिजली (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 18 के अधीन बिजली बोर्डों का साधारणतया यह कर्तव्य है कि वे राज्य के भीतर, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ किसी लाईसेन्सधारी द्वारा फिलहाल आपूर्ति नहीं होती या अपर्याप्त रूप से होती है, बिजली के उत्पादन, सम्भरण और वितरण के समन्वित विकास को बढ़ावा दे। इसलिये बिजली बोर्ड का दायित्व एक बड़े क्षेत्र को बिजली सप्लाई करना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित है और इसके लिए दूर दूर तक फैले पारेषण और वितरण तार-जाल के प्रतिष्ठापन पर काफी लागत की आवश्यकता है। गैर-

सरकारी उपक्रमों की तुलना में उतनी ही माँग को पूरा करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को काफी अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। बोर्डों के क्षेत्रों में मार तत्व के कम होने के कारण भी लागत पर सीधी आय कम होती है।

(ग) से (ङ). राज्य बिजली बोर्ड 1951 में नहीं थे और केवल 1957-60 की अवधि के दौरान बनाए गये थे। 11% लाभ कमाने से संबंधित वेन्कटारमन की सिफारिशों को, भारत सरकार के संकल्प संख्या ई० एल.-5-11.3 (1)/64 दिनाँक 3 मार्च, 1965 के द्वारा राज्यों के पास भेज दिया गया था। वेन्कटरमण समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि राज्य बिजली बोर्डों को चाहिये कि वे उत्पादन, पारेषण और वितरण की लागत को, अधिभारों समेत, यथा सम्भव कम रखें और सामयिक निरीक्षण करके आवश्यक शोधक उपाय करें। इस सुझाव को भी राज्यों के पास भेज दिया गया था।

इन सुझावों की परिपालना करते हुए राज्य सरकारों ने जो उपाय अपनायें हैं वे इस प्रकार हैं :—

राज्यों में पृथक रूप से स्थापित बिजली प्रणालियों को ग्रिडों के रूप में जोड़ देना ताकि पन-बिजली और ताप-बिजली केन्द्रों का समेकित प्रचालन हो सकें, समन्वित प्रचालन से किफायत लाना, उन उत्पादन यूनिटों को बन्द कर देना जो कि किफायती नहीं, बड़ें आकार के उत्पादन बिजली केन्द्रों का प्रतिष्ठापन, मानकीकृत निर्माण तरीकों को अपनाना, इन्वेन्ट्री कन्ट्रोल इत्यादि, फिर भी, पूंजगत उपस्कर की लागत में और मजदूरी में आम वृद्धि होने के कारण बोर्डों के लिए दरें बढ़ाना आवश्यक हो गया है और ये दरें उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग हों।

बोर्डों द्वारा प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं के मामले में दरों में 1965 से 1 से 75% तक वृद्धि की गई थी और लाइसेन्सधारियों को थोक सप्लाई के मामले में 117% तक वृद्धि की गई थी।

चालन, अनुरक्षण, मूल्य-ह्रास, और विशेष वर्ग को कितना लाभ होगा, इस प्रकार की सब बातों को ध्यान में रख कर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये बिजली के टेरिफ बनाये जाते हैं। इन टेरिफों को निर्धारित करने में स्वभावतः इस सिद्धान्त को कि 'टेरिफ कितना बोझ उठा सकती है' ध्यान में रखा जाता है और इस प्रकार कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक उपज पर टेरिफों की विभिन्नता के प्रभाव को भी साधारणतः ध्यान में रखा जाता है।

Allotment of Government Accommodation to Family Members of Deceased Government Employees

6312. Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri N.R. Patil :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the death of a Government employee, the Government quarter allotted in his name is allotted to his son/daughter if he/she is also a Government employee ;

(b) whether it is also a fact that if such allottee has no adult child, his widow is asked to vacate the quarter within two months after his death and if so, the reasons therefor ; and

(c) the reasons for allotting Government quarters to even a recently employed son/daughter of the deceased employees inspite of the fact that quarters have not been allotted to such Government employees who have completed 12-15 years of their service?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) In accordance with existing orders a Government servent who is in occupation of general pool accommodation, who dies while in service, his son/daughter/wife/husband or father is allotted accommodation from the general pool on out-of-turn basis or the same residence is regularised in his/her name if he/she is eligible for that type or higher type, provided that the said relation is a Government servant eligible for allotment of pool accommodation and had been sharing accommodation with the deceased officer for at least six months before the date of death.

(b) If the widow of the deceased officer is an eligible Government servent working in eligible office, she is also considered for out-of-turn allotment on the basis mentioned in part (a) above. If, however, such allottee has no adult child nor his widow is in Government service, the family can retain general pool accommodation for a period of four months from the date of death of the allottee.

(c) This concession is allowed in order to mitigate the hardship of the family of the deceased officer.

मनीपुर में धन कर तथा उत्पादन शुल्क की वसूली

6313. श्री एम. मेघचन्द्र : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में (1) धन कर तथा (2) सम्पदा शुल्क के रूप में वर्ष 1967-68 और 1968-69 में कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में धन कर तथा सम्पदा शुल्क देने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र से, 1967-68 तथा 1968-69 में (1) धन-कर और (2) सम्पदा-शुल्क की अदायगी के रूप में उगाही गई रकमें नीचे दिये अनुसार हैं:—

वर्ष	वसूल की गई रकम (हजारों रुपयों में)	
	धन-कर	सम्पदा-शुल्क
1967-68	17	4
1968-69	11	3

(ख) 1967-68 तथा 1968-69 में धन-कर तथा सम्पदा-शुल्क अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दिये अनुसार हैं:—

वर्ष	अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	
	धन-कर	सम्पदा-शुल्क
1967-68	46	
1968-69	—	

पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली पर रेडियो स्टेशन के बाहर माडल स्टाल (किय्रोस्क)

6314. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रेडियो स्टेशन के बाहर एक माडल स्टाल के आंवटन के लिए जनवरी, 1969 में मुहरबन्द टेन्डर मांगे थे ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए टेन्डरों का ब्यौरा क्या है और क्या टेन्डर देने की शर्तों के अनुसार यह टेन्डर सबसे अधिक राशि का टेन्डर देने वाले व्यक्ति को दे दिया गया हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किस व्यक्ति का टेन्डर मंजूर किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब. सु, मूर्ति) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). 4 टेन्डर प्राप्त हुए थे जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1.	श्री तरसेम कुमार	120 रुपये प्र. मा.
2.	श्री रमेश कुमार	85 रुपये प्र. मा.
3.	श्री हकीकत राय	75 रुपये प्र. मा.
4,	श्री सोहन लाल	60 रुपये प्र. मा.

अभी तक कोई भी टेन्डर स्वीकार नहीं किया गया है और यह मामला नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन है।

मनीपुर और नागालैंड में आयकर की वसूली

6315. श्री एम. मेघचन्द्र : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 के दौरान मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र और नागालैंड से आयकर के रूप में क्रमश: कितनी राशि वसूल की गई ;

(ख) आयकर देने वाले व्यक्तियों और फर्मों की संख्या कितनी है ; और

(ग) मनीपुर और नागालैंड में सबसे अधिक आयकर देने वाले 10 व्यक्तियों या फर्मों के नाम क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

मनीपुर का चिकित्सा निदेशालय

6316. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चिकित्सा निदेशालय, मनीपुर के मामलों की जांच करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक, मनीपुर को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तों की सूची में शामिल नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हाँ तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) जनरल अस्पताल, मनीपुर में उपकरणों और अस्पताल की अन्य आवश्यक वस्तुयें खरीदने में गम्भीर अनियमितताओं के प्रथम दृष्टया प्रमाण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार वर्तमान निदेशक के विरुद्ध अन्तरिम कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मणिपुर के चिकित्सा निदेशालय के द्वारा 1968 में की गई अस्पताल के उपकरण तथा सम्बन्धित सामग्री की खरीद के बारे में लगाये गये कुछ आरोपो की, जांच कर रहा है । प्रथम जांच रिपोर्ट (F.I.R.) में मणिपुर के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक एक अभियोगी के रूप में नहीं है । जिन आरोपों से प्रत्यक्षत: दण्डिक अपराध सिद्ध होता है वे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किये गये तथा भेजे गये और एकाउन्टेंट द्वारा जांचे गये, जाली बिलों और प्रमाण पत्रों के आधार पर खजाने से मार्च 1968 में निकाले गये रुपयों के बारे में है । अत: उन्हें प्रथम जांच रिपोर्ट जिस पर जांच शुरू हो गई है और उस समय प्रगति पर है अभियोगी बतलाया गया है ।

सारे मामले की जांच हो रही है । अन्य लोगों की अपराधिता पर भी जांच के दौरान विचार किया जायेगा । अनियमितताओं और दुराचार के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी उस पर जांच पूरी होने के बाद ही विचार किया जायेगा ।

मणिपुर सरकार के अनुरोध पर असम के महालेखाकर ने भी विशेष लेखा परीक्षा की है । रिपोर्ट की प्रतोक्षा की रही है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली डिवीजन में विकास अधिकारियों तथा एजेन्टों के लिये बसंत प्रतियोगिता का आयोजित किया जाना

6317. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने दिल्ली डिविजन में विकास अधिकारियों तथा एजेन्टों के लिये एक बसंत प्रतियोगिता आयोजित की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतियोगिता की अवधि 16 जनवरी, 1968 से आरम्भ हुई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश शाखाओं ने अभी तक एजेन्टों/विकास अधिकरियों द्वारा दिये गये कारोबार को दर्शाने वाली सूचियां भी तैयार नहीं की हैं और इससे एजेन्टों में असंतोष फैल गया है, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं चल सका है कि कारोबार देने के मामले में उनकी स्थिति क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि सूचियों को शीघ्र तैयार किया जाये तथा प्रति सप्ताह ऐसी सूचियां तैयार की जायें तथा जिनमें प्रति सप्ताह साप्ताहिक स्थिति दिखाई जायें, ताकि एजेन्ट यह जान सकें कि उनकी नवीनतम स्थिति क्या है और वे वास्तविक रूप से प्रतियोगिता कर सकें, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, नहीं । एजेण्टों / विकास अधिकारियों को ब्रांचों द्वारा शुरू किये गये बीमा व्यवसाय की मात्रा के बारे में, उनके सम्बन्धित सहायक ब्राच मैनेजरों (विकास) / विकास अधिकारियों के माध्यम से और साथ ही एजेण्टों/विकास अधिकारियों द्वारा उनके पूर्धन्य पांच एजेण्टों / विकास अधिकारियों के अपने-अपने समूह में की गई दैनिक प्रगति को ब्लैक बोर्ड अथवा नोटिस बोर्ड में लिखकर या परिपत्रों के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाती रही।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता । एजेण्टों / विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में नये बीमा-व्यवसाय के अन्तिम आंकड़ों के सम्बन्ध में अब जानकारी उपलब्ध है ।

Allotment of Government Quarters out of General Pool to Police and Hospital Employees

6318. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri N. R. Patil :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Health and Family Plannig and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a large number of Government employees have not been allotted quarters and if so, what is their number ;

(b) the reasons for which hundreds of quarters of the General Pool are reserved for the employees of Delhi Police, Posts and Telegraphs Department etc. in spite of the scarcity of quarters, whereas a large number of employees are in the waiting list of the General Pool ; and

(c) Whether Government propose to stop reservation of quarters for the employees of Police Department, teachers, Hospital employees who are not Central Govern-

ment employees but are the employees of the Delhi Administration and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) At present 58,455 Government employees working in eligible offices are awaiting allotments of general pool residences in Delhi/New Delhi on the regular waiting lists.

(b) According to the provisions contained in the Allotment Rules, the employees of Delhi Administration are eligible for allotment of general pool accommodation. The staff of the Delhi Police is also considered at par with other employees working in other eligible offices. 350 houses were placed at the disposal of Delhi Police for adiministrative reasons in order to augment their pool for non-gazetted staff in 1963 and those employees eligible for departmental pool were declared ineligible for allotment of general pool accommodation.

The staff of the P&T Board is eligible for allotment of general pool accommodation as no departmental pool is there for the employees working in the Board. Other units of the P&T, who have got their own pool, are not eligible for allotment of accommodation from the general pool and no general pool residential accommodation has been given to augment the departmental pool.

(c) No quarters have been transferred to Police pool after 1963. The staff of Delhi Administration, in whose cases there is no departmental pool, is eligible for allotment of general pool in accordance with the provision of the Allotment Rules. The teachers and non-technical staff of Government hospitals being eligible for general pool accommodation, are allotted accommodation in accordance with their position on the waiting lists maintained in the Directorate of Estates. Delhi Administration will be declared ineligible as and when the percentage of satisfaction in the departmental pool becomes satisfactory vis-a-vis the percentage of satisfaction in the general pool at Delhi/New Delhi.

एलीमेंटल फास्फोरस परियोजना की स्थापना

6319. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एलीमेंटल फास्फोरस परियोजना की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी और इस परियोजना की क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और क्षमता निम्न प्रकार है :

प्रस्ताव	लागत (करोड़ रुपयों में)	क्षमता (प्रतिवर्ष मीटरी टनों फास्फोरिस के बराबर)
1. फर्टिलाइजर्स और रसायन त्रावनकोर लि० का कोचीन उर्वरक परियोजन (कोचीन चरण ।।)	22 35	61,400
2. राल्लीज इण्डिया लि० मंगलौर में एलीमेंटल फास्फोरस और सम्मिश्र उर्वरक का निर्माण	20.00	33,000
3. मैसूर राज्य इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेण्ट और डिवैल्पमेन्ट कारपोरेशन लि० मंगलौर में फास्फोरस और फास्फोरिक अम्ल का निर्माण	14.00	50,000

(ग) यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले में कितने समय में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

पोटाश का उत्पादन

6320. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोटाश के उत्पादन के लिये किसी अन्य देश के साथ करार करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये किसी देश से विचार-विमर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) पोटास के उत्पादन के लिये किसी बिदेश के साथ करार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री निवासपुरी, नई दिल्ली में गैर-अलाटियों द्वारा सरकारी क्वाटरों पर कब्जा

6321. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस सम्बन्ध में बहुतसी शिकायतें मिली हैं कि नई दिल्ली, श्रीनिवासपुरी कालौनी में सरकारी क्वाटरों में बहुत से गैर-अलाटी अधिक किराया देकर रह रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ,
तो क्या सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हाँ,
तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने मामलों की जांच की जा रही है तथा कितने मामलों के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है ; और

(घ) गत दो वर्षों में जिन व्यक्तियों के विरूद्ध जांच की जा रही है उनकी संख्या कितनी है तथा उनके क्वाटरों के नम्बर क्या क्या हैं और जांच के बाद कितने व्यक्तियों के मामलों पर निर्णय कर लिया गया है और उनके क्वाटरों के नम्बर क्या क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकारी वास स्थान अनधिकृत रूप से उप किराये पर देने के बारे में पूछताछ तब की जाती है जब आवंटी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है । श्री निवासपुरी में सरकारी क्वार्टर उप किराये पर देने के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जिन आवंटियों के बारे में उप किरायेदारी के मामले सिद्ध हो जाते हैं उनके विरुद्ध आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

(ग) शिकायत मिलने पर पूछताछ की जाती है लेकिन गुमनाम/कृतकनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती । 1967 वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 160 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इनमें से 98 गुमनाम/कृतकनाम थी । शेष 62 शिकायतों पर कार्रवाई की गई । इन मामलों में पूछताछ के बाद 40 व्यक्तियों को अपात्र घोषित किया गया, 14 को सहनिवास करने से वंचित किया गया तथा 8 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि अनधिकृत उप किरायेदारी सिद्ध नहीं हुई । 1968 के वर्ष के दौरान 57 शिकायतों में से 32 गुमनाम/कृतकनाम थी । शेष 25 मामलों में से, 12 विचाराधीन है तथा 13 मामले, आवश्यक पूछताछ के बाद, तय किये जा चुके हैं । इन 13 मामलों में से, 7 सिद्ध नहीं हो सके, 4 कर्मचारियों को अपात्र घोषित किया गया तथा 2 को सामान्यपूल वास में अन्य कर्मचारियों के साथ सहनिवास करने से वंचित किया गया ।

(घ) 1967 में उप किरायेदारी के 62 मामलों तथा 1968 में उप किरायेदारी के 25 मामलों का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 751/69**]

नार्थ एवेन्यु तथा साउथ एवेन्यु के नौकरों के क्वाटरों में पानी के नलों तथा छत के पंखों की व्यवस्था

6322. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यु तथा साऊथ एवेन्यु, नई दिल्ली में हाल ही में बनाये गये नौकरों के क्वार्टरों के रसोईघरों में पानी के नलों की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक क्वार्टर में छत के पंखों तथा अलग स्नानघर की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हाँ, तो नौकरों के पुराने क्वार्टरों में पानी के नलों तथा छत के पंखों की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, सिवाए केवल पंखे के पाइंट और पंखे के क्लेम्प न कि छत के पंखों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) नौकरों के पुराने क्वार्टर एक भिन्न डिज़ाईन के हैं, जिनमें कोई पृथक रसोई नहीं है और कोई नल उपलब्ध नहीं किया गया था ।

इन पुराने क्वार्टरों में पंखों के पाइन्ट या क्लैम्पों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जब इनमें पहले पहल बिजली लगाई गई । पुराने नौकरों के क्वार्टरों में पंखों के पाइन्ट तथा क्लैम्प लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

उड़ीसा में निकल अयस्क को साफ करने के लिये कारखाना

6323. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकल अयस्क साफ करने के लिये उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस में कितनी पूंजी लगाई जायेगी तथा निर्माण और कारखाने को चालू करने सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कारखाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिये देश तथा विदेश में किन साधनों से निकल प्राप्त किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अभी उड़ीसा में सुखिन्दा निकल निक्षेपों पर आधारित एक खान का विकास करने के लिए एक सम्भाव्यता अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है । खान तथा संयंत्र के निर्माण के संबंध में निर्णय इस अध्ययन के परिणामों पर निर्भर होगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता

6324. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में किये जा रहे अनुसंधान कार्य का अब तक उतना लाभ भी हुआ है जितना उस पर खर्च किया गया है ;

(ख) वास्तविक अनुसन्धान कार्य में अब तक जो सफलता मिली है उसका सारांश देते हुए क्या एक विवरण सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या अनुसन्धान सुविधाओं का लाभ न उठाने के बारे में उस केन्द्र के कर्मचारियों में असंतोष की सरकार को जानकारी है ; और

(घ) क्या उस केन्द्र के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये एक पुनर्विलोकन समिति स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जिन विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है उनकी एक सूची संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 752/69**]

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हाँ ।

उद्योगों और कृषि कार्यों के लिये सप्लाई की जाने वाली विद्युत शक्ति की दरें

6325. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनों के लिये सप्लाई की जाने वाली विद्युत शक्ति की प्रति यूनिट दर क्या है ;

(ख) इस विषमता के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सभी राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिये सप्लाई की जाने वाली विद्युत की दरों को कम करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जिन क्षेत्रों में बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा बिजली की सप्लाई की जा रही है, उन क्षेत्रों में कृषि और उद्योगों के लिये लागू बिजली की औसत दरों का विवरण सलंग्न किया जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 753/69**]

(ख) से (घ). कृषकों को बिजली की सप्लाई साधारणतया 400 वोल्ट पर की जाती है जिसके लिये उच्च वोल्टता को परिवर्तित कर मध्यम वोल्टता पर वितरण करने में खर्च आता है जबकि भारी उद्योगों को उच्च वोल्टता पर बिजली की सप्लाई की जाती

है। कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं की अपेक्षा औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली बिजली की बोल्टता, भार-तत्व, उनकी न्यूनतम मांग, और खपत अधिक होती है। इन कारणों से, भारी उद्योगों के लिये बिजली की टेरिफ दरें कृषि उद्देश्यों के लिये दी जाने वाली बिजली की टेरिफ दरों से अधिक हैं। अभिन्न वोल्टता पर ले रहे बिजली की सप्लाई वाले तुल्य-भार के मुकाबले में कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये दी जा रही बिजली की दरें बहुत से राज्यों में या तो बराबर है या फिर उनसे कम हैं। राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई थी कि कृषकों को दी गई बिजली की दर 12 पैसे प्रतियूनिट से अधिक न निर्धारित करें। 12 पैसे प्रतियूनिट की सीमा का सुभाव इसलिये दिया गया था ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिले और कृषि की उपज में वृद्धि हो।

अंतर्राज्यीय लाइनों तथा अंतर्क्षेत्रीय लाइनों का निर्माण

6326. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय लाइनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

सिंचाई व बिजली उपमंत्री (प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 के उत्तर में यह बताया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए अन्तर्राज्यीय लाइनों तथा अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्कों के निर्माण के लिए प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में नदी घाटी परियोजनायें

6327. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य नर्मदा परियोजना जैसी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में असमर्थ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं न मानने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बृहत् नदी घाटी परियोजनाओं पर रुपया लगाने की पद्धति का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने फैसला किया है कि राज्यों को केन्द्रीय

सहायता का 10 प्रतिशत भाग चल रही बृहत् सिंचाई और बिजली परियोजना के आधार पर दिया जाएगा।

उद्योगों तथा कृषि कार्यों के लिये सप्लाई की जाने वाली विद्युत शक्ति की दरें

6328. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली विद्युत शक्ति की दरें कृषि कार्यों के लिये सप्लाई की जाने वाली विद्युत शक्ति की दरों से कम है ;

(ख) क्या दोनों दरों को समान स्तर पर लाया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). कृषकों को बिजली की सप्लाई साधारणत: 400 वोल्ट पर की जाती है जिसके लिये उच्च वोल्टता को परिवर्तित कर निम्न वोल्टता में वितरण करने पर व्यय होता है; जबकि भारी उद्योगों के लिये बिजली की सप्लाई उच्चवोल्टता पर की जाती है। कृषि संबंधी बिजली के उपभोक्ताओं की अपेक्षा उद्योगों संबंधी बिजली के उपभोक्ताओं के लिये वोल्टता, न्यूनतम माँग और खपत और भार तत्व अधिक होता है। इन कारणों से भारी उद्योगों के लिये टेरिफ दरें कृषि उद्देश्यों के लिये टेरिफ दरों की अपेक्षा कम होती है। छोटे उद्योगों की दरों के मुकाबले में, जिन्हें बिजली उसी वोल्टता पर दी जाती है जिस पर किसानों को दी जाती है, कृषि उद्देश्यों के लिये टेरिफ दरें बहुत से राज्यों में या तो एक सी है या फिर उन से कम है।

राज्य में बिजली का उत्पादन

6329. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में बिजली का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रत्येक राज्य में बिजली का कुल कितना उत्पादन करने का विचार है ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य की बिजली की आवश्यकता पूरी हो जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 754/69]

(ख) से (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नासिक में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का नया एकक

6330. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का विस्तार करने की बजाय उसका एक नया एकक खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके लिये सरकार को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ेगा; और

(ग) क्या इस एकक के कारण वर्तमान कार्मिक संघ पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). बैंक नोट छापने के लिये एक नया 'इण्टेलियो' मुद्रणालय और डाक सम्बन्धी लेखन-सामग्री और अदालती तथा गैर-अदालती स्टाम्प तैयार करने के लिये एक नया डाक सम्बन्धी लेखन-सामग्री मुद्रणालय स्थापित करने का विचार है, क्योंकि जितनी अतिरिक्त मुद्रण-क्षमता स्थापित करना आवश्यक है वह बहुत अधिक है और वर्तमान कारखाने का, जो पहले ही से बड़ा है, और विस्तार करना पर्याप्त और संतोषजनक उपाय नहीं होगा। अभी अन्तिम रूप से इस बात का फैसला नहीं किया गया है कि इन एककों की स्थापना किन स्थानों पर की जाय।

(ग) वर्तमान कारखाने के मजदूर संघ के काम काज से इन नये एककों की स्थापना का कोई सम्बन्ध नहीं है।

मनीपुर की भवन-निर्माण योजनाओं के लिये धन का नियतन

6331. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा आगामी वर्ष के लिये मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र में भवन-निर्माण योजनाओं के निमित्त कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने भवन-निर्माण ऋण की पहली किस्त देने के पश्चात् और ऋण देना बन्द कर दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले हुए और इस प्रकार मंजूरी न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ऋण की रोकी गई किस्तों की मंजूरी देने के लिये इन मामलों पर पुनर्विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). मनीपुर सरकार से वांछित सूचना मंगाई गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

कोटा में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

6332. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये इंजीनियरी स्नातकों, डिप्लोमाधारियों और मकेनिकल इंजीनियरों के एक दल को बुलाया था ;

(ख) क्या कोटा के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र में उनको दिया गया प्रशिक्षण केवल सैद्धान्तिक ही था ;

(ग) क्या सरकार ने पहले ही कोटा के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र को बन्द करने का निर्णय कर लिया था क्योंकि सरकार को मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों के आप्रेटरों और मिस्त्रियों की आवश्यकता नहीं रह गई थी; और

(घ) यदि हां, तो मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों में प्रशिक्षण देने के लिये उनको बुलाने के क्या कारण थे जबकि उससे भविष्य में उन्हें रोजगार मिलने की कोई सम्भावना नहीं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवाओं द्वारा प्रायोजित वृत्तिभोगी प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को भारी मुदवाही उपस्कर के प्रचालन और रख रखाव में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिये कोटा में तकनीकी प्रशिक्षिण केन्द्र और नागार्जुनसागर कक्रापार और नांगल के तकनीकी प्रशिक्षिण केन्द्रों में सीटें रखी गई थी। कोटा के केन्द्र में 50 इन्जीनियरों ने (9 स्नातक और 41 डिप्लोमाधारी) गत पाठ्यक्रमों में हिस्सा लिया।

(ख) यह सत्य नहीं है। व्यावहारिक प्रशिक्षण पर ही मुख्यत: बल दिया जाता है, यहां तक कि हर रोज प्रशिक्षण के आठ घन्टों में से प्रशिक्षार्थियों को 7 घन्टे व्यावहारिक प्रशिक्षिण ।दया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नूनमाटी तेल शोधक कारखाना, गोहाटी में काम बन्द हो जाना

6333. श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमाटी तेल शोधक कारखाने (गोहाटी) में मिट्टी का तेल साफ करने वाला संयंत्र खराब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चार महिने पहले भी एक बार यह संयंत्र खराब हो गया था;

(घ) इस अवधि में उत्पादन के कुल कितने किलो लिटर मिट्टी के तेल और रुपयों के रूप में कितनी हानि हुई ;

(ङ) मिट्टी के तेल वाले संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इस समय उसका उत्पादन कितना है ;

(च) क्या यह भी सच है कि जब से मिट्टी के तेल का संयंत्र चालू हुआ है तब से इसकी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कभी नहीं किया गया ; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और मिट्टी के तेल के संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) और (ख) : सल्फर डाय-अक्साइड कम्प्रेशर लाइनर खराबी के कारण मिट्टी के तेल शोधक यूनिट को 25-2-1969 को बन्द करना पड़ा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कच्चे माल का अधिकांश तौर पर घटिया मिट्टी के तेल ब्लैंडिंग की ओर व्यपवर्तन करने से कच्चे तेल के थ्रुपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

(ङ) प्रतिवर्ष 330 कार्य दिनों के आधार पर यूनिट 230,200 मीटरी टन कच्चे माल को चलाने के लिए रूपांति किया गया है । मार्किट-आवश्यकताओं की निर्भरता पर यूनिट इस समय प्रत्येक मास में लगभग 10 से 12 दिनों तक कार्य कर रहा है ।

(च) जी, हां ।

(छ) इस यूनिट के उपयोग में कमी के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) आई-ओमैक्स के लिए सीमित मार्किट; और

(2) 75,500 मीटरी टन एस. आर. और कोकिंग कैरोसीन तेल की, जिसे पहले घटिया मिट्टी के तेल के उत्पादन के रूपांकित किया गया था, अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घटिया मिट्टी के तेल को अब इन योगिकों से, मिट्टी के तेल के शोधक एकक में बिना विधायित किये, सीधा ब्लैंड किया जा सकता है ।

पाकिस्तान द्वारा अगरतला में बांध का निर्माण

6334. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने कालाधानिया नहर के पास अगरतला निरीक्षण चौकी के सामने पाकिस्तानी निरीक्षण चौकी के निकट एक बांध बनाया है जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा के क्षेत्रों में जल इकठ्ठा हो गया है और इससे त्रिपुरा में बाढ़ का निरन्तर ख़तरा और भी अधिक बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां; तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजे गये हैं तो उस सरकार ने इनका क्या उत्तर दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पाकिस्तान द्वारा निर्मित तटबन्ध के परिणामस्वरूप अगरतला के निकट कुछ क्षेत्रों में हुआ जल-जमाव त्रिपुरा सरकार के नोटिस में आया है।

(ख) और (ग). तटबन्ध के एक-पक्षीय निर्माण के खिलाफ पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा गया है और उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि वे इसे शीघ्र ही तोड़ दें। पाकिस्तान का उत्तर प्रतीक्षित है।

नीलगिरि पहाड़ियों में ऊटाकमंड तथा कूनूर में पीने के जल की कमी

6335. श्री उमानाथ :
श्री के. रमानी :
श्री नम्बियार :
श्री ई. के. नायनार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नीलगिरि पहाड़ियों में ऊटाकमंड तथा कूनूर जैसे पर्यटन केन्द्रों में पीने के जल की भारी कमी है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरि में पीने के जल की इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो वहाँ पर पीने के जल के संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) पीने के पानी की समस्या नीलगिरि जिले में इतनी विकट प्रतीत नहीं होती है जितनी की कुछ अन्य जिलों में है।

(ख) ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

6336. श्री रामचरण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा लेखा विभाग के एस. ए. एस. केडर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जतियों के कितने प्रतिशत लोग हैं ;

(ख) उनका कोटा पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या उस कोटे को पूरा करने के उद्देश्य से कोई विशेष परीक्षा करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को एस. ए. एस. अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अधिनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में खाली पदों पर नियुक्तियां, लिपिक ग्रेड के उम्मीदवारों में से की जाती है, जिन्हें योग्यताप्रदायी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, इसलिए कोई प्रतिशत-अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के वास्तविक प्रतिशत-अनुपात के सम्बन्ध में सूचना इकठ्ठी की जा रही है तथा यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई निर्धारित कोटा नहीं है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति अन्य उम्मीदवारों के साथ साथ योग्यता प्रदायी अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा देते हैं और उनमें से कुछ व्यक्ति उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित अंक भी प्राप्त करते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के जो उम्मीदवार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करते उनके मामलों में खास तौर पर विचार किया जाता है और योग्य उम्मीदवारों को सफल घोषित करने के लिए कुछ रियायत दिखाई जाती है।

जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

6337. श्री रामचरण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की सेवाओं में सब संवर्गों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अपेक्षित मात्रा में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जीवन बीमा निगम की सेवा में निर्धारित कोटे का पूरा करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

6338. श्री रामचरण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है ; और

(ख) उस संस्था में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

चलचित्र संबंधी लोगों के लिये मंजूर की गई विदेशी मुद्रा

6339. श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र सम्बन्धी लोगों को जैसे अभिनेताओं, निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेत्रियों, पार्श्व गायकों तथा संगीतकारों को, गत तीन वर्षों में तथा मार्च, 1969 के अन्त तक विदेश यात्रा के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई तथा विदेशी मुद्रा दिये जाने के क्या कारण थे; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में चलचित्र सम्बन्धी किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई तथा उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की ?

उपप्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : प्रश्न में उल्लिखित व्यावसायिक वर्गीकरण के अनुसार आंकड़े नहीं रखे जाते । फिर भी, यदि किसी खास व्यक्ति या कुछ खास व्यक्तियों के सम्बन्ध में किसी विशेष सूचना की आवश्यकता हो, तो उसे इकट्ठा करके प्रस्तुत किया जा सकता है ।

क्वार्टरों के आवंटन से सरकारी कर्मचारियों का वंचित किया जाना

6340. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को किसी निगम अथवा किसी सरकारी उपक्रम में तबादला होने पर, दो मास के पश्चात् सरकारी क्वार्टरों के लिये हकदार नहीं समझा जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या वे सरकारी कर्मचारी नहीं रहते जबकि अन्य सरकारी विभाग में उनका पूर्वाधिकार (LIEN) जारी रहता है और वे सभी प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं;

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों को अपने क्वार्टर केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में उनका पूर्वाधिकार रहने तक रखने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) (क) जी, हां ।

(ख) सामान्य पूल में रिहायशी वास की अत्यधिक कमी है । दिल्ली/नई दिल्ली में, पात्र कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के लगभग 40 प्रतिशत को ही केवल सामान्य पूल से रिहायशी वास उपलब्ध करना संभव हो सका है । अन्य स्थानों पर स्थिति और भी अधिक खराब है । कठिन वित्तीय स्थिति तथा अन्य बातों को देखते हुए, अधिक रिहायशी एककों के निर्माण द्वारा, सामान्य पूल में वृद्धि करना संभव नहीं हो सका है ।

(ग) मूल पदों पर पूर्वाधिकार रखने वाले सरकारी कर्मचारी निगम आदि में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर सरकारी कर्मचारी बने रहते हैं, परन्तु वे इत्तर सेवा की शर्तों द्वारा प्रशासित होते हैं, जिसका निर्णय सरकार और सम्बन्धित निगम के बीच किया जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न, ही नहीं उठता ।

Foreign Exchange Given During 1967-68

6341 : Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) The total value of foreign exchange in rupees given to persons who went abroad from India during 1967-68;

(b) The number of ex-rulers among them and the amount of foreign exchange given to each of them;

(c) The amount of foreign exchange sanctioned for importing business equipments; and

(d) The details of the business concerns which were given foreign exchange for this purpose ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The total foreign exchange released by the Reserve Bank during April, 1967 to March, 1968 for travel abroad amounted to Rs. 1382 lakhs.

(b) Data is not maintained on the basis of such classification. However if information about any particular individual is required it can be ascertained and furnished.

(c) and (d) : Details of all import licences issued are published in the weekly bulletin of Industrial licences, Import licences and Export licences that are issued from time to time. Copies of these bulletins would be available in the Parliament Library.

Family Planning Devices and its Distributions Among Public

6342. Shri Shashi Bhusan : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount spent for the propagation of Family Planning devices during the three years preceding 1967-68, year wise ;

(b) the value of contraceptives distributed among the public ;

(c) the amount by which it exceeded the estimated expenditure on this account; and

(d) the reaction of Government to the expenditure incurred so far in this connection and the percentage of success achieved in this respect ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Deposits of Mica in Banda District (U.P.)

6343. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a layer of mica was found in village Majhila, Tehsil Baberu in Banda District of Uttar Pradesh while boring a well ;

(b) if so, whether a survey would be conducted and mica extracted therefrom; and

(c) the report made by the District Magistrate of the Department in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) to (c). It is reported by the Directorate of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh that the District Magistrate Banda had informed the Directorate about the 'alleged' occurrence of mica. The mineral was identified as 'Salenite' (a variety of gypsum) assosiated with Calc-tufa. A party of geologist from the Directorate of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh is expected to visit the area shortly.

केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का आरक्षण

6344. श्री सूरज भान : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 24 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और सरकारी उपक्रमों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के आरक्षण के लिये प्रबन्ध करने के प्रश्न पर सभी दलों के नेताओं से इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) यदि अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो क्या सरकार का विचार क्वार्टरों के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को 5 वर्ष की वरिष्ठता की रियायत देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास-मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विपक्षी दल के नेताओं से मामले पर विचार-विनिमय के पश्चात ही इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों की परस्पर बदली के लिये अनुमति

6345. श्री सूरज भान

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण आवास, तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय को आने अथवा वहां से जाने के लिये लम्बा फासला तय करना पढ़ता है, जो कि कभी कभी तो 30 किलोमीटर तक होता है और इस प्रकार काफी समय और धन अनावश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि इन सरकारी कर्मचारियों को आपस में क्वार्टर बदलने की अनुमति दे दी जाये, तो उनमें से अधिकांश को इस अनावश्यक खर्च और समय नष्ट करने से राहत मिल जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या क्वार्टरों की इस अदला-बदली की अनुमति देने और ऐसी प्रार्थना पर विचार करने के लिये कोई कार्यालय या अनुभाग खोलने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) से (घ) बढ़ रहे नगरों में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये कार्य के स्थान के निकट रिहायशी वास की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है क्योंकि कार्यालयों के आसपास रिहायशी वास के लिए निर्धारित भूमि सीमित है। जहां कहीं यह व्यवस्था सम्भव है, जैसा कि रामकृष्णपुरम के मामले में हैं, अथवा दिल्ली में लाल किले और पुराने सचिवालय के बीच के क्षेत्र में कार्य के स्थान के बिलकुल निकट रिहायशी वास प्राप्त करने के लिये विकल्प पहले ही उपलब्ध है। आरम्भिक आवंटन के बाद सरकारी कर्मचारी अपनी रुचि के क्षेत्र में उसी टाइप के वास की बदली के लिए आवेदन दे सकता है।

आवंटन नियमों में ऐसी व्यवस्था है, जिसके अनुसार जिन अधिकारियों का एक सी टाइप का वास आवंटित किया गया है वे अपने निवास स्थानों की पारस्परिक अदला बदली की अनुमति के लिए आवेदन दे सकते हैं पारस्परिक अदला बदली की अनुमति दी जाती है यदि दोनों अधिकारियों के दिल्ली में ड्यूटी पर रहने की, और ऐसे अदला बदली के अनुमोदन की तारीख के कम से कम छह महीनों के लिए अपने बदली किये गये मकानों में रहने की समुचित संभावना हो।

Master Plan for Irrigation Flood Control and Hydel Power

6346. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Irrigation and power be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Committee appointed to reorganise the water and Power Commission has recommended the preparation of a Master Plan for Irrigation, Flood control and Hydel Power for the entire country ; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad : (a) and (b). The Committee has recommended that "the Central Water and Power Commission should be charged with the responsibility to prepare Master Plans for irrigation, flood control and for hydro-electric and thermal power for the whole country" The report has been received very recently. Some of the main recommendations of the Committee are given in the Annual Report of the Ministry for 1968-69. Government are examining the recommendations made by the committee including the one mentioned above.

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में गृह-निर्माण का योग दान सम्बन्धी विचार-गोष्ठी

6347. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मुहम्मद शरिफ :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में गृह-निर्माण का योगदान के बारे में एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन समस्याओं पर चर्चा हुई ; और

(ग) उसमें क्या सिफारिशें की गई और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क). जी हां ।

(ख) और (ग). विवरण सलग्न है । (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 757/69)

Family Allowance to Childless Government Employees

6348. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant family allowance to those employees who are not blessed with children throughout life and are deprived of the children allowance;

(b) Whether it is also a fact that such family allowance is granted to the Jawans by the Defence Ministry ;

(c) if so, whether Government propose to extend the scheme to other Ministries also; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Grant of Children's Education Allowance to Government Employees.

6349. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Governemnt grant Children Education Allowance only to such of their employees as have school-going children at their native village and if so, the considerat ions on which such allowance is granted;

(b) Whether it is also a fact that those employees whose school-going children live with their parents in cities are not granted such allowances; and

(c) Whether Government propose to grant such allowance to employees keeping their children with them in the Capital and other cities and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). There are two main schemes of educational assistance in operation in so far as low paid Central Government employees are concerned. One of them called "Children's Educational Allowance" is intended to take care of cases where dependent children are staying and studying in recognised schools at places other than the headquarters and residence of the Government servants concerned. The other, a more general scheme, viz., "Re-imbursement of Tuition Fees", provides educational assistance for children staying with their parents. No distinction is drawn between children receiving education in village schools and city schools.

Renaming of Hospitals, Roads, Blocks and Markets in New Delhi Having English Names

6350. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government propose to change the nomenclatures given after the English people in Hospitals, Roads, Blocks and Markets in New Delhi ;

(b) if so, when they will be changed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Minstry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) to (c). The Government at present have no proposal under consideration to change the names of Hospitals bearing English names. As regards roads, markets, etc. Specific suggestions and proposals, as and when received; are considered by the Municipal Body.

चलचित्र अभिनेताओं के छिपाये हुए धन का पता लगाने के लिए छापे मारना

6351. श्री सीताराम केसरी : श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :

क्या वित्त मंत्री 24 मार्च 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 676 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चलचित्र अभिनेताओं के नाम क्या-क्या हैं जिन से छिपाया हुआ धन बरामद किया गया है तथा उसकी राशि कितनी कितनी है;

(ख) उपर्युक्त चलचित्र अभिनेताओं पर कितना कर तथा अर्थदण्ड लगाया गया है;

(ग) किन-किन अन्य चलचित्र अभिनेताओं के आय कर के मामले अभी निर्णयाधीन हैं।

(घ) प्रत्येक मामले में कितना कर राशि निहित है; और

(ङ) उसके कब तक पूर्ण रूप से वसूल किये जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) कुमारी वहीदा रहमान के मामले में तलाशी लेने पर कुछ दस्तावेज़ पकड़े गये और 1957-58 से 1966-67 तक के कर निर्धारण वर्षों में छिपाई गई आय 7. 5 लाख रुपये निर्धारित की गई।

(ख) लगाया गया कर	6, 44, 160 रुपये
लगाया गया दण्ड	75, 633 रुपये

कर तथा जुर्माने की रक़म का कुछ अंश पहले ही वसूल किया जा चुका है तथा शेष रक़म को किस्तों में वसूल किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर में उल्लिखित दूसरी फिल्म अभिनेत्री कुमारी मुमताज़ थी। उसके मामले में किसी प्रकार की जांच पड़ताल बाकी नहीं है। इस मामले में कोई भी छिपाई गई आय नहीं पाई गई।

(घ) तथा (ङ) : उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए ये सवाल नहीं उठते।

बेरोजगार इन्जीनियरों को रोजगार देना

6352. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 775 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना में शामिल की जाने वाली संभावित परियोजनाओं के प्रारम्भिक तथा जांच सम्बन्धी कार्य में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये उनके मंत्रालय में इस बीच कोई योजनायें आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पोंग बांध के स्थान से हटाये गये लोगों का पुनर्वास

6353. श्री हेमराज : क्या सिंचाई **तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा 29 मार्च, 1969 को जयपुर में दिये गये इस वक्तव्य की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिक धन आबंटित न किये जाने पर राजस्थान सरकार पोंग बांध के स्थान से हटाये गये लोगों का पुनर्वास नहीं करेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है कि पोंग बांध से हटाये गये लोगों को कांगड़ा घाटी से तब तक न हटाया जाये जब तक राजस्थान में उनके पुनर्वास के लिये प्रबन्ध न किया जाये ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि जब तक राजस्थान नहर के निर्माण कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया जाता और राजस्थान नहर के निर्माण में तेजी लाने के लिए परियोजना के आवंटन को पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया जाता, राजस्थान सरकार विस्थापितों के लिये भूमि की तात्कालिक माँग को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकेगी ।

(ख) विस्थापितों को शीघ्र बसाने के प्रबन्धों पर राज्य सरकारों के साथ सलाह करके सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

लघु विद्युत् चालित करघा उद्योग पर उत्पादन शुल्क

6354. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु विद्युत् करघा उद्योग पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाने के प्रभावों के बारे में सरकार को शोलापुर डिस्ट्रिक्ट पावरलूम एसोसिएशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन में कहीं गई बातों का ब्यौरा क्या है ।

(ग) क्या इस ज्ञापन में लिखित बातों को देखिते हुए इस उद्योग को कोई रियायत देन का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारीजी देसाई) (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 756/69**]

(ग) तथा (घ) ज्ञापन में उठाये गये प्रश्नों पर सरकार विचार कर रही है ।

Pay Scales of Daftries

6355. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government stop further increments of a Daftry on his reaching the maximum in the scale of Rs. 75-95, whereas the pay scale of a Daftry as provided in F. R. 22 at page 67 of Fundamental Rules and Supplementary Rules Part I (Third Edition) written by one Shri Lakhi Singh Chaudhri is Rs. 95-3-110; and

(b) if so, the reasons for not implementing the pay scales provided in the Fundamental Rules ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Moraji Desai) : (a) and (b). The scale of pay of a Daftry based on the recommendations of Second Pay Commission and currently in use in Central Government Offices is Rs. 75-95 only. The circumstances under which the higher scale of Rs. 95-3-110 is shown against Daftry of the Department of Rehabilitation under the erstwhile Ministry of Works, Housing & Rehabilitation in the Publication referred to by the Hon'ble Member, are being examined and the result thereof will be placed on the Table of the House in due course.

वित्तीय निगम

6356. **श्री स. गो. बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री 17 मार्च 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्पष्टीकरण आदेशों के जारी किये जाने की आशा थी उन आदेशों को केवल भविष्य में ही लागू किया जाएगा तथा विगत मामलों पर विभिन्न सरकारी विभागों की पूर्व प्रथा के अनुसार ही निर्णय किया जायेगा ताकि उन्हें अन्य ऐसे सरकारी कर्मचारियों के समान लाया जा सके जिन्हें एफ० आर० 22 सी० के अन्तर्गत लाभ पहले ही दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों की एक ही श्रेणी में भेदभाव होने के क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : पिछले दिनों कुछ मंत्रालयों/विभागों ने जो गलत रूप से वेतन निर्धारित किये हैं, वैसा फिर न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण आदेश जारी

जारी करने का विचार है। कुछ मंत्रालयों/विभागों में वेतन के गलत निर्धारण के कारण जो अनभिप्रेत लाभ हुआ है वह, स्पष्टत :, अब उन मंत्रालयों/विभागों में अनभिप्रेत लाभ देने के लिए आधार नहीं बन सकता जिनमें वेतन का सही निर्धारण किया गया था।

उत्तर प्रदेश में फिल्मों के लिये वित्त की व्यवस्था करने तथा फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों द्वारा करों का भुगतान

6357. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के फिल्मों के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाले तथा फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो एक लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक धन पर धन-कर देते हैं ; और

(ख) फिल्मों के लिये वित्त की व्यवस्था करने वाले तथा फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले उन व्यक्तियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जो पांच लाख अथवा उससे अधिक धन पर धन-कर देते हैं ?

उपप्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री(श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठा किया जा रहा है। उसे यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

कोयना बांध

6358. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयना क्षेत्र में दिसम्बर, 1968 से जनवरी, 1969 के मध्य तक 10 सप्ताहों में भूकम्प के 197 झटके आये थे ;

(ख) क्या उनसे कोई क्षति हुई थी ;

(ग) क्या बांध का निर्माण करने से पहले इस दृष्टि से उस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले थे ; और

(ङ) इस मामले में जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बाद में आए झटकों के परिणाम-स्वरूप न तो कोयना बांध और अन्य संरचनाओं में और न ही इर्द-गिर्द के इलाकों की संरचनाओं में कोई क्षति देखी गई है।

(ग) और (घ) . कोयना परियोजना की अनुसंधान अवस्थान के दौरान 1949 में भारत की भू-भौतिकीय सर्वेक्षण संस्था के डा०जे०वी०औडेन द्वारा और अमरीका से आए सलाहकारी भू-भौतिज्ञ डा० एफ० ए० निक्कल द्वारा इस क्षेत्र का भू-भौतिकीय निरीक्षण किया गया था। उपर्युक्त दोनों प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने भू-भौतिकीय रिपोट में कोयना क्षेत्र की किसी संभावी भौकाम्पिक सक्रियता का कोई भी जिक्र नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्थितियों और छेदे गए सुराखों के भीतरी भागों के निरीक्षण के आधार पर, डा० निक्केल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि प्रस्तावित संरचना के लिए चुना गया बांध स्थल बहुत ही अच्छा स्थल है और कन्क्रीट अथवा मिट्टी और पत्थर की भराई के बांध के लिये उपयुक्त है।

(ङ) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता ?

नई दिल्ली में राम कृष्णपुरम में सरकारी. क्वाटरों में पानी के मीटर

6359. श्री यशपाल सिंह :

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैक्टर 12, रामकष्ण पुरम (नई दिल्ली), में चौमंजिल वाले भवनों के सभी क्वाटरों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पानी के मीटर लगाये गये हैं, जब कि रामकृष्णपुरम् के उसी सैक्टर में तथा सैक्टर 8 और सैक्टर 9 के दुमंजिल वाले क्वाटरों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और उन क्वाटरों के अलाटियों से पानी के मीटरों की कीमत मांगी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; जबकि क्वार्टर आवंटित करते समय ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी ;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों को सभी चीजें लगाकर क्वार्टर आवंटित करने का सरकार का कर्तव्य है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). रामकृष्ण पुरम के सैक्टर XII में 400 क्वार्टरों में सरकार के खर्च पर पानी के मीटर लगाए गए हैं क्योंकि दिल्ली नगर निगम ने इन क्वार्टरों को पानी की सप्लाई से पूर्व यह शर्त रखी थी। रामकृष्णपुरम के अन्य क्वार्टरों में, पहले पहल दिल्ली नगर निगम ने बिना मीटरों की व्यवस्था के समान दर (फ़्लैट रेट) पर पानी की सप्लाई की थी, किन्तु नवम्बर 1968 में निगम ने ऐसे क्वार्टरों के सभी आवंटियों को अधिसूचित किया कि वे या

तो अपने निजी मीटरों की व्यवस्था करें, या छे मास के अन्दर इस उद्देश्य के लिए निगम के पास 75 रुपये जमानत के रूप में जमा करें, ऐसा न करने पर जल की सप्लाई काट दी जायगी ।

(ग) जी हां, परन्तु पानी के मीटर इस फिटिंग का भाग नहीं हैं ।

(घ) पानी के मीटरों की व्यवस्था करना स्थानीय निकायों का कर्तव्य है और उन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है । तथापि, सरकार पानी के लिए जमानत देने को तैयार है ।

प्राध्यापकों/अध्यापकों/प्रशिक्षकों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लैटों का आरक्षण

6360. श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने किराया-खरीद के आधार पर बेचे जा रहे पूर्वनिर्मित फ्लैटों में से कुछ प्रतिशत फ्लैट दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे प्राध्यापकों/अध्यापकों/प्रशिक्षकों के लिये आरक्षित किये हैं ;

(ख) क्या उक्त फ्लैटों में से कुछ प्रतिशत फ्लैट दिल्ली प्रशासन के किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भी आरक्षित किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग में वेतनभोगी श्रेणी के व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 50 प्रतिशत मकानों फ्लैटों को आवंटन के लिये सुरक्षित रखा गया है । दिल्ली प्रशासन के पात्र सदस्य भी इस सुरक्षण सुविधा के अधिकारी हैं ।

वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण

6361. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने गैर-सरकारी कारखानों को ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) क्या ये कारखाने करार के अनुसार ऋण का भुगतान कर रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) एक वितरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (पहली जुलाई से 30 जून तक)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पहली जुलाई से 30 जून तक)	भारतीय जीवन बीमा निगम (पहली अप्रैल से 31 मार्च तक)	जोड़
1965-66	33 41	34.96	12.65	81.00
1966-67	14.09	24.42	10.95	49 46
1967-68	10.86	17.14	2.80	30.80
जोड़ :	58.36	76.52	26 40	161.28

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(घ) यदि वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को दिये गये ऋणों में से कोई रकम इन उपक्रमों के पास बकाया रहती है, तो ये संस्थाएं, ऋणों की शर्तों के अनुसार तथा जिन संसदीय कानूनों के अनुसार ये संस्थाएं स्थापित की गई हैं उनके उपलब्धों के अनुसार बकाया रकमों की वसूली के लिए औद्योगिक उपक्रमों के खिलाफ स्वयं कार्रवाई करती है।

मिट्टी के तेल के दाम बढ़ना

6362. श्री शिव चन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में मिट्टी के तेल का मूल्य बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय एक-एक किलो अथवा एक बोतल मिट्टी के तेल की कीमत कितनी है और गत वर्ष कितनी थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्य-रचना के निम्न मदों में वृद्धियों के कारण पिछले एक साल के दौरान मिट्टी के तेल के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है।

(1) मसुद भाड़ा-दर

(2) उत्तराई प्रभार और

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ।

(ग) बढ़िया मिट्टी के तेल का बम्बई के संग्रह-केन्द्रों पर मूल शिखरतम विक्रय मूल्य निम्न प्रकार था:—

तारीख	प्रति किलो लिटर रुपयों में
11.8.67	410.89
1.5.68	416.73
3.3.69	456.27

बिहार के राजस्व का भुगतान

6363. श्री शिवचन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार को खानों तथा खनिज पदार्थों पर उसके उतने देय राजस्व का भुगतान कर दिया गया है जितना उसने मांगा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). बिहार सरकार ने सभी मुख्य खनिजों के सम्बन्ध में स्वामिस्व की दरों को कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ाये जाने के लिये कहा था। खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अनुभाग 9 (3) की व्यवस्था, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार किसी भी खनिज के विषय में स्वामिस्व की दर इतनी नहीं बढ़ायेगी जिससे कि वह खनिज के गर्तमुख-विक्रय मूल्य के 20 प्रतिशत से बढ़ जाये, के विचार से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त कानूनी सीमा तथा स्वामिस्व की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का खनिजों के निर्यात, देश में खनिज आधारित उद्योगों आदि पर प्रभाव जैसे अन्य सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रख कर खनिजों पर स्वामिस्व की दरों में । जुलाई 1968 से लगभग 10 प्रतिशत की औसत वृद्धि की गई थी । स्वामिस्व की परिशोधित दरों तथा परिणामस्वरूप बिहार को होने वाले लाभ के सम्बन्ध में सूचना लोक सभा में 12 नवम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 575 के उत्तर में दी गई थी ।

अनधिकृत बस्तियों में भवनों का अर्जन

6364. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब अनधिकृत बस्तियों में भवनों का अर्जन करने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बात को देखते हुए कि इमारतें गिराने से लोगों को वित्ताय हानि होती है तथा उन्हें अन्य मानवीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई वर्ष पहले इमारतें गिराना समाप्त कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार अपने पुराने निर्णय को क्यों बदल रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1962 के वर्ष में नगर निगम द्वारा नियमित की गई कालोनियों के अनुमोदित भाग में पड़ने वाले रिहायशी प्लाटों को, निगम द्वारा इस बारे में निर्धारित की गई शर्तों के पूरा करने और विकास प्रभारों की अदायगी करने पर, भूमि अर्जन अधि-निर्णय के उद्देश्य से निकाल दिया जायगा। तथापि, सड़कों, स्कूलों के स्थान, पार्कों जैसे सामुदायिक उद्देश्यों के लिये आवश्यक क्षेत्रों, जिसमें उन पर बने ढांचे शामिल हैं, का अर्जन किया जाना होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ध्यान दिलाने वाली सूचना आदि के बारे में

RE : CALLING ATTENTION, ETC.

श्री एम. नारायण रेड्डी (निजामाबाद) मैं प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार अपनी मरज़ी के अनुसार विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना का 'नोटिस' दिया था

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न सदस्यों ने इस मामले पर चर्चा उठाने के लिए भिन्न भिन्न आधार बताये हैं। इस सम्बन्ध में सभा में हमें कुछ स्वस्थ परम्पराओं का पालन करना चाहिये यह बहुत अनुचित बात है। यदि दो सदस्य अनशन करते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि सभा किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकती। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तारांकित प्रश्न के उत्तर में वृद्धि

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं एक केन्द्रीय मन्त्री के पुत्र के विरूद्ध आरोपों के बारे में सर्वश्री यज्ञ दत्त शर्मा और हरदयाल देवगुण के तारांकित प्रश्न संख्या 1018 के 10 अप्रेल, 1969 को दिए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 725-69]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) नियम

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. श्री चन्द्रशेखर) : मैं श्री के. के. शाह की ओर से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अधीन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 22 मार्च 1669 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1108 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 727-69]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 841 की एक प्रति, जो दिनांक 22 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 726-69]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-

(एक) जी० एफ० आर० 861 जो दिनांक 29 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण)।

(दो) जी० एस० आर० 862 जो दिनांक 29 मार्च 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण)।

(तीन) जी० एस० आर० 863 जो दिनांक 29 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण)।

(चार) जी० एस० आर० 911 जो दिनांक 31 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(पांच) जी० एस० आर० 912 जो दिनांक 31 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ) जी० एस० आर० 918 जो दिनांक 1 अप्रेल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी० एस० आर० 924 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 925 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 7 अप्रेल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 728-69]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम और संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अनुपूरक विनियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) अखिल भारतीय सेवामें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरीयता) का विनियम संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 29 मार्च 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 857 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वरीयमन) संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 29 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 857 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 729-69]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अधीन संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अनुपूरक विनिमय, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 29 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 855 में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 730-69)

सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में किये गये कुछ निश्चयों के बारे से विवरण

STATEMENT REGARDING CERTAIN DECISIONS TAKEN RELATING TO CEMENT INDUSTRY

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): मैं सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में किये गये निश्चयों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

विवरण

वर्ष 1942 से लेकर सीमेंट के मूल्य तथा विवरण पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण रहा है। 1 जनवरी 1966 से सीमेंटके विवरण और मूल्य पर से औपचारिक नियंत्रण हटा लिया गया था। इसके बाद सीमेंट उद्योग ने स्वत: नियमित अनौपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था स्वीकार कर एक केंद्रीय संगठन की स्थापना की थी। वर्ष 1967 के अन्त में सरकार ने महसूस किया था कि सैंट्रल एलोकेशन एण्ड को आर्डिनेटिंग आर्गनाइजेशन का कार्य संतोषजनक नहीं था। इस लिये सरकार ने 1 जनवरी 1968 से सीमेंट के मूल्य एवं वितरण पर नियंत्रण लागू करने का फिर आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश के परिणामस्वरूप सीमेंट नियंत्रक ने उपर्युक्त संगठन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था।

भाड़े की समानता और समानता विक्रय मूल्य इस उद्योग की स्थापना और विकास में प्रादेशिक असंतुलन के लिये कुछ सीमा तक उत्तरदायी है। यह भी कहा गया है कि भाड़े को एक स्थान पर जमा करने से समस्या और बढ़ जायेगी, अत: इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिये और उत्पादन की वास्तविक लागत के अनुकूल समायोजन करने मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी जाये।

इस व्यवस्था के गुणदोष पर विचार किये बिना स्थिति यह है कि यह व्यवस्था अभी आवश्यक है सिससे समस्त देश में उचित मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध किया जा सके। भाड़े की समानता और समान मूल्य की प्रणाली जिस प्रयोजन से चलाई गई थी उचित सिद्ध हो रही है अब यह निर्णय किया गया है कि भारतीय सीमेंट निगम को कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में सीमेंट के और कारखाने लगाने चाहिये। सीमेंटकी सप्लाई स्थिति संतोषजनक होने के कारण यह निश्चय किया गया है कि जनवरी 1970 से सीमेंट के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण हटा लिया जाये।

वर्तमान मूल्य 1961 के प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। बाद में उसमें सरकार की कार्यवाहियों के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण और वृद्धि भी की जाती रही है। उद्योग बरकरारी मूल्य में वृद्धि करने के लिये कहता रहा है और सरकार यह समझती है कि ये मूल्य कोयले के मूल्य में रेल भाड़े. बिजली प्रशुल्क की वृद्धि के कारण न्यायोचित है। हालाँकि प्रशुल्क आयोग इस वृद्धि से सहमत नहीं था फिर भी सरकार समान मूल्य के पक्ष में है। जिन एककों की क्षमता अधिक है उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार अतिरिक्त मूल्य दिये जाने पर सहमत है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर

हो जाये और वह समान मूल्य के स्तर पर अपने आप को ला सके। उद्योग के साथ परामर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि 6 अप्रैल 1969 से 100 रूपये प्रतिटन की अधिकतम सीमा निश्चित की जाये। यह सीमा 'सब स्टैंडर्ड' यूनिटों पर लागू नहीं होगी और उनके सम्बन्ध में उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अलग से मूल्य निर्धारित किये जायें। ये मूल्य 31 दिसम्बर 1969 तक लागू रहेंगे।

सदस्य (श्री जी० भा० कृपालानी) द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PRESONAL EXPLANATION BY MEMBER (SHRI J. B. KRIPALANI)

श्री जी. भा. कृपालानी (गुना) : गत शुक्रवार को गृह-कार्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद जब श्री डांगे उठे तो उन्हें कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शोर किये जाने के कारण उन्हें बोलने नहीं दिया था। आपने सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये श्री डांगे को बैठ जाने के लिये कहा था। उसके बाद मैंने दो वाक्य कहने का प्रयास किया था। शायद कुछ—माननीय सदस्यों ने उन्हें न सुना हो। मैं यह इसलिये कहता हूं कि एक समाचार-पत्र में लिखा है कि मैंने श्री डांगे को कुछ उत्तेजित शब्द कह दिये थे, वस्तुतः मैंने यह कहा था:-

' मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे कुछ अधिकार हैं या नहीं।"

फिर आपने कहा था

"हां, आप का अधिकार है।"

फिर मैंने कहा था:—

"फिर आप को उन पर नियंत्रण रखना चाहिये। हम प्रत्येक व्यक्ति के विचार सुनना चाहते हैं। यह ठीक है कि हम गृह कार्य मन्त्री का भाषण नहीं सुन सके थे। हम श्री डांगे की बात भी सुनना चाहते हैं यह सब कार्यवाही तभी हो सकती है जब सब लोग शान्त रहें।"

अध्यक्ष महोदय : उस विषय पर आज चार बजे बैठक होगी और मुझे विश्वास है कि शान्ति बनाये रखने के लिये सभी दल हमारे साथ सहयोग करेंगे। यदि सभी ओर से शोर हो तो सभी माननीय सदस्यों की ओर ध्यान रखना सम्भव नहीं हो सकता।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—CONTD.

समाज कल्याण विभाग—जारी

श्रीमती सुधा वी. रेड्डी (मधु गिरि) इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जहां जहां पर कार्य करे वहां का राज्य सरकार को भी उसमें कारगर ढंग से कार्य करे। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि इस बोर्ड की स्थापना से देहातों में स्थापित छोटी कल्याण संस्थाओं को आघात न पहुँचे।

बोर्ड के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। समाज कल्याण बोर्ड को अब तक सरकार का अंग माना जाता रहा है। मेरे विचार में उनके हितों की सुरक्षा की जानी चाहिये।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने परिवार को एकक मान कर "परिवार एवं शिशु कल्याण" का एक नया कार्यक्रम चलाया है, इस कार्यक्रम के कई पहलू हैं। एक यह कि क्षेत्रीय स्तर पर सारे कार्यक्रम का कार्यभार ताल्लुक बोर्ड के कार्यभारी अथवा पंचायत समिति के अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। शायद सरकार यह समझती है कि पंचायत समितियों के अध्यक्ष सर्वसमर्थ हैं। पंचायत समितियां भले ही और कोई कार्य कर सकें परन्तु मेरे विचार में वे इस कार्य को नहीं कर सकतीं। फिर देहातों में राजनीति का बोलबाला भी अत्यधिक है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deptuy—Speaker in the Chair]

संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि की ओर से उपकरण की सप्लाई और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1,93,000 डालर दिये है। इस धन राशि से ऐसा आधुनिक उपकरण मंगवाया जा रहा है जो बड़े बड़े धनवानों के घर में उपलब्ध नहीं है। अतः हमें इस प्रकार के टेन्डरों को वापिस ले कर ऐसे उपकरण मंगवाने चाहिये जिसका प्रयोग देहातों की ग़रीब लड़की भी कर सके।

मुझे प्रसन्नता है कि 44.46 करोड़ रुपये की धन राशि में से लगभग 26 करोड़ रुपये बाल कल्याण के लिये नियत किये गये हैं और शेष राशि अन्य प्रकार के कल्याण कार्यों के लिए रखी गयी है। बाल कल्याण कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हमें महिलाओं के कल्याण के लिए भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। समेकित एवं व्यापक रूप से पहली बार बाल कल्याण की आवश्यकताओं पर विचार किया गया है जिस में उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिया गया है। इस प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। हमारे देश से सात लाख महिला कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं है।

विक्लांगों को रोजगार आदि दिलाने के लिए विशेषाधिकारी नियुक्त किये गये हैं और रोजगार दफ्तर खोले गये हैं परन्तु उनके मन में विक्लांगों के प्रति सहानुभूति जागृत नहीं की गई है। मेरे विचार में केंद्रीय सरकार को ऐसी योजनाएं उन राज्यों में बनानी चाहिये जिनमें आंशिक रूप से अन्धे, बहरे तथा अन्य प्रकार के विक्लाँग व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं। विक्लांग व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति अनुदान बढ़ा दिया जाना चाहिये। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये ज़िला स्तर पर भी एक संस्था स्थापित की जानी चाहिये। आदिम ज ति के बच्चों को और अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिये।

वृद्धावस्था पेंशन 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को दी जाती है जबकि भारतीयों की औसत आयु 40 वर्ष है। अतः यह योजना दिखावा मात्र है। इस प्रकार की योजना से कोई लाभ नहीं है।

समाज कल्याण बोर्ड को सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम पुनः चालू करने चाहिये। इस सम्बन्ध में यह तर्क देना अनुचित है कि इन कार्यक्रमों में हानि हुई थी। इन शब्दों के साथ मैं समाज कल्याण विभाग की मांगों का समर्थन करती हूँ।

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : I oppose the demands of Social Welfare Department. In spite of having national Goverrment for the last twenty years much has not been done for the welfare of society Harijan community and farmers. The poor has been exploited. Fine percent capitalists have become more prosperous but 95 percent people are facing crisis. The gulf between rich and the poor is being widened. The poor are being oppressed still further. Harijan students are burnt alive. Government should get the matter investigated whether grants given for Scheduled castes and Scheduled Tribes are being used for the purposes for which they were sanctioned. The amount of these grants is being utilised for sending the delegations abroad and carrying on cultural programmes. They are not worried about the poor and illiterate people. Most of the welfare work is done on paper. Even now Harijans have to take water from ponds and not from wells. I want to know the number of Governors, Judges and Ambassadors belonging to Harijan community. The question of untouchability is a blot on India Many personalities have Condemned untouchability. But Shankaracharya of Puri has violated the spirit of Indian constitution which envisages classless and casteless society Legal action should be taken against him. The scriptures which encourage untouchability should be banned. Harijans are being given grants for polutary and piggery business. I suggest that permits, quota and licences should also he given to them. Nothing has been done for the welfare of the Harijans inspite of appointment of so many committees and commissions. I suggest that a separate Ministry should be constituted for the welfare of Harijans. There should be a separate regiment of Harijans in the army just like sikh, Jat and other regiments. If the existing situation continues, the consequences would be disastrous.

In my opinion inaugaration of a separate harijan colony will not help for solving the problem of untouchanility. The steps should be taken to see that Harijans could mix up with rest of the society.

Shri Kamble (Latur) : I support the demands of Social Welfare Department. It has been observed that Rs. 275 crores have been spent for the welfare of backward classess during the last 18 years. In the Fourth Five Year Plan Rs. 320 crores would be available in Plan and non-Plan sectors. It includes centrally sponsored schemes for welfare of the said classes. I want to know the number of nomads for whom these programmes have been formulated and how their problems would be solved ?

The importance of prohibition programme has further been increased due to Gandhi centenary year. A conference of Chief Ministers States/Union Territories, Representative of Social/religious organisations should be convened in order to formulate a national programme for prohibition. Some relaxation is being given in the implementation of scheme of prohibition which is not proper. The condition of people of States in which prohibition has been scrapped is miserable. Harijans have been affected adversely. The women are all the more sufferers. The drunkard beat their wives. In view of this prohibition should be implemented effectively.

The Government should deal with the problem of child begging. It is understood that children are kidnapped and deformed for the purpose of begging. We feel ashamed when we see children begging. The child begging should he banned. The adult beggars should be arrested and put behind the bars.

The arrangements made for the education of children of Harijans are hardly adequate. They should be provided free and compulsary education. The economic condition of the harijan living in villages is deplorable. They should be provided with employment, land and training in small scale industries.

The Shankracharya of Puri has advocated untouchability and Government should take legal action against him. I condemn the people who preach untouchability.

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवदीप): अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कल्याण के लिये उत्तरदायी विभाग अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के हितों की रक्षा करने के लिये आयुक्त नियुक्त किया गया था परन्तु उसके कार्यालय का कार्य चलाने में इस सरकार की कोई रुचि नहीं है। इसी लिये इस आयुक्त के स्तर, शक्तियों तथा कृत्यों की अब तक स्पष्ट रूप से भाषा नहीं की गई हैं और उसे संहितावद्ध नहीं किया गया है। गत वर्ष 1967 में आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन किया गया तो सरकार का इरादा स्पष्ट रूप से सामने आया। आयुक्त के कार्यालय को धीरे धीरे राजनीतिक का अखाड़ा बनाया जा रहा है। वर्तमान आयुक्त की नियुक्त संविधान के साथ धोखा है। वर्तमान आयुक्त ने वर्ष 1964 में संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विशेष उपबन्ध बनाये जाने का विरोध किया था। परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही ही नहीं की गई थी बल्कि उन्हें उन लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिये आयुक्त नियुक्त कर दिया। क्या यह कार्यवाही सरकार के बुरे इरादों के प्रतीक नहीं है? हमने उनकी नियुक्ति का फिर विरोध किया है। परन्तु सरकार ने फिर दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए उनको नियुक्त कर दिया है। हमने इस कार्यवाही के विरुद्ध एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। मंत्री महोदय ने उस पर विचार करने का वचन दिया था परन्तु अब पता चला है कि उन्होंने माननीय सदस्यों के साथ ज्ञापन के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी। यह बहुत अनुचित बात है।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याहृन भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थापित हुई
The Lok Sabha then adjourned till fourteen of the Clock

मध्याहृन भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after Lunch at five past fourteen of the Clock

[**श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए।**
Shri Gadilingan Goud in the Chair]

सभा-पति महोदय: श्री प्र० रं० ठाकुर श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) × × ×
श्री शिव नारायण (बस्ती) × × ×

सभापति महोदय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही विनिर्णय दे रखा है कि दो बजे 'जीरो आवर' नहीं होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिये।

श्री प्र० रं० ठाकुर : ज्ञापन में उल्लिखित विशिष्ट बातों का उत्तर दिया जाना चाहिये। सरकार उन बातों से इन्कार कर वर्तमान आयुक्त की नियुक्त न्यायोचित सिद्ध कर सकती है। इस प्रकार के दिखावे के बजाय इस के कार्यालय को बन्द कर देना अच्छा होगा। पहले भी इस संगठन के सम्बन्ध में हमने कई सुभाव दिये थे परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की

× × × कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not-recorded.

गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वर्ष 1967 से प्रचलित इस कार्यालय के कार्य संचालन के तरीके पर शान्तिपूर्वक फिर से विचार किया जाये।

अस्पृष्यता समिति के साथ इस विभाग के उच्च अधिकारियों का कार्यवाही वृतान्त में समिलित नहीं किया गया।

Notrecorded.

व्यवहार बहुत अनुचित था। पिछड़े वर्गों के वर्तमान महाविदेशक की गतिविधियों के बारे में बहुत आश्चर्यजनक बातों का पता चला है। इस सम्बन्ध में सरकार को जाँच करनी चाहिये। इस विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित आई० ए० एस/आई० सी० एस अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिये। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के सभी पहलुओं का ध्यान रखने के लिये पृथक मंत्रालय स्थापित करने की मांग काफी समय से की जा रही है। परन्तु सरकार इसकी अवहेलना कर रही है। सरकार को अब यह मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये जिससे इस कार्य का समन्वय किया जा सके और संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा सके।

Shri Sheo Narain (Basti) : I would request the government to fulfil their commitments. I do not approve the action of Shankracharya. His activities are against national integrity. We are considered as fourth-class people in this country. The candidates belonging to Scheduled Castes and Tribes are maltreated even in the examination like I. A. S. competitions. This is the attitude of high class people of this country.

I would like to say that what Gandhiji, Nehruji and Swami Daya Nanda had done for the upliftment of the Harijans is being undone today The Harijan boys do not get scholarships in time, Discriminative treatment is done with them.

High posts are not given to the Harijans. The condition of the Harijans in the country is very bad. They have no bread to eat and no clothes to put on. I would like to requst the Government to pay attention to them and not to follow the policy of discrimination. Today we talk about what is happening in Africa and other countries where racial discrimination is being perpetrated. But what we are doing in our country? Even today people do not take water offered by a Harijan. If this thing continues it will create further disunity in the country, which will be dangerous in the present circumstances. Therefore, let us not do anything which creates disunity. All the citizens should be treated as equals and the Harijans should be enabled to adopt all the profession.

With these words I again request the Government that some thing must be done for the welfare of the Harijans.

श्री मनोहर (मद्रास-उत्तर) : सभापति महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे संविधान में अस्पृश्यता समाप्त किये जाने का उपबन्ध होने के बाद भी अभी तक देश में लोग अस्पृश्यता मानते हैं और लोगों को अस्पृश्यता मानने के लिये कहते हैं। यह एक गंभीर बात है। अभी हाल ही में पुरी के शंकराचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं अपृश्यता को मानता हूं और शास्त्रों के अनुसार चलता हूँ तथा शास्त्रों का सबको पालन करना चाहिये और अस्पृश्यता देश में रहनी चाहिये। शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बात कहना

शोभा की बात नहीं है। सरकार को अस्पृश्यता के बारे में इस प्रकार की बात कहने पर रोक लगानी चाहिये। देश में अस्पृश्यता बनी रहनी चाहिये, इस प्रकार की बात कहना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

आज समय काफी बदल चुका है। अनेक नई शक्तियां इस समय देश में कार्य कर रही हैं। आज हमें जातियों क ऊंच-नीच के भेदभाव के चक्कर में न पड़ कर सब मानव मात्र को बराबर समझना चाहिये। आज वह समय आ गया है जब कि मनुष्य क बारे में निर्णय उसके जन्म अथवा जाति के सन्दर्भ से नहीं किया जाना चाहिये। उसका वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए हमें उसके चरित्र को ध्यान में रखना होगा और उसी के आधार पर समाज में उसका स्थान निर्धारित करना होगा श्री शंकराचार्य का यह कहना नितान्त आधारहीन है कि जिस प्रकार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य नहीं कर सकता है उसी प्रकार एक शूद्र ब्राह्मण का पद प्राप्त नहीं कर सकता है। कदाचित श्री शंकराचार्य को यह मालूम नहीं है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है और वह राष्ट्रपति का कार्य योग्यतापूर्वक कर सकता है।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार ने अस्पृश्यता समाप्त करने के लिये अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है मैं समझता हूँ कि उस राज्य में अस्पृश्यता कतई समाप्त हो गई है।

अस्पृश्यता देश की सामाजिक व्यवस्था पर एक कलंक है। कल आकाशवाणी से भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री ने कहा था कि हाल ही के कुछ वक्तव्यों से कुछ लोगों की प्रबल भावनाएं फिर से उभर आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की अनुपयुक्त तथा युक्तहीन भावनाओं को समाप्त किया जाना चाहिये, जिससे हम अपने देश का आर्थिक विकास कर सकें। किसी भी क्षेत्र में भेदभाव की नीति से हम में विघटन की प्रवृति पनपती है। बड़ी संख्या में लोगों ने बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्त की है और अभी इसको फूलना और फलना है।

मैं समझता हूँ कि पुरी के शंकराचार्य देश के हित के लिये कार्य नहीं कर रहें हैं। सरकार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? विभिन्न लोगों ने उन्हें विभिन्न दण्ड देने की बात कही है। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि यदि वह तमिलनाडु में आयेंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल के अन्दर बन्द कर दिया जायेगा। विज्ञान के युग में इस प्रकार की बात करना मूर्खता है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाये। मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार के वक्तव्यों पर रोक नहीं लगाई तो देश में क्रान्ति भड़क जायेगी।

मैं सरकार का ध्यान केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि उसके स्थान पर एक कम्पनी बना दी जानी चाहिए। समाज कल्याण बोर्ड के कुछ कर्मचारियों ने मुझे बताया है कि 1 अप्रेल, 1969 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि केंद्रीज समाज कल्याण बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीयित कम्पनी क रूप में कार्य करेगा और बोर्ड के वर्तमान कर्मचारी 1 अप्रेल, 1969 से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कम्पनी के अधीन काम करेंगे तथा कम्पनी अपने नियम और विनियम बनायेगी तथा इन नियमों के अन्तर्गत कर्मचारियों के उचित हितों की

रक्षा की जायेगी। कर्मचारियों को अपनी स्थिति के सम्बन्ध में यह आशंका है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जायेगा अथवा कम्पनी के कर्मचारी। यदि उन्हें कम्पनी के कर्मचारी माना जायेगा तो क्या उन्हें वही सुविधाएं दी जायेगी जो उन्हें पहले सरकारी कर्मचारी के रूप में मिलती थी? अतः मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करके कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान कर दें। कल मैंने इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से बातचीत की थी और उन्होंने कर्मचारियों के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए अन्यथा कर्मचारियों का सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा।

Shri Z. M. Khandole (Malegaon) : I rise to support the demands of the Social welfare Department. In the outset that the Adivasi people have a number of economic and educational problems. Although a number of schools have been opened for the education of Adivasi children their grants have not been increased for the last 20 years during which prices has risen considerably. How will these schools run if their grants are not immediately increased. The Gandhi Vidya Mandir of Maharashtra should get some additional grants. The Maharashtra Government have introduced a scheme to get rid the Adivasis from the clutcthes of money lenders. Other States should also take a similar step.

Forest workers' cooperatives have been started for the welfare of the Adivasi people but they have not been able to do any good to these people because their management is in the hand of other people. The Cooperative Law should be suitably amended so as to provide that only adivasis may become office bearers of these cooperatives.

It is regrettable that during the last 20 years there have been no increase in the income of the Adivasi people. The Government should undertake more and more schemes for the development of Adivasi areas and these schemes should be implemented effectively. In the Nasik, Thana, Dhulia, Chanda and Bhandara districts of Maharashtra there is enough raw material for starting industries. If a survey is conducted there and some factories are set up the lot of the Adivasi people of that area can be improved.

The Government are not paying due attention towards the problems of Adivasis as a result of which a 'Dangi Sena' has been created there. I therefore request the government to pay more attention to their problems and take necessary action to solve them.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हारबर): स्वतंत्र पार्टी के बन जाने के बाद कुछ लोगों ने कांग्रेस को दिये जाने वाले धन में से कुछ राशि स्वतंत्र पार्टी को देनी आरम्भ कर दी है इस लिये अब वह समाज कल्याण के नाम पर मिलने वाले धन का उपयोग अपनी पार्टी के लिए करने लगी है समाज कल्याण के नाम पर विदेशी धन हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों के उपयोग के लिये आरहा है। एक दिन ऐसा आयेगा जब यह धन हमारे लिये विष के समान साबित होगा।

अनेक मामलों में लोक कल्याण कार्यों के किये नियत किये गये धन का उपयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिए किया गया है। हाल में उत्तर बंगाल सहायता कोस के लिये लोगों से 37 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई थी। चुनावों से थोड़े दिन पहले सहायता कार्य के

नाम पर इस राशि में से 1, 30,000 रुपये बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन को दे दिये गये। उन्हें इस बात की पूरी स्वतंत्रता थी कि वे जिस प्रकार चाहें इस राशि को खर्च कर सकते थे। इसी प्रकार 11,00 रुपये की राशि कांग्रेस सदस्या श्रीमती रेणुका राय को, जो एक सहायता संस्या चलाती हैं, दे दी गई थी। किसी विशेष प्रयोजन के लिये जनता से एकत्रित की गई राशि का इस प्रकार उपयोग किया जाना अनुचित है।

पश्चिम बंगाल समाज सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व विधि मंत्री है, अनेक शिकायतें है। हाल ही में लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य का दुग्धचूर्ण, जिसे उपयोग के अनुपयुक्त घोषित किया गया था इस संस्था को दे दिया गया है समझ में नहीं आता कि इस चूर्ण का क्या किया गया तथा उसकी बिक्री से जो आय हुई उसका क्या किया गया। मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल समाज सेवा समिति धन उधार देने का कारोबार भी करती है। इस संस्था ने बसुमती नामक एक समाचार पत्र को एक लाख रुपये उधार दिये हैं। एक अन्य संस्था मेट्रोपोलिटन क्रेडिट को ओपरेशन को, जिसके अध्यक्ष वही व्यक्ति है, भी इस समिति ने 2 लाख रुपये उधार दे रखे हैं। बसुमती समाचारपत्र कांग्रेस के प्रचार का ढोल पीटता है।

पश्चिम बंगाल में एक नेशनल पब्लिसिटी फोरम नाम की एक अन्य संस्था है जो यह दावा करती है कि उसने 7 लाख रुपये की राशि एकत्रित की है यह संस्था न तो पंजीकृत है और न ही इसका बैंक में कोई खाता है। इस संस्था को चेक के द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है अतः यह सब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस संस्था के पास धन कहां से आया। वह देश से साम्यवाद की प्रगति को रोकना चहाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि समाज कल्याय के नाम पर इस प्रकार की जालसाजी बन्द की जानी चाहिए।

जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री हंसवधारा के विरूद्ध एक लाख रुपये के मूल्य का दुग्ध चूर्ण बेचने से सम्बन्धी मामला है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला अभी विचाराधीन है। मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को कारावास का दंड दिया जाना चाहिए। भारत सेवक समाज के बारे में सभी अच्छी तरह जानते ही हैं।

पुरी के शंकराचार्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम चाहते हैं कि उनकी निन्दा की जाये और उनके विरूद्ध मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में बन्द किया जाये जिससे पहले से ही दलित लोगों के हितों की कुछ रक्षा हो सके।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रधान श्री गोलवालकर ने एक मराठी दैनिक समाचार से एक भेंट में कहा है कि चुतवर्ण व्यवस्था (जाति व्यवस्था) ईश्वर ने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनाई है। उनके इन विचारों से विवाद खड़ा हो गया है। इनके लोगों को इस प्रकार के विशैले प्रचार करने की अनुमति क्यों दी जाती है।

पिछले बीस वर्षों में हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों के बहुत कम व्यक्ति सरकारी सेवाओं के विभिन्न श्रेणी के पदों पर हैं। सरकार का यह कहना सरासर झूठ है कि उन्हें निर्धारित कोटे के अनुसार सेवाओं में लिया गया है। सरकार चुनावों में मत प्राप्त करने के लिए सदैव झूठ का सहारा लेती है।

सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड को एक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के लिऐ एक नया कदम उठाया है। यह राज्यों के कार्य क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप है जिसकी अनुमति राज्य सरकारें कभी नहीं देंगी इस कम्पनी के अन्तर्नियम तथा ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि बोर्ड का स्वरूप बदल जायेगा। राज्य बोर्ड केवल सलाहकार संस्थाएं रहेगी और प्रबन्ध सम्बन्धीं अधिकार केंद्रीय सरकार द्वारा नियमित कम्पनी की शाखाओं के पास रहेगा। सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या के बारे में निर्णय कम्पनी द्वारा किया जायेया। राज्य सरकार के नाम निर्देशित व्यक्तियों को इस समिति में लेना या न लेना कम्पनी की इच्छा पर निर्भर रहेगा। इस प्रकार केंद्रीय सरकार यह कम्पनी बनाकर राज्य सरकार के अधिकारों को कम करना चाहती है। हम चाहते है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की सलाह से ऐसे मामलों में संशोधन करें तथा इस प्रकार की शरारतें बिल्कुल बन्द की जानी चाहिए।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम प्रभावहीन हो चुका है। क्या मन्त्री महोदय यह बता सकते हैं कि अब तक अस्पृश्यता कानून का उल्लघंन करने के लिए कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये हैं तथा कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है।

हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोग अधिकतर भूमिहीन होते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

जब तक उन्हें काश्त के लिए तथा जीवन निर्वाह के लिए भूमि नहीं दी जाती तब तक उनके लिये कोई कल्याण का कार्य नहीं हो सकता है। कांग्रेस सरकार आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि देने के लिए भूमि सुधार कानून लागू करना नहीं चाहती हैं। सरकार समाज कल्याण करने का दावा करती है किन्तु पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में आत्म हत्याओं में उतरोत्तर वृद्धि हुई है और ये आत्म हत्याएं सामाजिक कारणों से की गई हैं। अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि जब तक हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग क लोगों को काश्त तथा जीवन यापन के लिए भूमि देने के हेतु भूमि सुधार कानून लागू नहीं किये जाते तब तक समस्या हल नहीं हो सकती है।

श्री सिद्दीया (चायराजनगर): संविधान में किये गये उपबंध के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त इन जातियों के अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों के लिये अभिरक्षक है। देशभर में उसके अनेक क्षेत्रीय कार्यालय थे किन्तु वर्ष 1967 में ये कार्यालय बन्द कर दिये थे। ऐसा करना अत्यन्त अनुचित है क्यों कि आयुक्त के लिये अपना काम करना तथा अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभा पाना बहुत कठिन हो गया है। इस स्थिति को निभाते हुए हम समझ सकते है कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए कितनी गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। आज आयुक्त स्थिति एक मुख्य क्लर्क जैसी हो गई है।

वर्ष 1950 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्होंने अनेक बार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की आलोचना की थी किन्तु किसी ने उनकी इस आलोचना के विरोध में कुछ नहीं कहा,

किन्तु अब एक सेवानिवृत्त अधिकारी को आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से पहले माननीय सदस्य श्री बसुमतारी ने जो संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, यह बात उठाई थी कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी को जिसने संविधान के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित उपबधों की आलोचना की थी, आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में सभा में भी आपत्ति उठाई थी किन्तु मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाद मे उस व्यक्ति के नियुक्त होते ही हमने सरकार को बताया था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था किन्तु हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को इन जातियों के हितों की रक्षा के लिये संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना चाहिए। किन्तु वर्तमान आयुक्त को संविधान में कोई विश्वास नहीं है। गत वर्ष राष्ट्रीय एकता परिषद को उन्होंने परिषद के श्रीनगर में हुए सम्मेलन के लिये एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने अपने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये थे कि संविधान के उपबन्धों परिणामस्वरूप उनमें राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जागृति बढ़ रही है। अब वे पहले से अधिक गहराई से यह अनुभव करने लगे है कि वे कम शिक्षित है, आर्थिक दृष्टि से कम उन्नत हैं तथा अन्य वर्गों की तुलना में उनका कम आदर किया जाता है। उनका कहना है यह स्थिति ठीक की जानी चाहिए। इन जातियों की उन्नति देख कर उन्हें दुख हुआ है। वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को उच्च शिक्षा देने के विरुद्ध हैं। वह चयन बोर्ड में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों को लेने के भी विरुद्ध है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के व्यक्ति को अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त पद पर से शीघ्र हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति इस पद के योग्य ही नहीं है।

समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया है। समाज कल्याण विभाग में, विशेषत: दिल्ली मे, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी ऊंचे पद पर नहीं है जबकि अन्य विभागों में इन जातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऊंचे पदों पर है। इस विभाग में कुछ व्यक्तियों के लिये पद बनाये जाते हैं। जिस अधिकारी को किसी भी विभाग में नहीं रखा जा सकता है उसे समाज कल्याण विभाग में नियुक्त कर दिया जाता है। एक अधिकारी के लिए समाज कल्याण विशेष आयुक्त का पद बनाया गया था और जब उस व्यक्ति को किसी और विभाग में नौकरी मिल गई तो यह पद समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार यह विभाग बेकार अधिकारियों को खपाने वाला विभाग बन गया है।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कभी भी अनुसूचित जातियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते है तो या तो उनके उत्तर दिये ही नहीं जाते है या टाल मटोल करने वाला उत्तर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, 3 मार्च, 1969 को श्री रामचरण द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7746 के 5 भाग थे किन्तु उत्तर केवल 4 भागों का ही दिया गया था पांचवे भाग का, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था उत्तर नहीं दिया गया था। यह बात रिकार्ड से देखी जा सकती है।

सरकार अस्पृश्यता समाप्त करने के लिये धन व्यय करती है किन्तु उसने कभी यह अनुभव नहीं किया है कि अस्पृश्य हिन्दू समाज में जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई

है जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं की जाती तब तक देश से अस्पृश्यता नहीं दूर की जा सकती है। किन्तु जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, यद्यपि इस सम्बन्ध में बड़े बड़े भाषण दिये जाते हैं।

हमने देश के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति संकल्प पारित किया था। इसी प्रकार यह अत्यन्त आवश्यक हैं कि हम अस्पृश्यता को दूर करने के लिए एक सामाजिक निति संकल्प पारित करें। सरकार को इस समस्या के हल के लिए एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। जब तक यह सब कुछ नहीं किया जाता तब तक अस्पृश्यता निवारण पर व्यय किया जाने वाला धन प्रयोजन हीन ही साबित होगा।

पुरी के शंकराचार्य के इस वक्तव्य के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं कि अस्पृश्यता हिन्दुत्व का एक बुनियादी सिद्धान्त है और कोई भी कानून किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता मानने से नहीं रोक सकता है। यह न केवल संविधान को अपितु समूचे देश को चुनौती है सरकार को चाहिए था कि वह श्री शकराचार्य को दंड देती।

श्री अमृत नहाटा (बाड़मेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कानून पागल व्यक्ति का क्या कर सकता है? शंकराचार्य, करपात्रीजी तथा गोलवालकर जैसे पागल व्यक्तियों को सीधे पागलखाने में भेजा जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Kindly stop them. We can not tolerate such remarks.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हारबर) : शंकराचार्य साम्प्रदायिक विष फैलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहें हैं और कांग्रेस सरकार इसे सहन कर रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : (Interruptions) It is fact (Interruption)

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : माननीय सदस्य को श्री ज्योतिर्मय बसु के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह उसे वापिस लें उन्होंने माननीय सदस्य को + + कहा।

श्री उमानाथ (पुदुक्कोटै): चाहे कुछ बात भी हुई, कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है। माननीय सदस्य ने श्री ज्योतिर्मय बसु को× × कहा। वह रिकार्ड में है। माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापिस लें। यदि यह अपने शब्द को वापिस नहीं लेंगे तो मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव लाऊँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस शब्द को वापिस लें।

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Member is being asked to withdraw his word but his continuously using the word × × ×.........(Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उत्तेजना में माननीय सदस्य एक दूसरे के लिये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया समझा जायेगा।

× × अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया। देखिये पृष्ठ संख्या........
**Expurged as ordered by the chair vide page...............

× × अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया। देखिए पृष्ठ संख्या........
**Expunged as ordered by The Chair vide page...........

श्री उमानाथ : यदि यह असंसदीय है, तो असंसदीय है। स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। किसी व्यक्ति को × × कहना फिर उसके बारे में स्पष्टीकरण देने का कोई प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिना शर्त अपने शब्दों को वापिस ले लें।

Shri Hukam Chand Kachwai : Why have I said this word ?.......... (Interruption) If the Hon. Member withdraws his words, I will also withdraw.

उपाध्यक्ष महोदय : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात मैं श्री त्यागी जी से सुनूंगा कि अन्य माननीय सदस्य ने क्या कहा है। जहां तक इस शब्द का सम्बन्ध है, आप इसे वापिस लीजिए'

Shri Hukam Chand Kachwai : First the hon. Member will withdraw and then I will withdraw. While Shri Nahata was speaking he interrupted only then I said. When he said × × I also said × ×. He said that Shri Golwalkar creates troubles, × × and then I also said......(Interruptions)....... ...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा था कि गोलवालकर साम्प्रदायिक दंगों तथा अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने एक ऐसे शब्द का, जिसे मैंने कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया है, प्रयोग करके अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं।

श्री उमानाथ : जो कुछ भी वह कह रहे थे उसका × × शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं था वह अपना राजनीतिक मामला बना रहे थे। तब श्री कछवाय ने उन्हें × ×, × × कहा।

उपाध्यक्ष महोदय: पहले माननीय सदस्य अपने शब्द को वापिस लें, तब सभा की कार्यवाही आगे चलेगी। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री उमानाथ: यदि माननीय सदस्य अपना शब्द वापिस नहीं लेंगे तो में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार मंत्र का प्रस्ताव लाऊंगा क्यों कि उन्होंने एक माननीय समस्य को × × और × × कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करूंगा।

श्री उमा नाथ : इसमें पुनर्विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह शब्द यदि रिकार्ड में ही रहा, तो मैं माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार मंत्र का प्रस्ताव लाऊंगा। आप माननीय सदस्य को यह शब्द वापिस लेने के लिए कहिए। ....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्षपीठ ने अपना विनिर्णय दे दिया हैं।

× × पीठाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

× × Expunged as ordered by the chair.

× × अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया देखिए पृष्ठ संख्या........

× × Expunged as ordered by The Chair vide page........

× × अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही बृतान्त सें निकाल दिया गया। देखिये पृष्ठ संख्या

× × Expunged as ordered by The Chair Vide Page..............

श्री उमा नाथ: यह विनिर्णय का प्रश्न नहीं है । यह मेरा अधिकार है आप मेरे अधिकार को दबा नहीं सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं प्रक्रिया जानता हूँ । आपने जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया था........

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : में प्रक्रिया अच्छी तरह जानता हूँ माननीय सदस्य द्वारा उस शब्द का प्रयोग किये जाने पर श्री उमानाथ ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और मैंने माननीय सदस्य को अपना शब्द वापिस लेने के लिए कहा, हम इस विषय पर 10 मिनिट का समय लगा चुके है । मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कोई भी शब्द कार्यवाही वृतान्त में न जायें । अब इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या आप हमें उनके लिये ×× तथा ×× शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय: हम संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं । किसी माननीय सदस्य को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह अन्य सदस्य को इस प्रकार के शब्द कहे । इससे सभा की गरिमा बढ़ती नहीं है ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Deputy speaker, through you, I request to both the parties to withdraw expressions used by them.

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार दोनों पक्ष अपने अपने शब्द वापिस ले लें ।

श्री जि० मो० विस्वास : मैंने इस प्रकार का कोइ शब्द नहीं कहा फिर भी मैं अपने शब्द वापिस्स लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी आप भी अपने शब्द वापिस लीजिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तेजना में मैंने कहा था कि वे ×× हैं । किन्तु बाद में जांच पड़ताल करने पर पता लगा कि वे नहीं है ।

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Members have used the words mad, lunatic for Shankara Charaya, guru 'Golwalkar' I think such things are quite against the discipline of their party. To say such things for guru Golwalkar is a conspiracy.

Shri Jyotirmoy Basu : Has said that guru Golwalkar is creating communal riots in this country perpetualy. Unless he withdraw, the word lunatic, we will also not withdraw.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिद्दया ने पुरी के शंकराचार्य के लिए जो कुछ भी कहा, उसका उन्हें अधिकार था कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित हो, यदि समाज के किसी वर्ग की

×× अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिये गये देखिये पृष्ठ संख्या ... .

×× Expunged as ordered by The Chair Vide Page... ....

×× अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया देखिये पृष्ठ संख्या ....

×× Expunged as ordered by The Chair Vide Page... ....

भावनाओं को ठेस पहुँचाता है तो उसकी प्रतिक्रिया होना अनिवार्य है। श्री नाहटा एक कदम आगे बढ़ गये, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जब कभी भी जाति व्यवस्था को प्राप्त धार्मिक मान्यता के बारे में प्रश्न उठाया जाता है तो सभा में उत्तेजना का वातावरण पैदा हो जाता है। हम इससे संघर्ष कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य उन्हें दण्ड दिया जाये के बजाये उन्हें नजर बन्द किया जाये कहते तो अच्छा हो। उन्हें गुरु जी का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए था। गुरुजी के बारे में इस प्रकार का कोई समाचार समाचरपत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ। मैं श्री नाहटा से कहना चाहता हूँ कि उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त किसी व्यक्ति का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए।

Shri Om Prakash Tyagi : I have a point of order about Shankara Charaya. He has used these expressions for Shri Golwalkar.

श्री अमृत नाहटा : पुरी के शंकराचार्य को दंड देने की मांग इस सभा के विभिन्न दलों की ओर से की गई थी। किन्तु इस समय अस्पृश्यता का समर्थन करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिये कोई कानून नहीं है। मैंने आज के समाचार पत्र में पढ़ा है कि अस्पृश्यता कानून में संशोधन किया जाये ताकि ऐसी गतिविधियां रोकी जा सके। गुरु गोलवालकर भी जाति व्यवस्था के समर्थक हैं इस सम्बध में मैं उनके द्वारा दिये गये भाषण प्रस्तुत कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको एक बात याद रखनी चाहिए। जब यह प्रश्न उठाया गया था, तो जनसंघ के नेता ने तुरन्त वक्तव्य देकर इसका खंडन किया था। मेरा निवेदन है कि गुरु जी के बारे में इस प्रकार की चर्चा करने से क्या जाय।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Sir, how is it possible not to refer the name of a respected person who has made a statement in public which has pained a section of the society ? I want to submit that you should not put a limit on our rights like this.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जाधव, आप बैठ जायें। मैंने जो कहा है, आप उसे समझ नहीं सके। मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है जिससे समाज के कुछ लोगों में क्षोभ उत्पन्न हो और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका नाम अवश्य ही सभा में लिया जाएगा। परन्तु इस समय तत्सम्बन्धी कोई भी विषय सभा के समक्ष नहीं है। इसलिए इस चर्चा को छोड़ दिया जाए।

श्री अमृत नाहटा: मुझे आपका निर्णय स्वीकार्य है। परन्तु मैं यह कैसे समझू कि श्री गोलवालकर का नाम लेने मात्र से सभा के कुछ सदस्यों के भावों को ठेस पहुँचेगी, क्योंकि वह सभा में उपस्थित किसी दल के सदस्य नहीं हैं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The statment of Shankara Charya has hurt the sentiments of 40 crores of people. So action should be taken against him, an the contrary, I saw Harijans and others taking food with Shri Golwalkar.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोलवालकर ने जो कुछ कहा, उनके विचार या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का किसो जाति से प्रत्यक्षतः विरोध नहीं है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : आप हमारे भाषण के अधिकार को सीमित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों के भाषण के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने का तो प्रश्न ही नहीं है। परन्तु इस अधिकार का प्रयोग भी सावधानी से किया जाना चाहिए।

श्री अमृत नाहटा : क्या श्री गोलवालकर का सम्बन्ध किसी राजनीतिक दल से है?

Shri Om Prakash Tyagi : Jan Sangh.

श्री अमृत नाहटा : क्या श्री गोलवलकर जनसंघ दल का कोई पदधारी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह तो मालूम नहीं है। परन्तु यदि उनका जिक्र करने से किसी दल की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसका जिक्र न किया जाये।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Sir, I rise on a point of order. The views of a particular man are being interpreted and publicized wrongly. It is not good to bring in his name here.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री कछवाय आप भी बैठ जायें।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : जब कुछ दिन पहले मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या श्री गोलवालकर ने अर्नाकुलम में चतुर्वर्ण्य का समर्थन करते हुए एक वक्तव्य दिया है, तो उन्होंने उत्तर में कहा था कि यह दुर्भाग्य की बात है कि गुरु गोलवालकर ने ऐसा वक्तव्य दिया है। यदि स्वयं गृहमंत्री ने संसद में ऐसा उत्तर दिया था तो आप श्री अमृत नाहटा को उसका नाम लेने से बन्द कैसे कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायर आप ने पूरी बात नहीं समझी। झगड़ा उस समय शुरू हुआ जब उसके लिए 'पागल' (लुनेटिक) शब्द का प्रयोग किया गया। उसे 'लुनेटिक' कहना उचित नही है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री गोलवालकर ने, यह पूछे जाने पर कि 'चतुर्वर्ण्य' का अर्थ क्या है, यह कहा था कि यह समाज-व्यवस्था की एक वैज्ञानिक पद्धति है। परन्तु इसका सम्बन्ध अस्पृश्यता से कैसे जोड़ा जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाहटा, अब इसे समाप्त किया जाये। मेरे विचार से 'लुनेटिक' (पागल) शब्द वास्तव में उत्तेजक है और आप इसे वापस ले लें।

श्री अमृत नाहटा : यह शब्द वापस लेने से सम्पूर्ण देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी।

श्री जगन्नाथराव जोशी : परन्तु हमें सभा की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना है। अंग्रेजी के इसी प्रकार के अन्य शब्द भी हैं जिन्हें हम प्रयोग में ला सकते हैं।

श्री जी. भा. कृपालानी (गुना) : आप व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दें। अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति न दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी शब्द से सभा के कुछ सदस्यों में उत्तेजना फैलती है तो उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। मैं श्री नाहटा से उक्त शब्द को वापस लेने के लिए कह चुका हूँ। मेरा यही निर्णय है।

श्री अमृत नाहटा : उक्त शब्द वापस लेने से पहले मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : शब्द वापस नहीं लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाहटा को अपना शब्द वापस लेना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते तो मुझे इसके लिए दूसरी कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभा में कोई न कोई व्यवस्था तो होनी ही चाहिए।

श्री अमृत नाहटा : सैकड़ों वर्ष पूर्व ब्रुनो वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी घूमती है। ईसाइयों के कहने पर उसने इसे वापस ले लिया था, परन्तु पृथ्वी अब भी घूम रही है। मैं शब्द को वापस लेता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाहटा ने शब्द वापस ले लिया है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the chair]

श्री तुलशीदास जाधव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब किसी भी व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर पहले ही 30 मिनट बर्बाद किये जा चुके हैं।

Shri Tulshidas Jhadav : Sir, I would like to know whether it is right for Deputy Speaker to ask a Member of Parliament to withdraw a word on the ground that it has hurt the feelings of a section of the House can be put a restriction in this way on freedom of speech in the House ?

अध्यक्ष महोदय : अब तो वह मामला ही समाप्त हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे। उन्होंने जो निर्णय दिया है, वही निर्णय मान्य होगा। प्रश्न यह नहीं है, कि अमुक शब्द संसदीय है अथवा असंसदीय। कुछ दिन पूर्व जब किसी ने प्रधान मंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। मैंने उन शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया था। आज उपाध्यक्ष महोदय ने भी यही किया है। अब चार बज चुके हैं। यह मामला समाप्त समझा जाये। श्री सिद्दया बाद में अपना भाषण पूरा करें।

बन्दूक तथा गोला कारखाने के कर्मचारियों पर गोली चलाये जाने के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य और पश्चिमी बंगाल से हुई हड़ताल के बारे में गृह-कार्य मंत्री के द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

DISCUSSIONS RE : DEFENCE MINISTER'S STATEMFNT ON FIRING ON GUN AND SHALL FACTORY EMPLOYEES AND HOME MINISTER'S STATEMENT ON STRIKE IN WEST BENGAL.

अध्यक्ष महोदय : पश्चिमी बंगाल के बारे में चर्चा उठाये जाने से पहले मैं सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूँ। उत्तेजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और होती है। परन्तु मेरा सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे शान्त रहें। हमें शान्तिपूर्वक एक दूसरे के भाषण सुनने चाहिये न कि उत्तेजित होकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देना चाहिये। संसद एक ऐसी सभा है जिसमें सदस्यों को कुछ बातें ऐसी भी सुननी होगी जिन्हें वे पसन्द नहीं करते।

दूसरी बात यह है कि समय सीमित है । अत : वक्ता महोदय अधिक समय न लें। मैं यह नहीं चाहता कि बार बार घंटी बजाऊं। बीच बीच में टोका टाकी भी न की जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा यह अनुरोध हैं कि मेरा समय भी हमारे नेता श्री डाँगे को दे दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, श्री डांगे।

श्री श्र. डांगे (बम्बई, मध्य-दक्षिण) : श्रीमान् केन्द्रीय सरकार के अधीन एक कारखाना हैं। गृह मंत्रालय के आदेशो के बावजूद 19 सितम्बर, की हड़ताल में भाग लेने वाले कुछ कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल नहीं किया गया जिसके विरोध में कारखाने के दरवाजे के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया जिसके कारण कर्मचारियों को काम पर जाने में कुछ देर हो गई। उन्हें अन्दर जाने से रोका गया। उन्होंने अन्दर जाने के लिए मांग की और श्री चक्रवर्ती ने क्रोध में आकर गोली चलाने का आदेश दे दिया। बात मामूली थी और शान्ति से सुलझायी जा सकती थी। गोली इतनी निर्दयता से चलाई गई कि पांच कर्मचारियों की तत्काल मौत हो गई। इससे पश्चिमी बंगाल के लोगों में रोष फैल गया और उनकी भावना के अनुसार विभिन्न श्रमिक संगठनों ने उक्त घटना क विरोध में बन्द का आह्वान किया। इस पर गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि विरोध के ऐसे अनुपातहीन और हानिकर तरीकों को दबाना ही होगा। अनुपात से क्या तात्पर्य है ? क्या एक व्यक्ति मरे तो एक घंटे की हड़ताल हो, दो मरे तो दो घंटों की हड़ताल की जाये और 24 व्यक्ति मरे तो 24 घंटे का बन्द किया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि वहां आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया था। परन्तु जब बंबई में 59 व्यक्ति मारे गये थे या शिव सेना द्वारा 24 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट किये जाने पर श्री चव्हाण ने ऐसा वक्तव्य नही दिया था। मेरे विचार से उन्होंने यह वक्तव्य इसलिए दिया है। ताकि संयुक्त मोर्चे की सरकार जिसमें साम्यवादी दल भी शामिल है, उखड़ जाये। श्री चव्हाण राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्यथा उनके इस वक्तव्य में कोई जान नहीं है। वहां आर्थिक जीवन बिलकुल अस्तव्यस्त नहीं हुआ था। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने अनिवार्य सेवाओ-अस्पताल, पेयजल की सप्लाई, विमान सेवाओं आदि को चालू रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये थे।

जहां तक रेलों को रोके जाने का सम्बन्ध है, वे तो आन्ध्र प्रदेश, बम्बई और आसाम सभी राज्यों में जहां गड़बड़ हुई रोकी गई। कांग्रेसी मुख्य मंत्री, श्री बी. सी. राय के शासन-

काल में भी रेले रोकी गई थी। इसी बार उनके बारे में इतनी चिन्ता क्यों व्यक्त की गई उसका कारण केवल एक ही है और वह संयुक्त मोर्चे की सरकार को न चलने देना उसके सामने गति-रोध पैदा करना। गृहमंत्री ने प्रतिरक्षा मंत्री से न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिये गये। मैं इसे अच्छा मानता हूँ परन्तु केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से इस बारे में कम से कम परामर्श करना चाहिए था। राज्य सरकार कुछ सम्बन्धित लोगों पर मुकदमा चला रही है। उसी मामले में केन्द्रीय सरकार की और से न्यायिक जांच भी होगी। यदि दोनों के निष्कर्षों में विरोध पाया गया तो समाधान क्या होगा। क्या वह संविधान के अनुसार गृह-कार्य मंत्रालय को चला रहे है ?

गृह-मंत्री का यह सोचना भी गलत है कि श्री ज्योति बसु रेलों को रुकवाने में रुचि ले रहे थे क्योंकि रेलगाड़ियां केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति हैं। राज्य सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय की ओर से पुरुलिया के पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को इस आशय का संदेश भेजा गया था कि चलती गाडियों को रोकना अवांछनीय होगा और ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस को आवश्यक व्यवस्था कर लेनी चाहिए। परन्तु केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से श्री जे० एम० बिस्वास, यूनियन के सचिव को यह आदेश दिया गया कि यदि बन्द का आह्वान किया गया था तो "मैं रेल्वे को सुरक्षित नहीं रख सकता ." सच बात तो यह है कि सम्पूर्ण बंगाल में बन्द का सामना करने के लिए पुलिस के दस सिपाही काफी नहीं होते। बन्द वाले दिन भी ज्योति बसु ने यह अनुरोध किया कि जो रेलगाड़ियां पश्चिमी बंगाल में आने वाली है वे पश्चिमी बंगाल की सीमा में प्रवेश करने के पहले ही रोक दी जायें, क्योंकि उनको सुरक्षित रखना सम्भव नहीं था। श्री चव्हाण को यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बन्द शान्तिपूर्ण रहा।

दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के प्रधान श्री जी० एम० मोदी ने संघ की वार्षिक बैठक में यह कहा था कि पश्चिमी बंगाल में उद्योग और व्यापार के समक्ष जो कठिनाई है उसे अभिव्यक्त करना मेरा कर्तव्य है, संयुक्त मोर्चे के दिनों की यादगार अभी हमारे मन में शेष है। इस वक्तव्य पर बंगाल के छोटे उद्योगपतियों ने विरोध प्रकट किया। इसके बारे में संघ के चेयरमैन ने भूल स्वीकार की और एक और वक्तव्य दिया कि "मुझे प्रसन्नता हैं कि पश्चिमी बंगाल सरकार और उक्त संघ के प्रतिनिधियों क बीच आशाप्रद बातचीत चल रही है और इससे राज्य में विद्यमान कई समस्याओं का समाधान होगा।" इसी प्रकार क्या गृहमंत्री भी अपने वक्तव्य में परिवर्तन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री चव्हाण भविष्य में पश्चिमी बंगाल सरकार की परामर्श लेंगे और उसके विरूद्ध जो राजनीतिक युद्ध उन्होंने छेड़ रखा है, उसे समाप्त करेंगे।

श्री चव्हाण ने चिन्ता व्यक्त की है कि यदि राज्य सरकारें राज्य में केन्द्रीय संस्थाओं के कार्य संचालन में आने वाले अवरोध को रोकने के लिए कोई कार्यवाही न करेगी तो संविधान द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचा ढह जायगा। श्री चव्हाण संविधान के उल्लंघन के बारे में चिन्तित है। परन्तु क्या कभी उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि पिछले 20 वर्षों से उनका दल संविधान का उल्लंघन करता आ रहा है। क्या सरकार ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन नहीं किया है ? संविधान के अनुच्छेद 39 (क), 39 (ख) और 39 (ग) जिनके अनुसार आर्थिक शक्ति के एकत्रीकरण को रोकने, व्यक्तियों को जीविका के साधन प्रदान करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है, उनका उल्लंघन सरकार द्वारा किया जाता रहा है ? इसके विपरीत जब लोग रोजगार पर बहाल न किये जाने के विरोध में प्रदर्शन या बन्द करते हैं ता गृहमंत्री कहते हैं कि सम्पूर्ण प्रशासन ढह जायेगा।

श्री चव्हाण केन्द्रीय सरकार तथा संयुक्त मोर्चे की बंगाल सरकार में संघर्ष कराना चाहते हैं। गृहमंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किये जाने चाहिए। यदि श्री चव्हाण की महत्त्वाकांक्षा को न रोका गया तो वह भी अयूब खाँ की भाँति एक दिन चव्हाण खाँ बन जायेंगे। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि या तो श्री चव्हाण को त्याग पत्र दे देना चाहिए या प्रधान मंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए।

श्री हेम बरूआ (मंगलदाई) : श्रीमान् 10 अप्रेल को पश्चिमी बंगाल में हड़ताल हुई थी। जिसके सम्बन्ध में गृह मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर मैंने 11 अप्रेल को चर्चा उठाई थी। 10 अप्रेल की हड़ताल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी कि उससे राज्य में काम-काज बिल्कुल ठप्प हो गया था। परन्तु गृह मन्त्री का यह वक्तव्य अतिश्योक्तिपूर्ण था कि यह हड़ताल राज्य के आर्थिक जीवन को पूर्णतः ध्वस्त करने के लिए जानबूझकर किया गया एक प्रयत्न था। क्या 24 घन्टे में आर्थिक जीवन को पूर्णतः निष्प्राण बनाया जा सकता है?

इस हड़ताल का मुख्य कारण था कोसीपुर स्थित बन्दूक तथा बम कारखाने के निहत्थे कर्मचारियों पर बन्दूकधारी लोगों द्वारा गोली का चलाया जाना। सचमुच इस घृणास्पद और भयंकर घटना की सभी ओर से निन्दा की जानी चाहिये।

केंद्रीय सरकार ने न्यायाधीश दास के नेतृत्व में जांच समिति नियुक्त की है जो गोली चलाए जाने की घटना के बारे में जांच करेगी। इसके लिए केंद्रीय सरकार बधाई की पात्र है। आयुध कारखाने के महानिदेशक ने कहा कि गोलो उस समय चलाई गई जबकि मजदूरों ने उत्तेजक कार्यवाही की। इसके विपरीत राज्य सरकार का वक्तव्य यह है कि कर्मचारियों की ओर से कोई उत्तेजक घटना नहीं घटी थी और उन्होंने गोली चलाकर जूआं खेला था। जाँच के द्वारा सच्चाई का पता चल जाएगा। साथ ही मेरा अनुरोध है कि जाँच रिपोर्ट को गुप्त न रखा जाए, चाहे उसमें सरकार को ही गलती पर क्यों न बताया गया हो। जो बन्दूकधारो व्यक्ति गोली चलाने के लिए दोषी ठहराए जाए, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

एक और असंगति भी है। राज्य सरकार भी इस मामले में जाँच कराना चाहती हैं। चूंकि कोसीपुर का बन्दूक और गोला कारखाना केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है इसलिए उसमें जाँच कराने का अधिकार केंद्रीय सरकार का ही है और उसने जाँच समिति नियुक्त करके ठीक ही किया है। यदि पश्चिमी बंगाल सरकार की जाँच करने में बड़ी रूची है तो उसे रविन्द्र सरोवर स्टेडियम में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार काँड की जाँच करानी चाहिए।

केवल बताने से करके दिखाना अधिक प्रभावपूर्ण होता है। गृह मन्त्री के वक्तव्य से यह प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ कि राज्यों में केंद्रीय संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? नवम्बर 1967 में केंद्रीय सरकार ने जो आदेश जारी किए थे, उसके अनुसार यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आती है। यदि केंद्रीय सरकार उनकी रक्षा के लिए दौड़ेगी, तो दुहरे शासन की गड़बड़ हो जाएगी। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कद्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा करने से इन्कार कभी नहीं किया। केंद्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध अच्छे बने रहने चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य केंद्रीय सरकार की प्रभुसत्ता को माने और राज्य सरकारों की स्वायत्तता भी न छीनी जाए।

भारत एक विशाल देश है। उसमें सांस्कृतिक क्षेत्र, सौन्दर्य के क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। अब भारत में एक और भिन्नता उत्पन्न हो गई हैं और वह है राजनितिक क्षेत्र में। अतः परिवर्तित राजनीतिक स्थितियों में संविधान में ऐसे संशोधन किए जाने चाहिएँ जिनमें वस्तुस्थिति ठीक बैठ जाए। दिन पर दिन हमारे देश में संघात्मक ढांचा कमजोर होता जा रहा है। आज राज्यों और केंद्र के बीच मुकाबले की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 10 अप्रेल के द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक प्रकार से केंद्रीय सरकार का मुकाबला किया। इस मुकाबलेबाजी की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए संविधान में नई परिस्थितियों, नए ढांचे के अनुसार संशोधन किए जाने चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार का तख्ता उलटने का प्रत्यन किया जा रहा हो। हाल ही में वहां के उप-मुख्य मंत्री ने कहा यदि आप हमें धन नहीं देंगे तो हम आन्दोलन करेंगे। ऐसी बातों को रोका जाना चाहिये। भारत की प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि हमारी केन्द्रीय सरकार मजबूत हो।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : काशीपूर में जो गोलीकांड हुआ है और जिसमें पांच व्यक्तियों की जानें गई है हमें उस पर बहुत दुःख है। पांच व्यक्तियों के मारे जाने के कारण वहां हड़ताल की घोषणा की गई और इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। जहां तक हड़ताल के कारणों का सम्बन्ध है, काफी समय से कुछ संघ, जिनपर कुछ राजनीतिक दलों का ज़ोर था, कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश कर रही थीं। किन्तु इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि हड़ताल का आह्वान एक तरह से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया था। संयुक्त मोर्चा सरकार के संसद-कार्य मंत्री श्री जतीन चक्रवती राष्ट्रीय संगम समिति के आयोजक थे जिसने हड़ताल के लिये आह्वान दिया।

जहां तक इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, श्री चव्हाण ने अपने भाषण में कहा हम इसकी जांच करेंगे। किंतु पश्चिम बंगाल सरकार ने उसको युद्ध की चुनौती समझा। यह हड़ताल सारे देश के टुकड़े करने का एक प्रयास है। ये लोग संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं है। उनका दीर्घकालीन लक्ष्य केन्द्र को कमज़ोर करना है। साम्यवादी दल ने एक संकल्प में इस हड़ताल की सफलता पर अपने साथियों को बधाई दी है। संयुक्त मोर्चा सरकार के मंत्री श्री जतीन चक्रवती ने कहा है कि केंद्र इस घटना से सबक लेगा। उन्होंने यह भी कहा है हम जहाँ भी गये हैं हमने हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल पाया है। कुछ समय पूर्व श्री नम्बूदरी पाद ने कहा था यदि हम सत्ता में आ गये तो हम सरकार को केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध अपने संघर्ष में एक मंच के रूप में प्रयोग करेंगे। उन्होंने केवल कलकत्ता सचिवालय को ही बन्द करने का आदेश नहीं दिया अपितु रेलवे, डाकघरों और केन्द्रीय कार्यालयों को भी बन्द करने का आदेश दिया। इतना होने पर भी हमारे गृह-कार्य मंत्री ने बहुत विनीत शब्दों में केवल इतना ही कहा है कि अनुच्छेद 256 और 257 के अन्तर्गत कन्द्रीय कर्मचारियों की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। इसका उन्होंने बुरा माना और राज्य के मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मन्त्री दिल्ली आये और उन्होंने कहा हमने रेलवे को सलाह दी कि रेलगाड़ियां न चलाई जायें और इस प्रकार हमने उनको संरक्षण दिया। यदि हम रेलगाडियां चलाने देते तो खून की नदियां बह जातीं। यह बन्द पूर्ण रुप से पूर्व नियोजित था और उन्होंने अस्पतालों, चिकित्सा सेवाओं, दूध संभरण आदि को इसके बाहर रखा था। यदि वे चाहते तो रेलवे के बारे में भी ऐसा कर सकते थे।

गृह-कार्य मंत्री के बंगाल में अलोकप्रिय होने का कारण यही है कि उन्होंने कहा कि हड़ताल आदि के कारण राज्य को आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। यह सत्य है कि इस प्रकार की योजनाबद्ध हड़तालों से बंगाल को भारी आर्थिक हानि हुई है। ये हड़तालें राजनीतिक प्रयोजनों के लिये की गई राजनीतिक हड़तालें हैं। वहां पर विमान यातायात ठप्प हो गया। वे जानबूझकर विदेशियों को प्रभावित करना चाहते हैं कि बंगाल में क्रांति हो गई है। श्री ज्योति बसु ने कहा है कि न्यायिक जांच आयोग को नियुक्त किया जाना राज्य के विरुद्ध एक अघोषित युद्ध होगा। जब कभी कहीं गोली चलती है तो आवश्यक रूप से न्यायिक जांच की मांग की जाती है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उनके सब षडयन्त्र सामने आ जायेंगे। जब अध्यापक गण श्री ज्योति बसु से मिले तो उन्होंने कहा आओ केन्द्रीय सरकार से अधिक धन की मांग करते हैं और यदि केन्द्र नहीं देता तो हम आन्दोलन करेंगे। वस्तुत: वह केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध लड़ने का वातावरण बना रहे हैं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति श्री चव्हाण का रवैया बहुत नर्मी का रहा है। यदि मैं उनके स्थान पर गृह-कार्य मंत्री होता, तो मैंने राष्ट्रपति के द्वारा उस सरकार को तुरन्त बरखास्त कर दिया होता। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोग हमारे लोकतन्त्र की निन्दा करते हैं। लोकतन्त्र का विनाश करने की इन लोगों में जो शक्ति है हमें उसका पता चल गया है। वस्तुत: सारा दोष केन्द्रीय सरकार का है और इसे बरखास्त किया जाना चाहिये। मैं नहीं जानता हमारी प्रधान मंत्री इन साम्यवादियों के हथकण्डों को कब समझ पायेंगी। मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल के इस बंद ने देश का भला किया है और वह यह है कि साम्यवादियों की चालों का आम जनता को पता चल गया है।

थोड़ी देर को मान लीजिये उस बन्द वाले दिन यदि पश्चिम बंगाल सरकार अन्य देशों के आश्वासन प्राप्त करके यह घोषणा कर देती कि पश्चिम बंगाल स्वतन्त्र है, तो संघ सरकार का क्या होता? मेरे माननीय मित्र डा० कर्ण सिंह अपने विमानों को वहां नहीं भेज सकते थे और न रेलवे मंत्री अपनी रेलगाड़ियों को वहां भेज सकते थे। डाकघरों के लोग बिल्कुल विवश थे। उन्होंने केवल श्री ज्योति बसु को आकाशवाणी से शेष भारत को स्वतन्त्रता की घोषणा करने के लिए नहीं भेजा था। उन्होंने आज ऐसा नहीं किया तो कल ऐसा अवश्य करेंगे। अनेक देशों में उन्होंने ऐसा किया है। यही कारण है मैं चाहता हूं वहां सर्वदलीय सरकार होनी चाहिये। यदि वहाँ के मन्त्रिमण्डल में कांग्रेस दल का मन्त्री होता तो क्या यह बंद हो सकता था? इस बंद के पीछे वहाँ की सरकार थी। गृह मंत्रालय पर अधिकार करके उन्होंने प्रत्येक देश में यही चाल चली है। लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। वे इसका शोषण करना चाहते हैं। हमारे ये मित्र मूल अधिकारों को नष्ट करना चाहते हैं। क्या उन्होंने वहाँ के जनता के मूल अधिकारों की रक्षा की? रवीन्द्र सरोवर की घटना के बारे में उन्होंने जाँच क्यों नहीं कराई। क्या हमारी स्त्रियों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं हैं? क्या चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, हंगरी और अन्य देशों में मूल अधिकारों के लिए कोई सम्मान है? दुर्भाग्य से उनमें कुछ पर्याप्त पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। किन्तु उन्होंने अपनी सारी शिक्षा भुला दी है और अब केवल मास्को और पेकिंग से ही पाठ पढ़ते हैं।

यदि शासक दल देश भक्त है और महात्मा गाँधी और संविधान में निष्ठा रखता है तो उसे चाहिये कि वह पश्चिमी बंगाल सरकार को तुरन्त बरखास्त करे और केवल उन राजनीतिक दलों को रहने दें जो देश के प्रति निष्ठा रखते हों।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : सर्वप्रथम मैं प्रधान मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री से अपील करूंगा कि कासीपुर आयुद्ध कारखाने के गोलीकाण्ड में जो व्यक्ति मारे गये हैं उनके परिवारों तथा जो ज़ख्मी हुए हैं उनको तुरन्त जो भी सहायता हो सकती है पहुंचाई जाये। ऐसा वचन मैंने उन लोगों को दिया है क्योंकि वह इलाका मेरे क्षेत्र में पड़ता है।

एक लिखित संविधान में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों का कार्य क्षेत्र सही रूप से दिया गया है। यदि उन दोनों में इस सम्बन्ध में कोई टकराव होता है तो उसके समाधान के तरीके हैं। अतः इस समस्या को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच एक निरन्तर विवाद समझना संवैधानिक और राष्ट्रीयता की दृष्टि से गलत है। और ऐसा समझना हमारे लोगों के कल्याण के मार्ग में रोड़ा अटकाने के समान होगा। मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और दोनों के राजनीतिक दलों पर है कि वह देखें कि भविष्य में दोनों के बीच झगड़े का कोई कारण न बने।

मैं समझता हूँ कि हड़ताल के सबन्ध में जांच आयोग नियुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्य सरकार से सलाह न लेकर भूल की है। मैं माननीय गृह मंत्री को सलाह देता हूँ कि भविष्य में वह जांच आयोग नियुक्त करते समय राज्य सरकार को सलाह अवश्य लें और इस परम्परा को स्थापित करें। जांच के निर्देशपद देते समय भी राज्य सरकार से परामर्श लिया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित करने से पूर्व यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न्यायपूर्ण जांच कराये। मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं कि उसने इस दुखद घटना के बारे में सचाई का पता लगाने हेतु जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया।

मैं आशा करता हूँ कि इस जांच में प्रत्येक दल अपना सहयोग देगा। अतः मैं अपने उन मित्रों से जिनका पश्चिम बंगाल विधान सभा में बहुमत है अपील करूंगा कि वे न्यायिक जांच के मामले में जो न्यायधीश श्री एस. के. दास की अध्यक्षता में हो रही है दलीय स्तर से ऊँचा उठ कर अपना सहयोग दें।

गोलियां चलना अब बहुत आसान सा हो गया है। सुरक्षा कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि उन्हें किन परिस्थितियों में गोली चलानी है। यदि लाठी चलाने या छोटे हथियारों के प्रयोग से काम चल सकता हो तो गोली नहीं चलाई जानी चाहिये।

कलकत्ता की रवीन्द्र सरोवर घटना में जो कुछ हुआ वह कल्पनातीत और अत्यधिक दुखद है। भारत में कभी भी ऐसा हो सकता है यह बात ध्यान में भी नहीं आ सकती है। महिलाओं की इज्ज़त को लूटा गया और उनके वस्त्र उतारे गये। शिवाजी ने अपनी सेना को आदेश दिया था "कुरान का कभी भी अपमान मत करो, मस्जिद को कभी अपवित्र मत करो, स्त्री को कभी मत छुओ"। ये वे आचरण के सिद्धान्त हैं जिन्होंने हज़ारों वर्षों तक हमारी सभ्यता को ऊंचा उठाया है। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की है कि वह जांच कराये और जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायें उन्हें कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाये। विधि तथा व्यवस्था के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। उत्पादन के बिना समाजवाद नहीं आ सकता। हमें उत्पादन की आवश्यकता है क्योंकि गरीबी का बंटवारा नहीं हो सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Had the Bandh been organised by the United Front or the Sangram Samiti we woud not have resented that, but I am sorry to state that the State Government issued a Press note that it would not give propection to aircrafts, railways and the post offices. They asked the people to close down their shops.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr Deputy Speaker in the cheair]

Not only that the state Government actively organised the Bandh. It cannot be said that whatever happened in the Gun Factory at Cossipore was proper. Nor. it was instigated by the Central Government. Once the Central Government has appointed an Enquiry Commission the matter should be treated as closed. The firing there cannot be attributed to Central-state relations. This is the rehearsal of the Communist Party's long term plan to engulf the entire Country in chaos and anarchy.

In the Ravindra Sarovar incident hundreds of women were molested and s'ripped of their clothes. Where was the police at that time ? The State Government is shedding only crocodile tears and is not prepared to agree to a judicial enquiry in to this incident which no self-respecting citizen can countenance.

Their very first demand to take the home portfolio smacked of their sinister motives. About C. R. P. Shri Jyoti Basu has remarked that they are foreijn personnel. They must be made to realise that Bangal is a past of India. This is their pre-planned strategy and it should serve as an eye-opener to us all. Their intetions are to weaken the Centre.

My friend said that the people of Bengal have given the verdict in their favour. We admit it and we bow before it. But he must ealise that the verdict is not for flouting the constitution but to honour and uphold it.

I want to ask of the Home Minister where he was on the both instant when the state Government held the other parts of the country to ransom by disrupting the communication lines. This is a serious lapse on his part and calls for resignation by the Government. The Home Minister should give an assurance that henceforth the Communications will not be allowed to be dislocated, the loyal employees will not be prevented from going to their places of duty and that ladies will not be allowed to be molested in any part of the country.

This is such a deep-rooted malady as cannot be tackled merely by use of force. It calls for the mobilisation of public opinion against all these disruptiue forces. There is no denying the fact that Shri Ajoy Mukherjee is a patriot up to the hilt, but he is a puppet in the hands of Bengal Government. He should lay down his office and we shall welcome him.

This is not a party issue and therefore I call upon the Home Minister to mobilize all the democratic forces in the country to stem this rot. Whether this party should be banned needs rethinking in the present context.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मुझे साम्यवादियों से कुछ नहीं कहना है क्योंकि वे अपनी समझ के अनुसार अपने धर्म पर चल रहे हैं। क्या काँग्रेस भी अपने धर्म का पालन कर रही है। आज काँग्रेस की देश में इसलिए नहीं चलती है कि इनके अपने घर में फूट है। यदि कांग्रेसी अपने आप को संगठित नहीं कर सकते तो इन्हें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। वे लोग जो कानून को तोड़ते हैं उनक साथ ये इतनी नर्मी का बर्ताव क्यों करते हैं ?

हमने संविधान में जानबूझकर केंद्र को मजबूत बनाया है। यदि कोई राज्य अधिक अधिकार की मांग करता है तो उसे संविधान में संशोधन करना चाहिये। यदि किसी राज्य को अपनी मनमानी करने दी गई तो इससे देश का विनाश हो जायेगा।

आज देश में विखण्डनात्मक प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आज कांग्रेस में वामपंथी और दक्षिण पंथी हैं। जब आप समाजवाद की शपथ लेते हैं तो फिर वाम और दक्षिण का प्रश्न ही कहाँ रहा। कांग्रेस वह संस्था है जिसने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। किन्तु आज यही कांग्रेस अपनी फूट के कारण देश की विघटन कारी प्रवृत्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले बन्दरों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखती। यदि आप शासन नहीं कर सकते तो शासन से अलग हो जाइये। गृह मन्त्री ने अपने वक्तव्य में बंगाल सरकार को चेतावनी तक नहीं दी है क्या शासन करने का यही तरीका है।

बंगाल में जो कुछ हो रहा है मैं बताता हूँ। अपनी त्रुटियों पर पर्दा डालने के लिए वहाँ की सरकार केंद्रीय सरकार से झगड़ा करना चाहती है। रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम में जो हुआ वह घोर पाप था। उस समय वहाँ की सरकार सो रही थी। कांग्रेस को चाहिये कि वह संगठित हो क्यों कि देश में अन्य कोई ऐसा दल नहीं है जो सत्ता में आ सके।

श्री मती शारदा मुखर्जी (रतनागिरी) : कासीपुर आयुद्ध कारखाने में जो व्यक्ति मारे गये हैं उनके संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करती हूँ। मुझ से पहले श्री डांगे ने गृह-मन्त्री के बारे में कहा वह एक राजनीतिक लड़ाई के बारे में :कह रहे हैं। किन्तु मैं कहूँगी कि ये चार निर्दोष युवक राजनीतिक संघर्ष का शिकार बने हैं। यह कोई आदर्शों का संघर्ष या संवैधानिक प्रश्न नहीं है अपितु एक राजनैतिक संघर्ष है। चूंकि एक जाँच आयोग नियुक्त कर दिया गया है हमें उसकी उप-पत्तियों की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम में हुई घटनाओं से नारी जाति के सम्मान को जो आघात पहुँचाया गया क्या कोई सरकार उसको उचित ठहरा सकती है ? जबकि वहां आये दिन दंगे होते हैं वहाँ की सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने अपने देश में संसदीय लोकतन्त्र को अपनाया है और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपना सरकारी कार्य संविधान का पालन करते हुए करें।

श्री ज्योति बसु ने रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम की घटना के बारे में कहा यदि आवश्यक समझा गया तो जाँच कराई जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि माता पिता को चाहिये कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपने बच्चों को ऐसे समारोह में न भेजें। उनको न्यायिक जाँच के लिए राजी होना चाहिये।

मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों की एक विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें अनुशासन भंग करने के लिए भड़काया गया था जो कि एक गम्भीर बात है। कलकत्ता में असैनिक कर्मचारी सैनिक कर्मचारियों के साथ साथ काम करते हैं। दोनों पर समान अनुशासन रखा जाना चाहिये।

श्री ज्योति बसु ने कहा है यदि केंद्रीय सरकार पर्याप्त धन नहीं देगी तो हम आन्दोलन करेंगे। 'क्रान्ति' और 'आन्दोलन' शब्दों को हमने प्रायः सुना है। संयुक्त मोर्चा सरकार इन शब्दो को प्रायः प्रयोग करती है। यह बहुत ही गम्भीर बात है और केन्द्रीय सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

अगर सरकार जनता को आन्तरिक शान्ति और उनके जीवन आदि की सुरक्षा को संरक्षण न प्रदान कर विद्रोह और आन्दोलन को प्राथमिकता देती है तो यह देश के लिए काफी खतरनाक बात सिद्ध होगी।

अन्त में मैं यह जानना चाहती हूँ कि संयुक्त मोर्चा सरकार का यह कहने का क्या तात्पर्य है कि केन्द्रीय सरकार ने उनसे सलाह नहीं ली है। परन्तु क्या उन्होंने 'बंद' की घोषणा करते समय केंन्द्रीय सरकार से सलाह ली। यद्यपि 'बंद' बंगाल में कोई असाधारण बात नहीं है परन्तु यहां तो सरकार ने स्वयं इसको आयोजित किया है।

मैं केन्द्रीय सरकार को इस बात से आगाह कर देना चाहती हैं कि संविधान द्वारा उन्हें जनता के हितों को संरक्षण देने के लिए काफी अधिकार मिले हुए हैं। केवल संवैधानिक व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं है उनको प्रयोग में लाना भी उतना आवश्यक है। राज्य सरकार को भी चाहिए कि वे केन्द्रीय सरकार की आज्ञा का उल्लंघन न करें। उन्हें संविधान के दायरे में रहने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री राममूर्ति(मदुरै) :- मैं नहीं समझता हुँ कि इस विषय पर वाद-विवाद क्यों किया जा रहा है। मैं श्री रंगा और जनसंघ वालों की बात तो समझ सकता हूँ उन्हें बंगाल की जनता ने अस्वीकार कर दिया था और वे अब यहां से वहां की सरकार को हटाना चाहते हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr Speaker in the chair]

यह कहा जाता है कि सरकार रवीन्द्र सरोवर कांड की जांच क्यों नहीं करवा रही है मैं उस समय वहां उपस्थित था। अगले दिन हमने सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया था। मैंने कहा था कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है अपितु गुंडो के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इस बात में दो मत नहीं हो सकते, यह किसी ने नहीं कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया गया मैंनें यही सलाह मद्रास के मुख्य मंत्री को किलमानी कांड पर दी थी जबकि जांच की मांग की गई थी। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भी कहा कि जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है अपितु अपराधियों को दंड दिया जाना चाहिए। अतएव पुलिस को कहा गया कि वे सबंधित अपराधियों की खोज करें। पुलिस को बिना वारन्ट के तलाशियां लेने का अधिकार दिया गया पहले ही 300 व्यक्ति पकड़े जा चुके है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। हमें दुःख है कि जो कुछ रवीद्र सरोवर स्टेडियम मैं हुआ वह शर्मनाक था और किसी को भी इसकी आशा न थी। यह सब अचानक ही हुआ जब कुद्द गुंडे दर्शकों में मिल गये। इस स्टेडियम में लगभग 5,000 लोगो के लिए स्थान था जबकि 10,000 टिकटें बाँटी गई थीं, काफी संख्या में लाग बाहर खड़े थे। स्वयं पुलिस को अश्रुगैस छोड़ना पड़ी थी, इसके बाद पुलिस ने उपद्रव तत्वों की खोज की तथा उन पर मुकदमा चलाया।

काशीपुर में जो कुद्द हुआ वह दुखपूर्ण था। यह समाचार समूचे पश्चिमी बंगाल में फैल गया था। लगभग 50 हजार लोग वहां इकट्ठे हो गये थे उसमें ट्रेड यूनियन और इंटक से सम्बन्धित लोग भी थे। उन्होंने शान्ति पूर्ण विरोध प्रकट किया।

प्रश्न यह उठता है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जन समूह से अपने आपको अलग नहीं रखते हैं यह कांग्रेसियों की नीति हो सकती है। परन्तु हमारी नीति जनसमूह से अलग होने की नहीं है। जब राष्ट्रीय संग्राम समिति ने बंद का आवाह्न किया तो पश्चिमी बंगाल की सरकार ने हड़ताल शांतिपूर्वक करने को कहा था हमें उन लोगों के साथ पूर्ण सहानुभूति हैं, जब काशीपुर गोलीकाण्ड की घटना घटी तो पुलिस कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को कई पुलिस वालों के साथ वहाँ भेजा, पहले पुलिस वालों को वहाँ आने नहीं दिया गया परन्तु बाद में श्री बसु के हस्तक्षेप से पुलिस वालों को भीतर आने दिया गया। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यह जान-बूझकर की गई हत्या का मामला है। जाँच करने के बाद उन्होंने दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग लगाने का निर्णय किया। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत सरकार घटना के दो दिन में ही जाँच आयोग नियुक्त क्यों करना चाहती है ? इन्द्रप्रस्थ भवन, पठानकोट आदि में जो घटना घटी उसके विरूद्ध सरकार ने जाँच आयोग नियुक्त करने की कोई आवश्यतता नहीं समझी, परन्तु यहाँ जब सरकार को यह मालूम हुआ कि दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी वाली है तो उन्होंने जाँच आयोग बिठाने का निश्चय किया। कलकत्ता उच्च न्यायलय ने इस प्रकार के कार्य को न्यायलय का अपमान समझा है। क्योंकि जब न्यायलय में मुकदमा चल रहा है तो सरकार कैसे जांच आयोग नियुक्त कर सकती है।

श्री अशोक सेन ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने का अवसर दिए बिना फाँसी चढ़ाना उचित नहीं है, परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। उनको हर संभव अवसर प्रदान किया गया है कि वे अपना बचाव पक्ष सामने रखें। आवश्यकता पड़ने पर हम स्वयं जाँच आयोग नियुक्त कर सकते हैं। सरकार क्यों शीघ्र आगे आकर जाँच आयोग बिठाना चाहती है। अगर भारत सरकार पश्चिमी बंगाल की सरकार से सलाह मशविरा करती तो वह उसे अपनी कठिनाइयों से अवगत कराती, दोनों सरकार इस पर चर्चा करके तथ्यों की जांच कर सकती थी, परन्तु भारत सरकार ने इतना भी शिष्टाचार नहीं दिखाया कि वह पश्चिमी बंगाल की सरकार से सलाह-मशविरा करती। बस केवल यह कहा गया कि हमने जाँच आयोग नियुक्त किया है। हमें ऐसा करने का अधिकार है और आपको इसे मानना चाहिये।

क्या इसी प्रकार का सहयोग आप चाहते हैं ? आप सहयोग की बात करते हैं परन्तु वास्तव में आप लोगों से चाहते हैं कि वे आपका कहना मानें। उदाहरण के लिए दुर्गापुर को ही लें। वहाँ के एक कारखाने में उपद्रव होता है जब दूसरे कारखाने यथा दुर्गापुर स्टील एलाय फैक्टरी में गत दो वर्षों से कोई उपद्रव नहीं हुआ है। वहाँ काम ठीक चल रहा है। इस बात की जाँच होनी चाहिये। श्री ज्योति बसु ने गृह मन्त्री महोदय से इसके बारे में कहा था परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। जब मेनेजर श्री बघेरा ने पश्चिमी बंगाल की सरकार से कारखाने में अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस भेजने का अनुरोध किया तो उसे स्वीकार कर लिया गया था। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने सहयोग देने से इंकार नहीं किया।

यह बात भी उठाई गई है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने रेलवे को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है, यह सही नहीं है। वस्तुतः जन आक्रोष की तीव्रता देखकर स्वयं रेलवे अधिकारियों ने गाड़ियों को बंद करना ही उचित समझा। आन्दोलन के समय रेलवे सम्पत्ति को छेड़ा नहीं गया था, आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाने के हड़ताल तथा हाल ही में हुए शिव सेना के आन्दोलन ने केंद्रीय सरकार की करोड़ों की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया।

तेलंगाना के आंदोलन में रेलवे स्टेशनों को जलाया गया, क्या वहाँ की सरकार पर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया। बंगाल बंद के समय जब डाक-तार विभाग ने सुरक्षा मांगी तो पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इसको अस्वीकार नहीं किया, उनसे यह कहा गया कि चूंकि समूचे राज्य में उत्पात को रोकने के लिए पुलिस लगाई गई है अतएव हम आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते है। आप इस पर निर्णय स्वयं कर लीजिये। डाक-तार विभाग ने उस दिन अपना काम बंद करना उचित समझा। इसी प्रकार रेलवे के जनरल मैनेजर ने पश्चिमी बंगाल सरकार की सुरक्षा के लिए कहा था परन्तु उनको भी यहीं कहा गया था, अतएव रेलवे अधिकारियों ने कहा कि एहतियाती तौर पर रेलगाड़ियों को वहां नहीं लाया जायेगा और वे बंगाल सीमा के बाहर रुकेंगी।

अतएव हमारे इस कार्य में कोई गलत बात नहीं है। जब आपने आंध्र प्रदेश की सरकार को सरकारी सम्पत्ति नष्ट करने पर कुछ नहीं कहा तथा 1960 में आसाम में जो उपद्रव हुए उनके विरूद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। तब फिर पश्चिम बंगाल के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है।

कोई माननीय सदस्य सेना अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। इन लोगों के विरूद्ध हत्या के आरोप लगाये गए हैं। अधिनियम की धारा 70 में कहा गया है कि अगर कोई सैनिक व्यक्ति असैनिक व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसको इस धारा के अन्तर्गत दोषी नहीं माना जाएगा तथा उस पर साधारण दण्ड संहिता के अधीन ही मुकदमा चलाया जाएगा।

जब पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि दोषी व्यक्तियों को उन्हें सौंप दिया जाये ताकि उन पर यथोचित कानूनी कार्यवाही की जा सके तो इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। उनके बन्दूको को भी वापस देने से इंकार कर दिया गया। इसके बावजूद भी यह सरकार कहती है कि हमें राज्यों से सहयोग चाहिए। यह वस्तुतः नीतियों का संघर्ष है। इंद्रप्रस्थ भवन में लोगों को पीटा गया तथा उनकी हत्या की गई परन्तु संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पश्चिमी बंगाल की सरकार की दृष्टि में एक अधिकारी तथा एक साधारण व्यक्ति बराबर हैं। अगर उनमें से कोई हत्या करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करनी ही होगी यह दो नीतियों का संघर्ष है। एक नीति के द्वारा बड़े-बड़े अधिकारी और व्यापारियों को बचाया जाता है और दूसरी नीति इस देश के कानून के अनुसार दोषी व्यक्तियों को दण्ड देती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर सौ बार विचार करे। अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो आप एक तरह से पश्चिमी बंगाल के लोगों को चुनौती दे रहे हैं। जब श्री ज्योति बसु ने उच्च अधिकारियों के विरूद्ध आरोप लगाया तो इसके पीछे न केवल पश्चिमी बंगाल की जनता थी अपितु भारत के समस्त श्रमिक

वर्ग व साधारण लोग भी थे। अगर आप उनका सहयोग चाहते हैं तो आपको अपना हठपूर्ण दृष्टिकोण त्यागना पड़ेगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur : We are taking this important question in somewhat serious atmosphere. The reason is that Chinese have produced a document regarding India in which it is said that armed revolution is taking place in India and they hope that it will spread in all direction.

If the Government remains a silent spectator on the affairs of Bengal, similar Situations can also be created in Punjab, Kerala, Madras and border areas. So it is my request that this question should not be confined to Bengal only. The impact of Bengal events will be felt in Nefa, Nagaland Manipur and Tripura etc. The question should be considered on national basis.

It pains me to hear that persons, connected with newspapers, are being intimidated and they are asked not to publish any internal news of Bengal. Such tendency in a democrey is disastrous.

I want to know from the Hon. Home Minister the impact of Bengal Bandh on the security of borders. If the work on communication, air services etc. is interrupted then what will happen to our borders. I want to know whether any Military planes landed on that day at Calcutta. Otherwise the security will be jeopardized.

Today the question of deploying Central Reserve Police at Durgapur Plant was also referred. The question of free movement of armed forces within Bengal may arise. It may be followed by many other matters. So we should seriously think over the background of these issues which have cropped up in west Bengal.

We can not ignore the speech of Deputy Chief Minister of West Bengal who came here for Grants. When some Correspondents asked him about his mission he replied that he had succeeded in his mission but he made a differnent version on his return to Bengal. He told the people that the Centre had not fulfilled their requirements. This shows that they are always in search of an excuse.

The Hon. Home Minister thinks that there are three Communist Parties in Bengal i,e Naxalite party, second Marxist Party and thirdly Rightist Party. One should not be disillusioned by this situation. Today they have no policy struggle and we should not reach on any decision by their tactics.

Has there been any precedent where a State Government declared that no protection will be given to non-strikers. If the State Governments start making such declaration and pass resolution in favour of strikes then how the work will go on smoothly. The Government had received pre-information but no action was taken.

I have come to know an incident. On the one hand the Bengal Government says that no pressure or compulsion will be put on any one, but the story of Midnapur depicts a different version. Yesterday Shri L. K. Bhandari, General Manager of Punjab National Bank, went to open the bank then he was gharoed by some people who demanded that the workers of the bank must be taken from Midnapur. They harassed him so much that he suffered an heart attack. Such events are taking place there and the Central Government is not giving any heed.

Now the time has come to think over this matter seriously. Shri Chavan says that communists are attacking on the Police Stations and Chinese are sending Money Orders

to their agents in India. The Government should see that Communists agents do not do some mischief as to harm the interests of the country. The Government should think on this vital point as to whether undemocratic parties should he allowed to function on this land or not.

Shri S. M. Joshi (Poona) : It seems to me that Mrs Sharda Mukherjee has some misunderstanding. She said that Civilian Defence Personnels had to work with Military personnels. But actually Civilians are working in those factories.

I have been in touch with Civilian Defence Personnels. Their responsibility is great. But they are not treated as they should be. The Hon. Minister had promised in this House that those temporary personnels who have been discharged will be taken back to service if they come within the arbit of section 4. I want to inform you that no such thing has taken place as yet. Workers held their meeting in Cossipur factory for three days. On one occasion some people came there and insisted on closing the doors. The personnels gathered there and uproar started. The Police had to open fire and the result is before us.

I want to say that if the workers hold meetings to protest aganist the Government's indifference towards fulfilling the assurances given to them what is bad in it. It is a matter of shame that they are treated in this way. It is good that the Defence Minister gave assurance to hold enquiry. Now the Bengal Government say that why they have not been consulted ? If the Bengal Government is to be consulted then why it was not done. The Government should treat with every state at par. It is not good that different polices are adopted with different states.

We all want to guard the independene of the Country. We want that democracy may last long. To this end we have made several amendments in the Constitution. When circumstances are changed then we have to adjust ourselves to it. If the Constitution is to be altered for this then we should have no hesitation in doing so.

If something happens then Shri Ranga says that the Government should be dismissed. When trouble arose in Nagaland then some people insisted on sending army there. In the name of integration some asked for taking stern measures in Assam when trouble broke there. But we should act in accordance with the democratic principles and not to think in terms of stern measures always. You dismissed the Bengal Government but people voted them back to Power. What is needed is that the Government should act according to the Consititution. We should have no prejudice against them. Can you pull on democracy by dismissing the Government and sending army there ? Whatever we do should be directed to preserve the democray and integrity of the country.

My party is a constituent of the United Front Government in Bengal. We have asked them to prescribe time limit for the implementation of the programme for the welfare of the people. We also demand that Free Primary Education should also be provided to the people of Bengal. The Congres has done nothing in this respect for the last twenty years. As far as the trade Unions are concerned, recognition should be given to those who enjoy public support. Violence should not be allowed in such things. I request Mr. Chavan not to adopt double policy towards Bengal where the Communists are in power.

At the time of the death of Stalin I went to Shri Morarji Desai, who was Chief Minister at that time, and asked him to condole the death of the big leader. He said what we had done at the time of the death of Mahatma Gandhi. Such thing should not have been said. The people voted for the Communists and we should not act against their wishes. Also if we anticipate any trouble by our measure then we should think over it so that tension may not prevail.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैंनें इस वाद-विवाद में भाग लेना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि इस मामले पर जांच की जा रही थी और मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता था, मने केवल तथ्यों को सदन के समक्ष रखा, विरोधी सदस्यों के सुझाव पर मैंने न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार किया था, मेरे इस निर्णय का सभा में सर्वत्र स्वागत हुआ, हर बार विरोधी सदस्य जांच कराने की मांग करते थे और अब यह शीघ्र ही स्वीकार कर ली गई है

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर): उन्होंने शीघ्र ही यह निर्णय नहीं लिया। मैंनें उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार से बातचीत करने के उपरान्त न्यायिक जांच करायेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंनें विचार किया था कि यह ऐसा मामला है जिस पर न्यायिक जांच की आवश्यकता है। यह सारी घटना कारखाने में हुई जिसका स्वामी केन्द्रीय सरकार है। इसमें कार्य करने वाले समस्त कर्मचारी भी केन्द्रीय सरकार के थे फिर यह घटना कारखाने में ही हुई, इन सब बातों को देखते हुए यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए जांच का आदेश दिया गया था।

जब कारखाना खुलने के समय घटना घटती है और वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध आरोप लगाये जाते है तो ऐसे सब मामलों में कानूनी कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार सब तथ्यों का अध्ययन कर अनुमति प्रदान करती है।

मैं कानून तथा तथ्यों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री राममूर्ति ने मुझे विवश कर दिया कि मैं कानूनी पहलू पर जाऊँ। श्री राममूर्ति ने अपना पक्ष इस आधार पर बनाया कि कोर्ट मार्शल, सेना अधिनियम के अनुसार, एक उचित प्राधिकरण है और इन मामलों पर मुकदमा चलाना न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में दो कारणों से नहीं आता है। पहला कि यह हत्या का मामला है और दूसरा कि इसमें सम्बन्धित व्यक्ति सक्रिय सेवा में नहीं थे मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने इसे ठीक से नहीं समझा है। तथ्य यह है कि उनको सेना अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वे सक्रिय सेवा में थे ?

श्री राममूर्ति : आपने अधिनियम पढ़ा है।

श्री स्वर्ण सिंह : केन्द्रीय सरकार धारा 1 के अन्तर्गत अधि सूचना द्वारा यह घोषण कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन आने वाला व्यक्ति सक्रिय सेवा में समझा जायेगा। मैं इस कानूनी कार्यवाही में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि मेरे विचार में यह सरकारों का आपस में मामला है और इस पर जांच भी की जा सकती है न्यायालय इसकी जाँच करेगा। परन्तु जब यह बात उठाई गई है तो इसका निराकरण करना मेरा उत्तरदायित्व है। कानूनी सलाह-मशविरा लेने क बाद मैं पूर्ण उरत्तरदायित्व के साथ कह सकता हूँ कि (1) सुरक्षा अधिकारी सेना अधिनियम के अन्तर्गत आते है (2) इस अधिसूचना के द्वारा वे सक्रीय सेवा के अन्तर्गत माने जायेंगे यह अधिसूचना कभी वापिस नहीं ली गयी। इन सब तथ्यों को देखते हुए मेरा यह

कर्त्तव्य हो जाता है कि सम्बन्धित व्यक्तियों पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं

इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि मैंने उससे सलाह-मशविरा नहीं किया है। मैं आपके समक्ष समस्त तथ्य रखना चाहता हूँ इस मामले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी शामिल थे तथा यह घटना कारखाने में हुई थी और मारे गये लोग भी केन्द्रीय कर्मचारी थे। शिष्टता के नाते मुझे सूचित किया जाना था। मुझे केवल समाचार-पत्रों द्वारा इसके बारे में मालूम हुआ। मैं नहीं जानता कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जायें। क्योंकि पहले वे प्रार्थना करते और फिर सरकार पर दबाब डालते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में वक्तव्य दिया जाये। मैं याद दिलाना चाहाता हूँ कि मुझे और केन्द्रीय सरकार को शिष्टता दिखानी चाहिए थी जो ऐसा नहीं किया गया। यह कानून और व्यवस्था का ऐसा मामला था जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी शामिल थे, यह घटना कारखाने में हुई थी और मुझे इसका समाचार समाचार पत्रों के माध्यम से ही हुआ था। फिर आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। हमें कानून तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना हैं। मेरे मित्रों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर कोई अभियुक्त सेना अधिनियम के अन्तर्गत आता है तो सरकार का यह सिर दर्द नहीं है कि वह उसे माँगे। यह सौंपने का काम न्यायालय का है और अगर कमांडिग आफीसर इसे स्वीकार नहीं करता है तो केन्द्रीय सरकार को कहा जाता है जिसका कि निर्णय अन्तिम होता है। ये सब कानून की बातें हैं। मैं उन सबकी व्याख्या नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हुँ कि न्यायालय ही इन सब बातों को देखे, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे कानूनी मामलों को यहां न लायें क्योंकि यह काम उच्च न्यायालय, मैजिस्ट्रेट आदि के देखने के लिए है। यह उचित मंच नहीं हैं जहां कि कानूनी दृष्टिकोण पेश किये जायें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कानून तथा संविधान के अनुसार ही कार्य करना चाहते है। मेरा इतना अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार और क्षेत्राधिकार का मान किया जाना चाहिए। जब हम कानून और व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य लोगों को पकड़ना तथा दण्ड देना ही नहीं होता अपितु उनको संरक्षण भी देना है।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह वाद-विवाद दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक जांच आयोग से सम्बन्धित है जिसके बारे में प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे दिया है दूसरा भाग 'बंगाल बंद' से सम्बन्धित है,

मेरे वक्तव्य में तीन विभिन्न बातें है। इसका पहला भाग तथ्यों के ब्यौरे से है कि क्या घटना घटी। और मेरे विचार में किसी ने भी इन तथ्यों पर आपत्ति नहीं की है। क्या किसी ने इस तथ्य पर विवाद किया कि संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य करने नहीं दिया गया ? हमने असैनिक उड्डयन के बारे में कहा है। हमने राज्य में कार्य के बन्द होने के बारे में कहा है।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, गृह मंत्री महोदय ने बंद के बारे अपना ही वक्तव्य दिया है

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री नारायण रेड्डी :××

अध्यक्ष महोदय: उचित तरीका तो यह है कि आप प्रस्ताव के लिए पूर्व-सूचना दीजिए और फिर इस पर वाद-विवाद करिए परन्तु इस प्रकार आप जो बाधा डाल रहे है वह सहन नहीं किया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं वक्तव्य में उल्लिखित तथ्यों को बता रहा था, किसी ने भी इन तथ्यों की सत्यता पर आपत्ति नहीं की है।

वक्तव्य का दूसरा भाग समूचे राज्य में कार्य को रोक देने के औचित्यता के बारे में है, यह किसी सरकार की आलोचना नहीं है। मैं इस बात को भलि-भांति समझता हूँ कि चार-पांच व्यक्ति गोलीकांड में मारे गए थे इससे कर्मचारियों के मन में असंतोष पैदा हो गया था, अगर कुछ व्यक्ति गोलीकांड में मारे जाते हैं तो हर एक को इसका दुःख होना स्वाभाविक है।

मैंने जो अपने वक्तव्य में कहा है उस पर मैं अभी भी कायम हूँ और मैं उसमें से एक शब्द भी वापस नहीं लेना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री डांगे ने पूछा है कि उचित तथा अनुचित प्रतिक्रिया का मापदण्ड क्या है। औचित्य का भावना साधारण ज्ञान से सम्बन्ध रखती है। अगर उस कारखाने के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो यह बात मेरी समझ में आती है। अगर कलकत्ता के श्रमजीवी वर्ग हड़ताल करता है तो यह भी समझ में आने योग्य है परन्तु राज्य सरकार की अनुमति से सारे राज्य में हड़ताल करना कुछ ऐसी बात है जो बिल्कुल ही भिन्न है। इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति को लाया गया है अगर यह किसी अन्य सरकार, चाहे वह कांग्रेस भी होती, का कार्य होता तो मैं फिर भी यही कहता कि यह गलत कार्य है। मेरे वक्तव्य का दूसरा भाग इस सामान्य हड़ताल अथवा बन्द से है। क्या यह औचित्यपूर्ण है या नहीं? मैं इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यह एक तथ्य है कि विभिन्न दृष्टिकोण वाली राज्य सरकारें हो सकती है और ऐसा केंद्र के साथ भी हो सकता है। हम सबको यह वस्तुतथ्य समझना होगा क्योंकि हमें इसी के साथ-साथ चलना है। यहां जो माननीय सदस्य हैं उनको राज्य सरकार का ही प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। उनका यह भी उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे हमारा भी प्रतिनिधित्व विभिन्न राज्यों में करें।

मैं अब अपने वक्तव्य के तीसरे भाग पर आऊँगा जो कि संवैधानिक पहलू से सम्बधित है। मैंने दो अनुच्छेद 256 और 257 का उल्लेख किया है। ये केंद्र राज्य के सम्बन्धों के बारे में हैं। अगर कम्युनिस्ट पार्टी संविधान के अन्तर्गत कार्य करती है तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वे अपना कार्यक्रम बनाकर उसे क्रियान्वत कर सकते हैं। परन्तु वे ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर संवैधानिक कानून उनके अनुकूल है तो वे उसका हवाला देते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो वे बन्द आदि का सहारा लेते हैं। इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। अतएव यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम पश्चिमी बंगाल की सरकार के साथ इन मामलों पर बात करना चाहते है क्योंकि हम राज्यों का सहयोग चाहते हैं। संविधान ने हमें तथा उनको परमादेश दिया हुआ है परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि इस परमादेश का कार्य संविधान क अन्तर्गत होना चाहिए। हमें समस्या की गम्भीरता पर ध्यान देना चाहिए और सरकार के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए।

——

××कार्यवाहि वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया
Not recorded.

[Shri Gadlingana Gowd in the chair
श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए]

राज्य व्यापार निगम द्वारा धागे का आयात चर्चा × ×

INPORT OF YRAN BY STATE TRADING CORPORATION

Shri Sita Ram Kesari (Katihar) : I am going to raise an half-an-hour discussion on the reply given by the Hon. Minister to my starred question No. 843 Dated 2 April, 1969.

The Silk and Art Silk is the source of earning foreign exchange for our country. We are exporting it since 1960 but instead of increasing, it has decreased to the time of Rs. 3 crores. I asked the Hon Minister whether the Silk and Art Silk manufacturers Association had submitted him a memorandum in which they gave an assurance of earning foreign exchange worth Rs. 10 crores provided if they agree with some of their conditions.

I also want to draw your attention to the malpractices being taken place in your Export House.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : There is no quoram in the House.

सभापति महोदय : घंटी बज रही है परन्तु सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार 15 अप्रैल, 1969 चैत्र 25, 1891 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, April 15, 1969 Chaitra 25, 1891 (Saka)

× × आधे घन्टे की चर्चा
Half-an-hour discussion.